

विशेष सत्र परीक्षण सं०.1033//2021

सरकार बनाम नान्हू खां

1

UPBH010038902021



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०प्रथम/रेप एण्ड पॉक्सो ऐक्ट, बहराइच

उपस्थित- नितिन पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

{J. O. Code No.- UP1585}

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1033/2021

सरकार-----अभियोगी

प्रति

नान्हू खाँ पुत्र गोबरे निवासी सुजौली थाना सुजौली, जनपद बहराइच-----अभियुक्त

अपराध संख्या- 122/2021

धारा-376(3),323, 506 भा०द०सं०

एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों

से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

थाना- सुजौली, जनपद-बहराइच

अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष अभियोजक (दाण्डिक)- श्री संत प्रताप सिंह

एवं सन्तोष सिंह

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता (न्यायमित्र)- श्री अरुण कुमार

श्रीवास्तव

घटना की तिथि	23-08-2021 एवं इस तिथि से दो वर्ष पूर्व से लगातार ।
तहरीर प्रेषित करने की तिथि	25-08-2021
अभियोग पंजीकृत करने की तिथि	25-08-2021
विवेचना प्रारम्भ होने की तिथि	25-08-2021
विवेचना समाप्त होने की तिथि	04-09-2021
संज्ञान की तिथि	07-09-2021
अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने की तिथि	27-09-2021
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	28-09-2021

विचारण समाप्त होने की तिथि	04-10-2021
----------------------------	------------

निर्णय

1- अभियुक्त नान्हू खाँ पुत्र गोबरे का विचारण विशेष सत्र परीक्षण सं० 1033/2021, अपराध संख्या- 122/2021, अन्तर्गत धारा 376(3), 323, 506 भा०द०सं० एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो ऐक्ट 2012) थाना सुजौली के प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरान्त किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ निर्णीत दिनांक 11-12-2018 में पारित दिशा निर्देश व धारा 228A भा०द०सं० के प्रावधान तथा बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(7) में वर्णित प्रावधान एवं मामले में पीड़िता के सम्मान व समाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए, इस निर्णय में पीड़िता को उसके वास्तविक नाम से सम्बोधित न करते हुए, आवश्यकतानुसार पीड़िता को "शुजा" कह कर सम्बोधित किया जायेगा।

2- अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा हशरत जहां द्वारा थाना सुजौली में एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि दिनांक 23-08-2021 को उसकी पुत्री रात में समय करीब 11:30 बजे के लगभग बिस्तर पर सो रही थी, अचानक उसका पति नान्हू पुत्र गोबरे आया और उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग 15 वर्ष के कपड़े उतारने लगा, कि अचानक उसकी लड़की/पीड़िता चिल्लाई और वह मौके पर पहुंची तो वहां से उसका पति भाग गया और उसकी लड़की/पीड़िता ने बताया कि नान्हू उसके साथ लगभग दो वर्ष पूर्व से ही उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता रहा तथा विरोध करने पर जानमाल की धमकी देते हुए मारता था, जब सारी बात उसकी लड़की ने उससे बतायी तो वह थाने पर सूचना देने आयी है। याचना की गयी कि उसकी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जावे।

3- वादिनी की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना सुजौली, बहराइच में अभियुक्त नान्हू खाँ पुत्र गोबरे के विरुद्ध अपराध संख्या-122/2021 पर धारा 376 (3), 323, 506 भा०द०सं० एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4- विवेचना उपरान्त मामले में अभियुक्त नान्हू खाँ पुत्र गोबरे के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376 (3), 323, 506 भा०द०सं० एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) में प्रेषित किया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) द्वारा दिनांक 07-09-2021 को पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 13-09-2021 के अनुक्रम में स्थानान्तरण उपरान्त यह पत्रावली न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो ऐक्ट

प्रथम के न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई।पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 09-11-2021 के अनुक्रम में पत्रावली विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

5- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त को जिला कारागार से तलब किया गया, एवं अभियुक्त को उसके विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराया गया एवं उसके लिखित आवेदन पर उसे न्याय मित्र की सेवाएं प्रदान की गयी। अभियोजन प्रपत्रों की नकले अभियुक्त को प्रदान करने के उपरान्त, अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र के तर्कों को सुनने के उपरान्त, अभियुक्त नान्हू खां पुत्र गोबरे के विरुद्ध दिनांक 27-09-2021 को अन्तर्गत धारा 376 (3), 323, 506 भा०द०सं० एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किये गये-

प्रथम- यह कि दिनांक 23-08-2021 की रात 11:30 बजे तथा उससे पूर्व विभिन्न तिथियों पर वहद स्थान सुजौली थाना सुजौली, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री जो कि स्वयं आपकी पुत्री है, को मारा पीटा। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान तथा उससे पूर्व विभिन्न तिथियों पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री जो कि स्वयं आपकी पुत्री है, को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान व उससे पूर्व विभिन्न तिथियों पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा हशरत जहां की अवयस्क लड़की जो कि स्वयं आपकी पुत्री है, उम्र लगभग 15 वर्ष के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा एक 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक व समय तथा उससे पूर्व विभिन्न तिथियों पर आप अभियुक्त ने स्वयं अपनी नाबालिग पुत्री के न्यासी होते हुए उसके साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 5p/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अभियुक्त नान्हू खां को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसके द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपो से इन्कार किया गया एवं विचारण की मांग की गयी।

6- अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सिद्ध करने के लिये अभियोजन की ओर से साक्षी पी० डब्लू० 1 हशरत जहां, पी०डब्लू० 2 पीडिता(शुजा), पी०डब्लू० 3 नदीम, पी०डब्लू० 4 श्रवण कुमार सिंह, पी०डब्लू० 5 डा० ममता, चिकित्साधिकारी जिला महिला चिकित्सालय बहराइच, पी०डब्लू० 6 हेड कान्सटेबिल श्याम नरायन यादव, पी०डब्लू० 7 निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान, पी०डब्लू०-8 अब्दुल सलाम एवं पी०डब्लू० 9 नईम परीक्षित हुए।

7- अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये ।

क्रम सं० 1	तहरीर	प्रदर्श क-1
2	बयान पीडिता धारा-164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क-2
3	बयान साक्षी नदीम धारा-164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क-3
4	पीडिता की जन्मतिथि प्रमाण-पत्र	प्रदर्श क-4
5	पीडिता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क-5
6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-6
7	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क-7
8	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क-8
9	फर्द अन्तः वस्त्र पीडिता	प्रदर्श -9
10	आरोप पत्र	प्रदर्श क-10
11	फर्द अन्तः वस्त्र अभियुक्त	प्रदर्श -11

नोट-उक्त अभियोजन प्रपत्रों के अतिरिक्त पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या A- 30/1 पत्रावली पर उपलब्ध है।

8- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त नान्हू खां का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना के तथ्यों को गलत बताते हुए रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहा तथा विशिष्ट कथन के रूप में कथन किया कि उसके सात बच्चे हैं। उसके दो बच्चे बाहर रहते हैं तथा दो साल से बाहर रह रहे हैं। नदीम की उम्र दस साल है। पीडिता की उम्र 17 साल है। एक बेटा तीन साल का है और एक बेटी 10 साल की है। एक और बेटी गोद में है। यह भी कथन किया कि पिछले अगस्त (साल 2020) में वह बम्बई से वापस आया, फिर अक्टूबर 2020 में बम्बई गया एवं फिर जुलाई 2021 में घर आया। यह भी कथन किया कि वह बम्बई में होटल में खाना बनाता था। यह भी कथन किया कि घर में टीन शेड है, एक पार्टीशन है एवं मिला नहीं है। पीडिता की शादी सितम्बर 2019 में करने का कथन किया जा रहा है परन्तु पीडिता के पति का नाम बता पाने में

असमर्थता बतायी जा रही है। यह भी कथन किया कि उसने पीड़िता को पांच बार ससुराल भेजा, लेकिन वह खुद ही नहीं जाना चाहती थी। यह भी कथन किया कि वह एक महीना ससुराल रूकी है एवं 10-11 महीने से ससुराल नहीं गयी है। यह भी कथन किया कि 11 महीने से उसका पति उससे नहीं मिला है। यह भी कथन किया कि पीड़िता उसकी सगी लड़की है। न्यायालय द्वारा पूछने पर यह भी कथन किया कि उसका उसकी पत्नी से सम्बन्ध ठीक-ठाक है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना रक्त जांच हेतु भेजे जाने को स्वीकारा जा रहा है। यह भी कथन किया कि उसका उसके लड़के नदीम से अच्छा सम्बन्ध है। पड़ोसी अब्दुल सलाम एवं नईम से सम्बन्ध के बारे में अभियुक्त से पूछा गया तो अभियुक्त ने बताया कि उसकी बीबी नईम के भाई की ही बात मानती है तथा अब्दुल सलाम के विषय में यह कथन किया कि उससे उसका सम्बन्ध बुरा नहीं है तथा दुआ सलाम वाला सम्बन्ध है। पीड़िता के बावत यह कहा कि लड़की खराब थी, उसी के लिए बोले थे, तथा यह भी कथन किया कि लड़की को एक लड़के के साथ देख लिया था इसलिए उसे फंसा दिया गया है।

दिनांक 21-10-2021 को अभियुक्त का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० सं० अंकित किया गया तथा अभियुक्त से यह पूछा गया कि क्या उसने जो आरोप अपनी पुत्री पर लगाये हैं उसके परिप्रेक्ष्य में वह गांव के किसी चक्षुदर्शी साक्षी को प्रस्तुत कर सकता है तो अभियुक्त द्वारा यह उत्तर दिया गया कि गांव का कोई भी व्यक्ति बोलने नहीं आयेगा। न्यायालय द्वारा जब अभियुक्त से यह प्रश्न पूछा गया कि उसकी पत्नी उसके विरुद्ध गवाही क्यों दे रही है तो अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि उसे यह नहीं पता कि उसकी पत्नी उसके विरुद्ध क्यों गवाही दे रही है।

9- संक्षिप्त टिप्पणी के साथ मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विवरण-

पी० डब्लू० 1 हशरत जहां जो कि पीड़िता/शुजा की मां है ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे सशपथ कथन किया कि घटना को एक माह से ज्यादा हो रहा है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। केवल हस्ताक्षर बनाना सीख लिया है। पीड़िता, उसकी सगी बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। घटना वाली रात को वह अपने परिवार के साथ अपने घर में खाना-पीना खाकर अपने बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक उसने अपनी बेटा पीड़िता की चिल्लाने की आवाज सुनी, वह जग गयी। वह उसके बिस्तर के पास पहुंची तो देखा कि उसकी बेटा पीड़िता के कपड़े उसका पति नान्हू उतार रहा था। उसकी बेटा का कपड़ा जबरदस्ती उतारने के कारण ही उसकी लड़की चिल्लाई थी। जब वह अपनी बेटा/पीड़िता के पास पहुंची तो उसको देखकर उसका पति नान्हू मौके से भाग गया। उसकी बेटा/पीड़िता ने रोते हुए उससे बताया कि अम्मा मेरे पापा मेरे साथ लगभग दो साल पहले से जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार करते रहे है। जब वह विरोध करती थी तो उसको मारते थे। अपनी बेटा/पीड़िता से इस बात की जानकारी होने पर उसने बेटा के बताने के अनुसार घटना के बारे में एक तहरीर एक व्यक्ति से लिखायी थी। लिखने वाले ने तहरीर लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाया व समझाया था, फिर उसने तहरीर पर अपने

हस्ताक्षर बनाया था। इस तहरीर को लेकर अपनी बेटी के साथ वह थाने गयी थी जिसके आधार पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। शामिल पत्रावली तहरीर पर बने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करती है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। यह भी कथन किया कि दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त नान्हू के साथ इसका निकाह करीब 20-25 साल पहले हुआ था। निकाह में विदा होकर ससुराल आयी थी। उसके कुल नौ बच्चे पैदा हुए थे, दो मर गये, सात बच्चे जिन्दा हैं, जिसमें से चार लड़के एवं तीन लड़की हैं। उसके बच्चों के नाम सुभान, नजीर, पीड़िता, नदीम, शब्बो, नाजिम, आसिया है। लगभग दो वर्ष पहले पीड़िता की शादी की थी। शादी के समय पीड़िता बालिग नहीं थी। उसके दो बड़े बच्चे बाहर मजदूरी करते हैं और बाकी घर पर रहते हैं। सब लोग अलग-अलग बिस्तर पर लेटते हैं। नान्हू बम्बई में थवई-गीरी का काम करते हैं, यहां नहीं करते हैं। इससे पहले उसकी लड़की ने उससे नान्हू की कोई शिकायत नहीं की थी। घटना वाली रात को पीड़िता घर में अलग बिस्तर पर लेटी थी। उसके घर में लाइट का कनेक्शन है। यह भी कथन किया कि घटना के समय लाइट जल रही थी। पीड़िता के चिल्लाने पर वह पीड़िता के पास पहुंच गयी थी। उसके पहुंचने पर नान्हू वहां से भाग गया था। उसके सामने पीड़िता का कपड़ा उतारा था और नान्हू उसका दुप्पट्टा लपेटे था। निकाह के बाद पीड़िता अपने ससुराल गयी थी। निकाह के दूसरे दिन पीड़िता को वह सभी लोग उसको उसकी ससुराल से वापस ले आये थे। इसके बाद केवल एक बार पीड़िता ससुराल गयी थी और दो तीन दिन रूकी थी और उसका पति नान्हू उसको ससुराल से ले आया था। यह भी कथन किया कि नान्हू को गलत काम करते हुए उसने अपनी आँखों से देखा है।

मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा यह पूछने पर कि क्या कभी पिछले दो साल में ऐसा रहा है कि पीड़िता एवं उसके पिता घर में अकेले रहे हो और वह घर पर नहीं रही हो या कोई और न रहा हो, इस साक्षी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि वह हर हफ्ते महिला समूह की मीटिंग में शामिल होने के लिए हर बुधवार को घर से बाहर जाती थी, तब पीड़िता एवं उसके पिता घर पर अकेले रहते थे। पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि वह तहरीर अपनी बेटी के साथ गांव के बब्लू से लिखाकर अपनी बेटी/पीड़िता के साथ थाने पर गयी थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने नान्हू को पकड़ लिया था। यह भी कथन किया गया कि पीड़िता का सम्बन्ध किसी अन्य आदमी से नहीं रहा है। इस साक्षी ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पीड़िता का सम्बन्ध गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ था और नान्हू ने उसको देख लिया था, इसलिए नान्हू को इस मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। **मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह बताया गया कि-**उसके पति का व्यवहार एक डेढ़ साल पहले से उसके प्रति काफी सख्त हो गया था। यह भी कथन किया गया कि उसके पति कैमरा वाला मोबाइल प्रयोग करते थे।

टिप्पणी- पी०डब्लू० 2 जो कि शुजा की नैसर्गिक माता है ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा प्रेषित तहरीर प्रदर्श क- 1 को साबित करते हुए अपनी पुत्री 'शुजा' (पीड़िता का काल्पनिक नाम) के साथ हुई घटना का उल्लेख किया जा रहा है। अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से अपने आंखों से देखे गये प्रत्यक्ष दृश्य एवं शुजा द्वारा बतायी गयी पूर्ववत घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, अभियुक्त जो कि स्वयं उसका पति है के कृत्य का ब्यौरा दिया जा रहा है।

पी० डब्लू० 2 पीड़िता पुत्री हशरत जहां व अभियुक्त नान्हू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया कि आज वह अपनी मां के साथ न्यायालय में बयान देने आयी है। यह भी कथन किया गया कि इस मुकदमें का अभियुक्त नान्हू उसका सगा पिता है। वह कक्षा पांच तक पढ़ी है। उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। प्रथम बार हुए लॉकडाउन से पूर्व वह घर में नहा रही थी। उसके पिता नान्हू एकदम से आ गये। उस समय घर में कोई नहीं था। उस समय उन्होंने बिना कपड़ों की नंगी उसकी फोटो अपने मोबाइल से खींच लिया और इसके बाद उस नंगी फोटो को उसे दिखाकर ब्लैकमेल कर उसको डरा धमका कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार करते समय नान्हू लिंग पर सफेद जैसी चीज प्लास्टिक की चढ़ा लेता था जिसका वह नाम नहीं जानती है और उसको लगाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया करता था। इसके बाद जब उसकी मम्मी घर पर नहीं रहती थी तब उसका फायदा उठाकर नान्हू उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था और हर बार अपने लिंग पर कुछ चढ़ा लेता था। यह भी कथन किया कि उसने उसे बलात्कार करने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह भी कथन किया कि उसके साथ जब नान्हू ने पहली बार बलात्कार किया था तब उसको असहनीय पीड़ा हुई थी और उसके गुप्तांग से खून आ गया था लेकिन नान्हू द्वारा उसको जान से मारने की धमकी के कारण वह इस बात को अपनी मां से नहीं बता पायी थी। यह भी कथन किया कि जब नान्हू ने पहली बार नहाते हुए उसकी नंगी फोटो खींचा था तो इस बात की जानकारी उसने अपनी मां को दिया था। इसको लेकर नान्हू ने उसकी मां और उसको बहुत मारा था। यह भी कथन किया कि नान्हू ने उसे बलात्कार करने के बाद गोली भी खिलाया था। यह भी कथन किया कि पहले लॉकडाउन से इस घटना वाली दिनांक तक नान्हू ने उसके साथ अनेको बार जबरदस्ती बलात्कार किया था लेकिन उसकी वजह से अपनी मां को नहीं बता पायी थी क्योंकि उसने उसको जान से मारने की धमकी दी थी और वह उसको व उसकी मां को मारता पीटता भी था।

अपनी मुख्य परीक्षा में पुनः यह भी कथन किया कि प्रथम सूचना वाले दिन के दो दिन पूर्व वाली रात को जब नान्हू उसके कपड़े जबरदस्ती उतारकर उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था, तब वह चिल्लायी, तब उसकी मां जग गयी थी और वह मौके पर आ गयी थी, तब नान्हू भाग गया। यह भी कथन किया गया कि नान्हू ने धमकी दिया था कि अगर इस बारे में किसी को बताओगी तो तुम दोनों मां बेटा को मारकर पानी की टंकी में डाल देंगे। नान्हू के

भाग जाने के बाद उसने रो-रोकर अपनी मां को सारी बात बतायी तो उसकी मां ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक द्वारा उसका बयान लेने तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के भी कथन किये जा रहे हैं। दौरान विवेचना मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 द० प्र० स० अंकित कराये जाने के कथन करते हुए, अपने द्वारा दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 164 द० प्र० स० को प्रदर्शक-2 के रूप में साबित किया जा रहा है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसकी शादी पहले वाले लॉकडाउन के समय हुई थी। शादी के बाद दो बार ससुराल गयी थी। अब तक मात्र दो दिन तक ही ससुराल में रूकी थी। यह भी कथन किया कि उस दिन वह जम्पर पहने हुई थी, उसको खोल दिया था, तब वह चिल्लायी थी और उसकी मम्मी आ गयी थी। उसकी मम्मी के पहुंचने पर उसके पिता नान्हू भाग गये थे। घटना के समय अंधेरा था। दिनांक-23-08-2021 को नान्हू ने सिर्फ केवल कपड़ा उतारा था, कोई गलत काम नहीं किया था। थाने पर वह वही कपड़ा पहनकर गयी थी, जो उसने उस दिन पहना था। यह भी कथन किया कि वह कोई नशा नहीं करती है। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसका सम्बन्ध किसी और लड़के के साथ था और उसके पिता ने उसको उसके साथ देख लिया था, उसी रंजिश के कारण उसने अपने पिता को इस मुकदमें में झूठा फंसा दिया है। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह भी कहना गलत है कि उसके पिता ने उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से नहीं की है, इसलिए उसने उनको झूठे मुकदमें में फंसा दिया है।

मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से पूछने पर, साक्षी द्वारा यह बताया गया कि- दिनांक-23-8-2021 से पूर्व उसके पिता नान्हू ने उसके साथ अनेको बार बलात्कार किया था। जब वह अपनी मां से बात करने जाती थी तो वह उसको बहुत मारते थे। उसी डर के कारण उसने बलात्कार वाली शिकायत इससे पहले नहीं की थी। जब भी इन्होंने बलात्कार किया उस समय अन्य भाई-बहन पढ़ने चले जाते थे। मां बकरी चराने चली जाती थी। घर में उस समय कोई नहीं रहता था। उससे बलात्कार करने से पहले उसको एक दो बार गोली भी दिया था। गोली खाने के बाद वह सो जाती थी। यह भी कथन किया कि उसे बलात्कार करने के दौरान अंदरूनी भाग में चोटे भी आयी थी। यह भी कथन किया कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ी है।

टिप्पणी- प्रकरण की पीड़िता जिसको मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निर्णय में "शुजा" के रूप में सम्बोधित किया गया है, पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित हुई एवं अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपने साथ हुए कुकृत्य का स्पष्ट ब्यौरा दिया जा रहा है। यह भी कथन किया गया कि उसके साथ उसके पिता ने अनेको बार बलात्कार किया है एवं यह कृत्य किसी को पता न चले इसके लिए अभियुक्त नान्हू खां शुजा को बराबर धमकी भी देता रहा तथा मारता पीटता रहा। शुजा के मौखिक साक्ष्य से यह भी निकल कर आया है कि बलात्कार के कृत्य से शुजा के शरीर में कोई परिवर्तन न आये अर्थात् वह गर्भ धारण न करे, इसका भी

ध्यान अभियुक्त द्वारा रखा गया।

पी० डब्लू० 3 नदीम पुत्र नान्हू उम्र 11 वर्ष जो कि शुजा का भाई है एवं अभियुक्त का सगा पुत्र है को अभियोजन ने बतौर चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया । उपरोक्त साक्षी की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु कि उपरोक्त साक्षी बयान देने हेतु सक्षम है अथवा नहीं, मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्षी से उसका नाम, वह किस कक्षा में पढ़ता है, उसके अध्यापक का क्या नाम है, वह आज कहां आया है, उसके जनपद का क्या नाम है, आदि प्रश्न पूछे गये जिसका उपरोक्त साक्षी ने सही उत्तर दिया एवं ऐसे में मुझ पीठासीन अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त साक्षी साक्ष्य देने हेतु सक्षम है। पी०डब्लू० 3 नदीम ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि वादिनी मुकदमा उसकी माता है एवं वह उन्हीं के साथ आज न्यायालय में बयान देने आया है। यह भी कथन किया कि पीडिता उसकी सगी बहन है और अभियुक्त उसका सगा पिता है। यह भी कथन किया कि उसके पापा करीब एक वर्ष से उसकी बहन पीडिता के साथ गलत काम कर रहे थे। उसने तीन चार बार इस घटना को अपनी आँखों से देखा है। यह भी कथन किया कि उसके घर में खिड़की नहीं लगी है। खिड़की की जगह को ईटा लगाकर भर दिया गया है। उसमें से कमरे के अन्दर अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि खिड़की में लगे हुए ईटे कई जगह से निकल गये हैं। यह भी कथन किया कि आज से करीब तीन महीने पहले वह अपनी छोटी बहन के साथ बाहर खेल रहा था। उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसी समय उसके पापा बाहर से आये और उसकी बहन पीडिता जो बाहर चारपाई पर बैठी थी उसको पकड़कर घर के भीतर चले गये और कमरा अन्दर से बंद कर लिया। उसने खिड़की में लगे ईटे के छेद से कमरे के अन्दर झांक कर देखा कि उसके पापा अपने कपड़े उतारकर नंगे थे और उसकी बहन पीडिता को नंगा कर दिया था और उसको अपने नीचे पटक कर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करते थे। यह भी कथन किया कि यह देखकर वह हडबडा गया और घबडा गया और वह वहां से भागा लेकिन उसके पापा ने उसको झांकते हुए देख लिया था और वह जान गये थे कि उसने उनको उसकी बहन पीडिता के साथ गलत काम करते हुए देख लिया है। वह उसको मारने के लिए दौड़े तब वह अपने नाना के घर जो उसके ही गांव में है, के लिए भागा। पापा ने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और उसको बहुत मारा। उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि तुम इसको क्यों मार रहे हो तो उसने मम्मी से रोते हुए पूरी बात बतायी, तब पापा ने मम्मी को धमकाया और कहा कि ज्यादा बोलोगी तो तुमको भी मार कर गाड़ देंगे। यह भी कथन किया कि इस घटना के पहले भी दो बार अपने पापा को अपनी बहन पीडिता के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हुए देखा और उसने मम्मी को पापा की गलत बात को बताया था, तब उसकी मम्मी ने पापा से पूछा था, तब उसके पापा ने उसकी मम्मी को बहुत मारा था और उसको तथा उसकी बहन पीडिता को भी मारा पीटा था। अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी माता द्वारा तहरीर प्रेषित करना तथा दौरान विवेचना मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० का अंकित होना के कथन भी किये जा रहे

है। इस साक्षी द्वारा पत्रावली पर शामिल अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० को प्रदर्शक-3 के रूप में साबित किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि वह अपना आधार कार्ड नहीं लाया है। वह चार भाई व तीन बहने हैं। उसकी छोटी बहन जो सबसे छोटी है उसकी उम्र 1-2 वर्ष की होगी। उसके सबसे बड़े भाई की उम्र 18-19 वर्ष होगी। पीडिता की उम्र 12-13 साल होगी। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। उसके पापा उसको कारण वश मारते पीटते थे। पीडिता की शादी हो गयी है। यह भी कथन किया कि पीडिता उसकी बहन हम लोगो के साथ ही रहती है। यह भी कथन किया कि उसकी बहन/ पीडिता को उसके पापा उसके ससुराल नहीं जाने देते थे। उसको रोक लेते थे। यह भी कथन किया कि उसकी दादी मर गयी है और बाबा हम लोगो के साथ नहीं रहते हैं। हम लोगो से काफी दूर रहते हैं। यह भी कथन किया कि उसने अपने पापा की शिकायत गांव के किसी अन्य लोगो से नहीं किया था। यह भी कथन किया कि पापा उसकी मां को बहुत गाली गुप्ता देते थे और मारते-पीटते थे, यह उसने सुना और देखा है। यह भी कथन किया कि उसके पापा उसकी बहन से गलत काम करते थे। यह भी कथन किया कि उसने अपने पापा को अपनी बहन के साथ गलत काम करते हुए देखा था। यह भी कथन किया कि वह बात जब वह अपनी मम्मी को बताने चला तो पापा ने उसको मारने के लिए दौड़ा लिया था। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि वह अपने पापा को गलत फंसा रहा है। पुनः इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना भी गलत है कि उसके पापा उसको मारते पीटते थे, इसलिए वह उनको गलत फंसा रहा है। मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्षी से जब यह पूछा गया कि उसने क्या देखा तो इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि -उसने देखा था कि उसकी बहन और उसके पापा दोनो लोग नंगे थे। उसके पापा ऊपर थे और उसकी बहन नीचे थी। उसकी बहन जाग रही थी। उसके पापा, बहन/ पीडिता के साथ गलत काम कर रहे थे।

टिप्पणी-उपरोक्त साक्षी जो कि शुजा का सगा भाई है और अभियुक्त का सगा पुत्र है, इस प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त द्वारा शुजा के साथ कारित कृत्य का स्पष्ट उल्लेख करते हुए इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसने अपनी बहन के साथ हुई बलात्कार की घटना को खुद तीन से चार बार देखा है। उपरोक्त साक्षी यही नहीं रूका अपितु उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि जब उसके पिता को यह आभास हो गया कि साक्षी को बलात्कार की घटना के बारे में जानकारी हो गयी है तो अभियुक्त जो कि स्वयं उसका नैसर्गिक पिता है उसने इस साक्षी को बहुत मारा ।

पी०डब्लू० 4 श्रवण कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय सुजौली समेकित (उच्च प्रा० विद्यालय) जनपद बहराइच को अभियोजन द्वारा शुजा की घटना की तिथि पर उम्र निर्धारित एवं साबित कराने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में पेश किया। पी०डब्लू० 4 श्रवण कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि आज

वह अपने साथ अपने विद्यालय की मूल प्रवेश पंजिका क्रमांक 2023 से 20399 क्रमांक तक का अपने साथ लाया है। मूल प्रवेश रजिस्टर के अनुसार छात्रा पीडिता पुत्री नान्हू अभियुक्त, माता हशरत जहां, निवासी सुजौली, तहसील नानपारा जिला बहराइच का प्रवेश विद्यालय में दिनांक 11-04-2016 को कक्षा एक में हुआ, जिसका प्रवेश रजिस्टर क्रमांक 2394 पर छात्रा/ पीडिता का नाम अंकित है। पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार छात्रा/पीडिता की जन्मतिथि 10-05-2007 अंकित है। विद्यालय में छात्रा/पीडिता के प्रथम प्रवेश के समय छात्र की जन्मतिथि उसके माता-पिता के बताने के अनुसार लिखी जाती है। छात्रा/ पीडिता ने इस विद्यालय से कक्षा-5 उत्तीर्ण किया था, इसके पश्चात टी०सी० दिनांक 06-09-2021 को निर्गत किया जाना अंकित है। शामिल मिसिल पीडिता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र उसके सामने है, जिसे उसने विद्यालय के मूल अभिलेख के आधार पर निर्गत किया है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है। इस जन्म तिथि प्रमाण पत्र में पीडिता की जन्मतिथि 10-05-2007 (दस मई सन् 2007) अंकित है, जो विद्यालय के मूल अभिलेख के अनुसार है। इस प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। जिसकी वह पुष्टि करता है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर प्रदर्शक-4 डाला गया है। आज वह विद्यालय के प्रवेश पंजिका की छाया प्रति स्व प्रमाणित करके न्यायालय में दाखिल कर रहा है, जो मुताबिक असल है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि वह अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आया है। वह विद्यालय की अनुमति से गवाही देने आया है। पीडिता का विद्यालय में दाखिला के समय वह वहां पर कार्यरत नहीं था। यह भी कथन किया गया कि छात्र का विद्यालय में प्रवेश के समय यदि अभिभावक द्वारा जन्म के सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र दाखिल किया जाता है तो उसके अनुसार छात्र की जन्मतिथि अंकित की जाती है और यदि नहीं होता है तो अभिभावक के बताने के अनुसार छात्र की जन्मतिथि अंकित की जाती है। यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि पीडिता को अनुचित लाभ देने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी- अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 4 के रूप में श्रवण कुमार सिंह, प्राधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय सुजौली को घटना की तिथि पर "शुजा" की उम्र को साबित कराने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 4 द्वारा दौरान विवेचना शुजा की उम्र के बावत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया जिसको उन्होंने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उस प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि का विद्यालय के मूल पंजिका से मिलान कर उक्त प्रमाण पत्र को प्रदर्शक-4 के रूप में साबित किया है।

पी० डब्लू० 5 डॉक्टर ममता चिकित्साधिकारी जिला महिला चिकित्सालय बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि दिनांक-25-08-2021 को पीडिता पुत्री नान्हू खां का चिकित्सीय परीक्षण समय 05-30 पी०एम० पर उसके द्वारा किया गया था जिसको महिला सिपाही कनक सरोज थाना सुजौली द्वारा लाया

गया था। उसने परीक्षण रिपोर्ट पर पीडिता का निशानी अंगूठा लगवाकर उसे प्रमाणित किया था और उसका पहचान चिन्ह अंकित किया था। पीडिता ने बताया था कि उसे 4-5 साल पहले से महावारी आना शुरू हुआ है। माहवारी 28-30 दिन के अन्तराल पर आता है और 3-4 दिन रहता है। पिछली माहवारी उसको 20-25 दिन पहले आयी थी। पीडिता ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में (बलात्कार) जो उनको बताया था, उसे उसने अंकित किया। यह भी कथन किया गया कि पीडिता ने यह भी बताया था कि नान्हू अक्सर उसको लाठी से मारा करता था। पीडिता के बताने के अनुसार क्रोनिक थी। परीक्षण के समय पीडिता सामान्य अवस्था में थी। पीडिता का हाइमन ओल्ड-टोर्न्ड हील्ड था। पीडिता का वेजाइनल स्वाब डी०एन०ए० परीक्षण हेतु भेजा गया तथा वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड बनाकर पैथालाजी भेजा था। शामिल मिसिल मूल चिकित्सीय रिपोर्ट पीडिता उसके सामने है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसको उसने जांच के दौरान मौके पर तैयार किया था। इसकी वह पुष्टि करती है। चिकित्सीय रिपोर्ट पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पीडिता का मेडिकल परीक्षण के पहले पीडिता से पूछताछ किया गया था। पीडिता का परीक्षण उसने स्वयं किया था। पीडिता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, कोई जीवित व मृत शुक्राणु नहीं पाये गये थे। पीडिता एक विवाहित महिला थी या नहीं इसकी उसको जानकारी नहीं है। परीक्षण के दौरान शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के लक्षण पाये गये। यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि राजनीतिक दबाव के कारण झूठी रिपोर्ट तैयार की गयी है।

टिप्पणी- उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 5 जिनके द्वारा "शुजा" की चिकित्सीय जांच की गयी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय जांच आख्या को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है। चिकित्सीय जांच में शुजा का हाइमन ओल्ड टोर्न्ड पाया गया तथा अपने मौखिक साक्ष्य में चिकित्सक द्वारा "शुजा"की शारीरिक जांच के दौरान पूर्ववत शारीरिक सम्बन्ध होने का भी उल्लेख किया गया है। यह भी कथन किया गया कि "शुजा" ने चिकित्सक को बताया कि अभियुक्त उसे लाठी से मारता था।

पी० डब्लू० 6 हेड कांस्टेबिल श्यामनरायन यादव, ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक-25-08-2021 को वह थाना सुजौली जनपद बहराइच में हेड कांस्टेबिल के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादिनी मुकदमा हशरत जहां की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 122/2021 अन्तर्गत धारा-376(3),323,506 भा०दं०सं० व धारा 5p/6 पॉक्सो ऐक्ट, उसके द्वारा सी०सी०टी०एम०एस० सिस्टम पर कार्यरत कांस्टेबिल बब्लू को, तहरीर को अक्षरशः बोलकर पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद एफ०आई०आर० की कम्प्यूटरीकृत प्रति निकाली गयी थी। यह भी कथन किया कि मुकदमा उपरोक्त का कायमी जी०डी० में रपट संख्या-22 दिनांक 25-

08-2021 को समय 12.01 मिनट पर कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया था और उसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति भी निकाली गयी थी। उपरोक्त साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-6 व कायमी जी०डी०को प्रदर्श क- 7 के रूप में साबित किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि एफ०आई० आर० दर्ज कराने थाने पर वादिनी मुकदमा व पीडिता आई थी। वादिनी मुकदमा थाने पर 12:00 बजे आयी थी। एफ०आई० आर० 12:12 बजे अंकित की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा आई थी और तहरीर दिया था और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है।

टिप्पणी- उपरोक्त साक्षी प्रस्तुत प्रकरण का एफ०आई०आर० लेखक है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पी०डब्लू० 6 द्वारा दिनांक 25-08-2021 को वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने का कथन किया जा रहा है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-6 तथा कायमी जी०डी०को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया गया है।

पी० डब्लू० 7 निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ यह कथन किया कि दिनांक 25-08-2021 को वह थाना सुजौली में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु०अ०सं० 122/2021 थाना सुजौली में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उसके द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी थी। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के माध्यम से स्वयं द्वारा विवेचना में सम्पादित की गयी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार करना, अभियुक्त एवं शुजा के अन्तःवस्त्र को कब्जे में लेकर उसकी फर्द तैयार करना, शुजा के जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करना, शुजा एवं उसके भाई के बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० अंकित करवाकर उसका उल्लेख केस डायरी में करना, शुजा का चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसका उल्लेख केस डायरी में करना, प्रकरण से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित करना, अभियुक्त की डी०एन०ए० जांच हेतु कार्यवाही करना तथा माल मुकदमा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजना एवं अन्त में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-376(3), 323, 506 भा०द०सं० व धारा 5p/6 पॉक्सो ऐक्ट दिनांक 04-09-2021 को उसके द्वारा प्रेषित करना जैसे कथन किये गये हैं। अपने मुख्य परीक्षा के माध्यम से इस साक्षी द्वारा नक्शा नजरी घटना स्थल, फर्द अन्तःवस्त्र पीडिता, फर्द अन्तःवस्त्र अभियुक्त एवं आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श क-8, प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-11 एवं प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पीडिता को उसने देखा था। पीडिता देखने में बालिग नहीं लग रही थी। यह भी कथन किया कि थाने पर आने के समय पीडिता वही कपडा पहने

हुई थी, उसने कपडा बदला नहीं था एवं थाने पर कपड़ा पीड़िता का बदला नहीं गया था। पीड़िता के अन्तः वस्त्र मौके पर जाकर समक्ष गवाहान कब्जा लिया गया था। एफ०आई० आर० पंजीकृत होने के बाद उसी दिन वह मौके पर गया था। विवेचना के दौरान उसने मौके पर जाकर गवाहान का बयान अंकित किया था। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि दिनांक 23/24-08-2021 की रात जहां घटना घटित हुई थी, वहां पर तख्त मौजूद था, जबकि पूर्व की तिथियों पर जहां पर बार-बार बलात्कार करना बताया जा रहा था, उस कोठरी में कोई तख्त नहीं था। यह भी कथन किया कि उस कमरे के एक कोने में बकरी बांधने के निशान लग रहे थे, बाकी पूरा कमरा खाली था तथा उस कमरे में बाथरूम नहीं है। पीड़िता के नहाने वाली जगह जहां पर पीड़िता के फोटो खींचने की बात बतायी जा रही है, वह स्थान कमरे के बाहर है। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त के पास से उसको कोई बड़ा मोबाइल नहीं मिला था। विद्वान न्यायमित्र के पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि जिन साक्षीगणों के बयान अंकित हुए उन सबसे घटना की पुष्टि होती है। पुनः यह भी कथन किया गया कि यह सही है कि इस घटना से गांव के काफी लोग आक्रोशित थे और उनके द्वारा भैसाही मोड़ पर अभियुक्त के उपस्थित होने की बात बतायी गयी थी और यह भी कहा गया था कि अभियुक्त भागने की फिराक में है। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण गिरफ्तारी के बाद सी०एच०सी० मोतीपुर पर कराया गया था जिसके मेडिकल रिपोर्ट पर "नो ऐनी इक्सटरनल फ्रेश" इंजरी अंकित है। यह भी कथन किया गया कि विवेचना उसके द्वारा दिनांक 25-08-2021 को प्रारम्भ करके दिनांक 04-09-2021 को समाप्त की गयी।

टिप्पणी- पी०डब्लू० 7 जो कि प्रकरण के विवेचक है, ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण से सम्बन्धित कृत कार्यवाही का उल्लेख करते हुए नक्शा नजरी घटना स्थल, फर्द बरामदगी, आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श क-8, प्रदर्श क-9 एवं प्रदर्श क-11 तथा प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया गया है।

पी० डब्लू० 8 अब्दुल सलाम ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि घटना को एक महीने से ज्यादा हो रहा है। वादिनी मुकदमा हशरत जहां उसके गांव के पड़ोस की रहने वाली है। अभियुक्त नान्हू, हशरत जहां का पति है। उसको वह जानता पहचानता है। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि घटना वाली रात में आधी रात को हल्ला गोहार सुनकर नान्हू के घर के सामने पहुंचा तो देखा कि नान्हू की पत्नी हशरत जहां और उसकी बेटी/ पीड़िता रो रही थी और नान्हू की पत्नी जोर-जोर से अपने पति को गाली देते हुए चिल्ला रही थी। नान्हू मौके से भाग गया था। नान्हू की पत्नी चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि नान्हू अपनी सगी बेटी/ पीड़िता के साथ लगभग दो साल से जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है, आज वह अपनी बेटी/पीड़िता के चिल्लाने पर जाग गयी और जब वह उसके पास पहुंची तो नान्हू भाग गया, नान्हू ने पिता के रिश्ते की पवित्रता को कलंकित किया

है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि नान्हू की पत्नी ने यह भी बताया कि उसकी बेटी/पीडिता ने उसको पूरी बात बतायी थी। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि पुलिस ने उसके सामने पीडिता व अभियुक्त के द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़े कब्जा पुलिस में लेकर सील मुहर किया था और मौके पर ही फर्द तैयार की थी। फर्द तैयार करने के बाद उसे पढ़कर सुनाकर, उस पर उसका निशानी अंगूठा लगवाया था। शामिल मिसिल फर्द लेने अन्तः वस्त्र अभियुक्त व फर्द वास्ते लेने अन्तः वस्त्र पीडिता साक्षी को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो उसने दोनो फर्द पर बने निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर पूर्व में प्रदर्शक-11 व प्रदर्शक-9 डाला जा चुका है। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि रात का समय था। हम लोग सो रहे थे। हल्ला सुनकर आँख खुल गयी थी। जब वह पहुंचा था, तब नान्हू मौके से भाग गया था। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि घटना के समय अंधेरी रात थी, बिजली जल रही थी। उसकी नान्हू से कोई लड़ाई नहीं थी। उसके सामने कोई घटना नहीं घटी थी। यह भी कथन किया कि नान्हू के घर आना जाना हम लोगो का बराबर रहता था एवं प्रथम सूचना एवं इस घटना की जानकारी होने के बाद उनके घर हम लोगो का आना जाना नहीं है। यह भी कथन किया गया कि नान्हू काफी समय पहले 10-15 साल मुम्बई में रहा है एवं साल दो साल से नान्हू अपने घर पर ही रहते थे। यह भी कथन किया कि नान्हू ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। वह अपने मायके में ही रहती थी, नान्हू उसको उसके ससुराल में नहीं भेजा था। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि नान्हू की लड़की का चाल-चलन ठीक था। उसने उसको किसी दूसरे के साथ कभी नहीं देखा। विद्वान न्यायमित्र द्वारा पूछे गये सुझाव पर इस साक्षी द्वारा यह कहा गया कि यह कहना गलत है कि अपनी मर्जी के अनुसार शादी न होने पर पीडिता ने अपने पिता को फर्जी फंसा दिया। मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से पूछने पर, इस साक्षी द्वारा यह बताया गया कि उसने अभियुक्त नान्हू की पत्नी के आचारण एवं व्यवहार में कभी कोई गलत चीज नहीं देखी।

टिप्पणी- उपरोक्त साक्षी जो कि अभियुक्त एवं शुजा के गांव का है, ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा सुनी बातों का उल्लेख किया है। शुजा की मां के रोते हुए अपने पति के कृत्यों का उल्लेख इस साक्षी द्वारा स्वयं सुना गया। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से इस साक्षी द्वारा शुजा एवं उसकी मां के आचरण को उचित बताया जा रहा है।

पी०डब्लू० 9 नईम पुत्र यासीन -ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया कि वादिनी मुकदमा उसके गांव की रहने वाली है एवं वह उसका पड़ोसी है। वादिनी मुकदमा हशरत जहां का पति अभियुक्त नान्हू है। पीडिता, अभियुक्त नान्हू की सगी बेटी है। घटना को लगभग एक महीना से ऊपर हो रहा है। यह भी कथन किया कि घटना वाली रात में हशरत

जहां वादिनी मुकदमा की रोने की आवाज आधी रात को सुनकर उसके घर के सामने पहुंचा था तो उसने देखा कि नान्हू की पत्नी हशरत जहां व उसकी बेटी/ पीडिता रो रही थी और नान्हू उस समय भाग गया था। नान्हू (अभियुक्त) की पत्नी चिल्लाकर कह रही थी कि उसका पति नान्हू उसकी बेटी/ पीडिता के साथ लगभग दो साल से बलात्कार कर रहा है और आज भी उसकी बेटी/पीडिता के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह, बेटी /पीडिता के चिल्लाने पर जाग गयी और उसके पास पहुंची तो नान्हू घर से भाग गया। नान्हू ने पिता जैसे रिश्ते की पवित्रता को गन्दा व कलंकित किया है और यह कहकर जोर-जोर से रो रही थी। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि पुलिस ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि हल्ला वाले दिन वह अपने घर पर ही था और सो रहा था, लगभग आधी रात का समय था। जब हल्ला हुआ था, अंधेरी रात थी, किन्तु लाइट जल रही थी। नान्हू के मकान से एक घर छोड़कर उसका मकान है। हल्ला सुनकर जब वह नान्हू के दरवाजे पर पहुंचा था तो नान्हू हल्ला सुनकर भाग गया। यह भी कथन किया कि उसके सामने नान्हू एवं उसकी पत्नी का कोई झगड़ा उसने नहीं सुना। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा पूछने पर इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि उसकी बीबी न तो बदचलन थी और न ही नान्हू की बेटी/ पीडिता ही बदचलन थी। यह भी कथन किया कि हल्ला वाली रात से पहले नान्हू की कोई शिकायत न तो उसकी पत्नी से सुनी और न ही उसकी बेटी/पीडिता से सुनी थी। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि पीडिता की शादी उसके पिता ने उसकी मर्जी के विरुद्ध कर दी थी, इसलिए उसने अपने पिता के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा दिया। **मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से पूछने पर यह बताया गया कि**—जब हल्ला हुआ था तब वह मौके पर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी माँ और पीडिता रो रही थी। पीडिता की माँ गाली दे रही थी एवं बोल रही थी कि नान्हू ने पीडिता का बलात्कार किया है एवं वह दो साल से बराबर बलात्कार कर रहा है, वह पीडिता को सिर दर्द की गोली के बहाने नशे की गोली देकर उसके साथ बलात्कार करता था। इस साक्षी द्वारा स्वयं न्यायालय से यह कहा गया कि हम लोगो ने उसकी माँ व पीडिता से पूछा कि आप दोनो ने यह बात पहले क्यों नहीं बतायी तो उन दोनो ने कहा कि नींद की गोली देते थे, सो जाती थी लेकिन हल्ला वाले दिन उसकी नींद खुल गयी थी। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि पीडिता ने यह भी बताया कि नान्हू ने धमकी दिया था कि अगर बताओगी तो हम तुम लोगो को मारकर लैट्रिन के टैंक में डाल देंगे। यह भी कथन किया गया कि उसे बताया गया कि नान्हू उन लोगो को मारता पीटता भी था। हाजिर अदालत अभियुक्त नान्हू को कस्टडी बाक्स में खड़े देखकर बताया कि यहीं नान्हू है एवं वह इसको पहचानता है। यह भी कथन किया कि उसकी नान्हू से कोई दुश्मनी नहीं है। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि इस घटना के बाद गांव में उसके समुदाय के लोग काफी दहशत में आ गये थे। यह भी बताया गया कि जब अभियुक्त मुम्बई जाता था उस

समय अभियुक्त के घर किसी अन्य व्यक्तियों का आना जाना नहीं रहता था।

टिप्पणी- उपरोक्त साक्षी जो कि अभियुक्त के गांव का है,ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से शुजा एवं उसकी मां द्वारा इस साक्षी से कही गयी बातों का उल्लेख किया जा रहा है। शुजा के एवं उसकी मां के आचरण तथा चरित्र को अच्छा बताया जा रहा है तथा हल्ला वाले दिन अभियुक्त का मौके से भाग जाने का स्पष्ट कथन किया जा रहा है।

अभियुक्त नान्हू खां द्वारा कोई भी मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

10- विद्वान अधिवक्तागणों की बहस

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23-08-2021 को वादिनी मुकदमा की पुत्री रात में समय करीब 11:30 बजे के लगभग बिस्तर पर सो रही थी, अचानक वादिनी मुकदमा का पति नान्हू पुत्र गोबरे आया और वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग 15 वर्ष के कपड़े उतारने लगा कि अचानक वादिनी मुकदमा की लड़की/पीड़िता चिल्लाई और वादिनी मुकदमा मौके पर पहुंची तो वहां से उसका पति भाग गया और वादिनी मुकदमा की लड़की/पीड़िता ने बताया कि वादिनी मुकदमा का पति नान्हू उसके साथ लगभग दो वर्ष पूर्व से ही उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार करता रहा तथा विरोध करने पर जानमाल की धमकी देते हुए मारता था। विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 जो कि प्रस्तुत प्रकरण की वादिनी मुकदमा एवं शुजा (पीड़िता का काल्पनिक नाम)की मां है, ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपने द्वारा देखे गये कुकृत्य का वर्णन किया है एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया है। पी०डब्लू० 2 जो कि स्वयं पीड़िता (शुजा) है, ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपने साथ हुई विभत्स घटना का वर्णन कर, अभियुक्त के कृत्य के बावत स्पष्ट कथन किये हैं। पी०डब्लू० 3, जो कि पीड़िता का सगा भाई है एवं अभियुक्त का पुत्र है,ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त को पीड़िता के साथ लगभग तीन से चार बार बलात्कार किये जाने के कृत्य को स्वयं देखे जाने के स्पष्ट साक्ष्य दिये हैं। तथ्य के अन्यत्र साक्षी पी०डब्लू० 8 एवं पी०डब्लू० 9 द्वारा वादिनी मुकदमा के कथनों की पुष्टि अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से की जा रही है एवं अभियुक्त द्वारा पीड़िता एवं उसकी मां के चरित्र पर उठाये गये सभी प्रश्नों का उचित खण्डन किया जा रहा है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 द्वारा दिये साक्ष्य की पुष्टि उनके बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० से होती है, जो अभियुक्त की दोषिता की कहानी को निःसंदेह साबित करता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार शुजा के वेजाइनल स्वाब एवं प्लाजो में पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी एवं अभियुक्त के अण्डर वियर, सैण्डो बनियान तथा उसके पहने हुए दुपट्टे एवं शुजा के रक्त नमूना एवं दुपट्टा

में आशिक डी०एन०ए०प्रोफाइल जेनरेट हुआ, जिसे यदि पीड़िता के बयान तथा अन्य साक्षियों के बयान से मिलाकर पढ़ा जाये तो यह निःसंदेह साबित है कि अभियुक्त नान्हू खां द्वारा अपनी पुत्री के साथ अनेको बार बलात्कार किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौखिक साक्षी पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य से यह साबित है कि **शुजा** घटना की तिथि पर अवयस्क थी एवं मौखिक साक्ष्य से यह भी साबित है कि अपने अपराध को छुपाने हेतु अभियुक्त द्वारा पीड़िता, उसके भाई तथा उसकी मां को कईबार धमकी दी गयी एवं उन्हें मारा पीटा गया। याचना की गयी कि अभियुक्त को आरोपित सभी अपराधों में दोषसिद्ध किया जाये।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अपने लिखित बहस में यह कथन किया गया कि अभियुक्त की पत्नी एवं उसकी पुत्री का चाल-चलन ठीक नहीं था, जिसको मना करने के फलस्वरूप अभियुक्त को योजनाबद्ध तरीके से फर्जी फंसा दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की शादी हो चुकी थी परन्तु उसका व्यवहार अपने पति से उचित नहीं था एवं वह ससुराल नहीं जाती थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तथा मात्र अभियुक्त को फंसाने हेतु फर्जी टी०सी० बनवाकर प्रमाणित करा दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 8 एवं पी०डब्लू० 9 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, मात्र अभियुक्त को फंसाने के उद्देश्य से झूठी गवाही दिये हैं। पी०डब्लू० 3 नदीम के विषय में यह कथन किया गया कि नदीम की उम्र मात्र 10 वर्ष है एवं उसके द्वारा मां के दबाव में गलत बयान दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना के सम्बन्ध में किसी भी तारीख एवं समय का उल्लेख नहीं है तथा सम्पूर्ण घटना मात्र बनावटी है। उपरोक्त तर्क रखते हुए अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह याचना की गयी है कि अभियुक्त द्वारा कभी भी अपनी पुत्री के साथ बलात्कार नहीं किया गया है और न तो उसे नाजायज रूप से मारा पीटा गया है और न ही उसे जान से मारने की धमकी ही दी गयी है। याचना की गयी कि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

11- अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता/ न्यायमित्र एवं उपस्थित विशेष अभियोजक (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

12- अभियोजन द्वारा पेश किये गये तथ्यात्मक विन्यास (*Factual matrix*) के अनुसार अभियुक्त नान्हू खां द्वारा "शुजा" (पीड़िता का काल्पनिक नाम) जो उसकी अवयस्क नैसर्गिक पुत्री है, के साथ लगभग दो वर्ष से उसकी इच्छा के विरुद्ध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार किया गया। प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष विधायन किया गया है। पाक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बालको का संरक्षण एवं उनसे सम्बन्धित यौन अपराधों को कठोरतम दण्ड से दण्डित करने का है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नान्हू खां के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 5p/6 बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में भी आरोप विरचित किया गया। धारा 5p/6 बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 वहां पर आकर्षित होता है **जहां**

जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजनपक्ष को अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की कमियों का कोई भी लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता, अर्थात् विचारण प्रारम्भ होने के साथ ही न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है जब कि पाक्सो अधिनियम 2012, सामान्य दण्ड विधि शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सो अधिनियम की धारा -29 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त को दोषी होने की उपधारणा किये जाने एवं धारा-30 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

धारा-29 इस प्रकार है।

कतिपय अपराधो के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा-3, धारा-5, धारा-9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक की इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

धारा-30 इस प्रकार है:-

आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा -(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उनकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

इस प्रकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना एवं अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु न्यायालय बाध्य है। अधिनियम के प्रावधान, आज्ञापक है, किन्तु यह उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य से अथवा प्रस्तुत साक्षियों के आधार पर इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

13- धारा 354(1)(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सापेक्ष में प्रकरण में साक्ष्य के बेहतर सम्प्रेक्षण हेतु निम्नलिखित विनिश्चयात्मक बिन्दु (मुख्य अवधारित बिन्दु) विरचित किये जाते हैं-

1- क्या अभियुक्त नान्हू खां द्वारा दिनांक 23-08-2021 एवं इससे पूर्व विगत कई तिथियों पर अपनी नैसर्गिक अवयस्क पुत्री शुजा के साथ अपने घर में लगातार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला /बलात्कार किया गया?

2- क्या अभियुक्त नान्हू खां द्वारा उपरोक्त कुकृत्य करने से पूर्व या करने के उपरान्त ऐसा प्रयोजन किया गया जिससे कि उसका कुकृत्य/अपराध छुपा रहे एवं किसी को पता न चले?

विनिश्चयात्मक बिन्दुओं का निस्तारण/साक्ष्यों का सम्प्रेक्षण/विमर्श/निष्कर्ष

14- विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-1 का निस्तारण-

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त नान्हू खां द्वारा दिनांक 23-08-2021 एवं इससे पूर्व विगत कई तिथियों पर अपनी नैसर्गिक अवयस्क पुत्री शुजा के साथ अपने घर में लगातार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार किया गया?

उपरोक्त विनिश्चयात्मक बिन्दु के सुलभ निस्तारण हेतु उसे खण्डों में विभाजित करना समीचीन पाता हूँ।

a- तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट-

अभियोजन द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर को साबित कराने हेतु प्रथम सूचक पी०डब्लू० 1 हशरत जहां को परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि "अपनी बेटी/पीडिता से इस बात की जानकारी होने पर उसने बेटी के बताने के अनुसार घटना के बारे में एक तहरीर एक व्यक्ति से लिखायी थी। लिखने वाले ने तहरीर लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाया व समझाया था, फिर उसने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर बनाया था। इस तहरीर को लेकर अपनी बेटी के साथ वह थाने गयी थी जिसके आधार पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। शामिल पत्रावली, तहरीर पर बने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करती है जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया।" अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि तहरीर गांव के बब्लू से लिखाकर अपनी बेटी/पीडिता के साथ थाने पर गयी थी। उपरोक्त साक्षी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर को स्वयं प्रेषित किये जाने के कथन किये जा रहे हैं तथा तहरीर लेखक बब्लू का भी स्पष्ट नाम लिया जा रहा है। प्रकरण से सम्बन्धित एफ०आई०आर० लेखक को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित कराया गया। उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 6 हेड कान्सटेबिल श्याम नारायण यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि "दिनांक 25-08-2021 को वह थाना सुजौली जनपद बहराइच में हेड कांस्टेबिल के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादिनी मुकदमा हशरत जहां की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 122/2021 अन्तर्गत धारा-376(3),323,506 भा०दं०सं० व धारा 5p/6 पॉक्सो ऐक्ट, उसके द्वारा सी०सी० टी०एम०एस० सिस्टम पर कार्यरत कांस्टेबिल बब्लू को, तहरीर अक्षरशः बोलकर पंजीकृत कराया गया था। यह भी कथन किया गया कि मुकदमा उपरोक्त का इन्द्राज कायमी जी०डी० में जी०डी० रपट संख्या-22 दिनांक 25-8-2021 को समय 12:01 बजे कम्प्यूटर के

द्वारा ही तैयार किया गया था"। उपरोक्त साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-6 एवं कायमी जी०डी०को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि एफ०आई०आर०दर्ज कराने वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता आयी थी। वादिनी मुकदमा थाने पर 12.00 बजे आयी थी। एफ०आई० आर० 12.12 मिनट पर अंकित की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा आयी थी और तहरीर दिया था और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पी०डब्लू० 1 द्वारा तहरीर दिये जाने के तथ्य को साबित किया जा रहा है तथा यह भी साबित किया गया कि तहरीर दिनांक 25-08-2021 को समय 12.00 बजे दी गयी जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पत्रावली पर मूल तहरीर प्रदर्श क-1 उपलब्ध है जिसमें प्रथम सूचक पी०डब्लू० 1 हशरत जहां के हस्ताक्षर है एवं उसमें वही तथ्य उल्लिखित है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 एवं कायमी जी०डी०प्रदर्श क-7 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-08-2021 को समय 12.01 मिनट पर पंजीकृत की गयी। जहां तक पी०डब्लू० 6 का अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 12.12 मिनट पर अंकित की गयी, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के वास्तविक समय से 11.00 मिनट भिन्न है अर्थात् तुच्छ भिन्नता है जो किसी भी दशा में पी०डब्लू० 6 एफ०आई०आर०लेखक के साक्ष्य, जो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के समय के बावत दिये है, को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा को पीड़िता के साथ हो रही घटना की जानकारी दिनांक 23-08-2021 को हो गयी परन्तु उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-08-2021 को दर्ज करायी गयी जो विलम्ब दर्शाती है एवं संदेह उत्पन्न करती है। इसके विपरीत विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा को घटना की जानकारी होने के एक दिन उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित की गयी, प्रकरण वादिनी मुकदमा के पति एवं उसकी पुत्री से सम्बन्धित था जो इतना संवेदनशील था, जिसे कोई भी सामान्य नागरिक समाज के समक्ष लाने में या तो हिचकिचायेगा या अगर हिम्मत करके कारित अपराध को बाहर लाने का प्रयास करेगा तो थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। यह तर्क रखते हुए अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह बहस पेश की गयी कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में हुआ विलम्ब स्वाभाविक है जो किसी भी दशा में घटना या अभियोजन कहानी को संदेहास्पद नहीं बनाता है। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आये साक्ष्य का अगर सम्प्रेक्षण किया जाये तो यह कहना समीचीन है कि वादिनी मुकदमा के अनुसार उसको अपनी पुत्री के साथ हो रही घटना की जानकारी दिनांक 23-08-2021 को हुई जब उसने स्वयं अपनी आंखों से अभियुक्त को अपनी पुत्री के कपड़े उतारते हुए देखा एवं अपनी पुत्री के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची एवं तदोपरान्त उसके द्वारा जब अपनी पुत्री से जानकारी ली गयी तो उसे सम्पूर्ण घटना का पता चला। एक

मां जिसको यह सूचना मिले कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही पति एवं उसकी पुत्री के नैसर्गिक पिता ने ही लगातार बलात्कार किया हो, एक मां एवं एक पत्नी की मानसिक स्थिति पर कैसा प्रतिकूल असर डालेगी, इसको समझ पाना आसान नहीं है। निर्विवाद रूप से वादिनी मुकदमा के साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी जो उसे भयभीत भी की होगी एवं उसके लिए यह स्थिति अविश्वसनीय भी रही होगी एवं अपने पति के विरुद्ध शिकायत करने में उसे अत्यधिक हिम्मत एवं मानसिक बल की आवश्यकता पड़ी होगी, ऐसी स्थिति में यदि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में एक दिन का समय लिया गया है तो वह किसी भी दशा में ऐसा विलम्ब नहीं माना जा सकता है जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना दे। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा दौरान बहस यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में न ही घटना की तिथियों का विवरण है और न ही घटना के समय का, ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपूर्ण है जो विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक-1 के अनुसार दिनांक 23-08-2021 को वादिनी मुकदमा की पुत्री रात में समय करीब 11.30 बजे बिस्तर पर सो रही थी, अचानक वादिनी मुकदमा का पति आया और अपनी पुत्री के कपड़े उतारने लगा, जिस पर वह चिल्लायी और वादिनी मुकदमा जब मौके पर पहुंची तो उसका पति भाग गया। उसकी पुत्री द्वारा उसे बताया गया कि उसका पिता उसके साथ लगभग दो साल से बलात्कार कर रहा है, विरोध करने पर जानमाल की धमकी देकर मारता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 23-08-2021 एवं इससे पूर्व कई तिथियों की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 23-08-2021 को समय 11.30 बजे प्रस्तुत प्रकरण में शुजा के साथ हो रही विभत्स घटना का खुलासा हुआ, ऐसे में प्रस्तुत प्रकरण में जब घटना पिछले दो साल से लगातार हो रही है तो घटना का निश्चित समय एवं निश्चित दिन महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां परीक्षित हुई एवं उसने अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया कि उसकी बेटी रात में बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक उसने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह जग गयी और वह उसके बिस्तर के पास पहुंची तो उसने देखा कि नान्हू उसकी बेटी के कपड़े उतार रहा था। उसकी बेटी के बताने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि पिछले दो वर्ष से नान्हू उसके साथ बलात्कार कर रहा है, ऐसे में पी०डब्लू० 1 द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के अनुसार भी घटना दिनांक 23-08-2021 एवं इससे पूर्व कई तिथियों की है। प्रथम सूचक पी०डब्लू० 1 के मौखिक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त को अपने आंखों से उसकी पुत्री के कपड़े उतारते हुए देखा एवं उसकी पुत्री के बताने पर ही उसे सम्पूर्ण घटना चक्र की जानकारी हुई, ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसका मात्र उद्देश्य यही होता है कि वह फौजदारी विधि को अग्रसारित करती है, में अगर घटना एवं उससे सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध हो तो वह किसी भी दशा में अपूर्ण नहीं मानी जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम, उसके द्वारा कारित कृत्य का विवरण, अभियुक्त का आचरण तथा स्वयं पीड़िता का

आचरण एवं अभियुक्त द्वारा कारित कुकृत्य के खुलासे के दिन एवं समय का स्पष्ट उल्लेख है, जो प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित फौजदारी विधि को अग्रसारित करने में सक्षम थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विधि व्यवस्था- **भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 SCC 537** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि- *The FIR is not the encyclopedia of all the facts relating to crime. The only requirement is that at the time of lodging FIR, the informant should state all those facts which normally strike to mind and help in assessing the gravity of the crime or identity of the culprit briefly.* उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धान्त के अनुरूप भी प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी महत्वपूर्ण तथ्य विद्यमान है, ऐसे में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपूर्ण है तथा संदेहास्पद है। घटना क्योंकि विभिन्न तिथियों की है जो एक अवयस्क लड़की के साथ कारित हुई है, ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन सभी तिथियों का विवरण आना या प्रथम सूचिका या उसकी अवयस्क पुत्री से यह अपेक्षा करना कि वह उन सभी तिथियों का स्पष्ट उल्लेख करे, न्याय की मंशा से एक पीड़िता के साथ खिलवाड़ करना होगा। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के सभी तर्क बलहीन हो जाते हैं। उपरोक्त विश्लेषण उपरान्त यह कहना समीचीन है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट निःसंदेह साबित है।

b- प्रथम सूचना की तिथि पर शुजा (पीड़िता का काल्पनिक नाम) की उम्र

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप भी विरचित किया गया है और शुजा की उम्र लगभग पन्द्रह वर्ष बतायी गयी है अतः शुजा की उम्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त नान्हू खां की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा अपने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है एवं मात्र अभियुक्त को फंसाने हेतु अभियोजन द्वारा शुजा का फर्जी टी०सी० प्रमाणित करा दिया गया है। इस तर्क को साबित करने हेतु अभियुक्त नान्हू खां द्वारा कोई भी मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना के दिन शुजा की उम्र लगभग 15 वर्ष होना बताया जा रहा है। प्रथम सूचक पी०डब्लू० 1 हशरत जहां द्वारा प्रेषित तहरीर प्रदर्शक-1 में अपनी पुत्री शुजा की उम्र लगभग पन्द्रह वर्ष होना अभिवचित किया गया है। सुस्थापित विधि व्यवस्था - **(2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 637, महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य तथा (2015) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 773, मध्य प्रदेश बनाम अनूप सिंह** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार पीड़िता की घटना की तिथि पर आयु के निर्धारण में उन्हीं सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायेगा जिनका अनुसरण बाल अपचारी की आयु के निर्धारण के समय किया जाता है अर्थात् घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र का निर्धारण उसी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा जैसा कि

-*Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules 12(3)* में दिया गया है। अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना के दिन पर शुजा की उम्र लगभग 15 वर्ष थी। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचना के दिन से लगभग दो वर्ष पूर्व से ही विभिन्न तिथियों पर अभियुक्त नान्हू खां ने अपनी नैसर्गिक अवयस्क पुत्री शुजा से बलात्कार किया अर्थात् अभियोजन कथानक के अनुसार शुजा से लगभग तेरह वर्ष की उम्र से ही बलात्कार होता रहा है। शुजा की उम्र को निर्धारित एवं प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा शुजा के प्राथमिक विद्यालय सुजौली के प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह को पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित कराया गया। इन्हीं महोदय द्वारा दौरान विवेचना विवेचक के आग्रह पर शुजा की उम्र के बावत प्रमाण पत्र दिया गया था जो पत्रावली पर संलग्न है। पी०डब्लू० 4 श्रवण कुमार सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि "वह अपने साथ अपने विद्यालय की मूल प्रवेश पंजिका क्रमांक 2023 से 20399 क्रमांक तक का लाया है। मूल प्रवेश रजिस्टर के अनुसार छात्रा पीडिता पुत्री नान्हू अभियुक्त, माता हशरत जहां, निवासी सुजौली, तहसील नानपारा जिला बहराइच का प्रवेश विद्यालय में दिनांक 11-04-2016 को कक्षा एक में हुआ, जिसका प्रवेश रजिस्टर क्रमांक 2394 पर छात्रा/ पीडिता का नाम अंकित है। पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार छात्रा/पीडिता की जन्मतिथि 10-05-2007 अंकित है। विद्यालय में छात्रा/पीडिता के प्रथम प्रवेश के समय छात्र की जन्मतिथि उसके माता-पिता के बताने के अनुसार लिखी जाती है। छात्रा/ पीडिता ने इस विद्यालय से कक्षा-5 उत्तीर्ण किया था, इसके पश्चात टी०सी० दिनांक 06-09-2021 को निर्गत किया जाना अंकित है। शामिल मिसिल पीडिता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र उसके सामने है, जिसे उसने विद्यालय के मूल अभिलेख के आधार पर निर्गत किया है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है। यह भी कथन किया गया कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र में पीडिता की जन्मतिथि 10-05-2007 (दस मई सन् 2007) अंकित है, जो विद्यालय के मूल अभिलेख के अनुसार है। यह भी कथन किया गया कि इस प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं, जिसकी वह पुष्टि करता है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-4 डाला गया है।" यह भी कथन किया गया कि आज वह विद्यालय के प्रवेश पंजिका की छाया प्रति स्व प्रमाणित करके न्यायालय में दाखिल कर रहा है, जो मुताबिक असल है। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया जो इस साक्षी के साक्ष्य एवं उसके द्वारा दाखिल अभिलेख पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न करता हो। पत्रावली पर पी०डब्लू० 4 द्वारा दाखिल शुजा के स्कूल की पंजीयन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति A-23 के रूप में उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि पी०डब्लू० 4 द्वारा की गयी है एवं जिसके प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि क्रम संख्या- 2394 पर शुजा का वास्तविक नाम, उसके पिता एवं माता का नाम, उसका पता एवं उसकी जन्मतिथि अंकित है। पंजीयन रजिस्टर के अनुसार शुजा की जन्मतिथि 10-05-2007 है। पत्रावली पर पी०डब्लू० 4 द्वारा विवेचक को शुजा की उम्र के बावत उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श क-4 के रूप में उपलब्ध है

जिसे स्वयं पी०डब्लू० 4 द्वारा साबित किया गया है एवं जिसमें शुजा की जन्मतिथि 10-05-2007 ही होना अंकित है। शुजा के साथ हुई घटना की प्रथम सूचना दिनांक 23-08-2021 को थाने पर दी गयी। उक्त प्रथम सूचना की तिथि एवं शुजा की साबित जन्मतिथि का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो **यही निष्कर्ष निकलता है कि शुजा की उम्र प्रथम सूचना के दिन चौदह वर्ष तीन माह तेरह दिन थी अर्थात शुजा प्रथम सूचना के दिन अवयस्क थी।** उपरोक्त तथ्य यह भी प्रमाणित करता है कि जब शुजा प्रथम सूचना के दिन ही पन्द्रह वर्ष से कम थी तो स्वाभाविक है कि वह इससे पूर्व की तिथियों पर अवयस्क रही होगी एवं इस उम्र से भी कम उम्र की रही होगी। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रधानाध्यापक द्वारा शुजा की जन्मतिथि उसके मां एवं पिता के बताने पर ही विद्यालय प्रवेश के समय पंजीयन रजिस्टर में अंकित की गयी है जिसका आधार कोई ठोस अभिलेख नहीं है, ऐसे में शुजा की उम्र चौदह वर्ष तीन माह तेरह दिन मानना उचित नहीं है। उपरोक्त पर न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार शुजा की जन्मतिथि साबित की गयी है। दौरान साक्ष्य प्रधानाध्यापक द्वारा पंजीयन पंजिका के मूल अभिलेख से ली गयी प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है एवं स्वयं द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की पुष्टि करते हुए शुजा की जन्मतिथि 10-05-2007 होना साबित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था-**विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006(54)ACC 554 (SC)** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि- *The best evidence to prove the date of birth of rape victim is the evidence of the father and mother and their evidence would prevail over expert opinion. Expert opinion is only to assist the court and of an advisory character only and would not be binding on the witness of fact.* उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार भी यदि शुजा की जन्मतिथि उसके माता एवं पिता के बताने के अनुसार विद्यालय के प्रवेश पंजिका एवं पंजीयन रजिस्टर में अंकित की गयी है तो वह किसी भी दशा में गलत नहीं मानी जा सकती। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते हैं। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा शुजा की उम्र 18 वर्ष होना बतायी जा रही है जिसका खण्डन अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी होता है। स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष होना बतायी गयी है अर्थात अभियुक्त स्वयं शुजा को अवयस्क मान रहा है। साबित साक्ष्य के अनुसार भी शुजा अवयस्क है एवं उसकी उम्र प्रथम सूचना के दिन चौदह साल तीन माह तेरह दिन होना प्रमाणित है, तदनुसार खण्ड (b) निस्तारित किया जाता है।

c- घटना स्थल/ शुजा के साथ हुई घटना/अभियुक्त नान्हू खां की घटना में संलिप्तता/अभियुक्त नान्हू खां का आचरण ।

घटना स्थल-

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा ने बिस्तर पर अभियुक्त को शुजा के कपड़े उतारते हुए देखा गया। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां/वादिनी मुकदमा परीक्षित हुई एवं अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना वाली रात को वह अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर सो रही थी एवं शुजा के चिल्लाने पर जब वह उसके बिस्तर पर पहुंची तो अभियुक्त को उसने शुजा के कपड़े उतारते हुए देखा। इस साक्षी के अनुसार इसने अभियुक्त को अपने घर में ही अपनी पुत्री के कपड़े उतारते हुए देखा। शुजा पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित हुई एवं अपनी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा यह कथन किया गया कि प्रथम बार हुए लाकडाउन से पूर्व वह घर में नहा रही थी अचानक उसके पिता आ गये और उसकी नंगी फोटो खींच ली। यह भी कथन किया कि जब उसकी मम्मी घर पर नहीं रहती थी तो इसका फायदा उठाकर नान्हू उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था। इस साक्षी जो कि प्रकरण की पीड़िता है, के अनुसार भी उसके साथ बलात्कार की घटनाएं उसके घर में ही कारित हुईं। पी०डब्लू० 3 के रूप में शुजा का भाई नदीम परीक्षित हुआ जिसने यह कथन किया कि उसके मौखिक साक्ष्य से तीन महीने पहले उसकी मां घर पर नहीं थी एवं वह अपनी छोटी बहन के साथ बाहर खेल रहा था कि उसके पिता (अभियुक्त नान्हू खां) आया और शुजा का हाथ पकड़ कर कमरे में ले गया और कमरा अन्दर से बन्द कर लिया एवं नदीम द्वारा जब खिड़की में लगे ईट के छेद से कमरे के अन्दर देखा गया तो यह पाया गया कि अभियुक्त नंगा था और शुजा को भी नंगा कर रखा था और शुजा के साथ गलत काम कर रहा था। इस साक्षी के अनुसार भी शुजा के साथ हुई बलात्कार की घटना का स्थल शुजा / अभियुक्त का घर ही है। विवेचक पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित हुए एवं उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल की नक्शा नजरी तैयार किये जाने के कथन किये गये। विवेचक ओम प्रकाश चौहान द्वारा घटना स्थल की **नक्शा नजरी** को **प्रदर्श क-8** के रूप में साबित किया गया है। प्रदर्श क-8 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें विवेचक द्वारा **ए-स्थान** से अभियुक्त का मकान दिखाया जा रहा है तथा वहीं पर शुजा के कपड़े उतारना दर्शाया जा रहा है। **बी-स्थान** जो अभियुक्त के मकान का प्रथम कमरा है, वहां पर शुजा के साथ कईबार बलात्कार किया जाना दर्शाया जा रहा है। कमरा नं० 2 जिसको **सी- स्थान** से दर्शाया गया है, पर भी कईबार बलात्कार की घटना कारित किया जाना नक्शा नजरी में दर्ज है। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा विवेचक से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया गया कि जहां पर बार-बार बलात्कार करना बताया जा रहा है उस कोठरी में कोई तख्त नहीं था तथा उस कमरे में बकरी बांधने के निशान था तथा पूरा कमरा खाली था एवं बाथरूम नहीं था। विवेचक द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्य तथा उसके द्वारा तैयार की गयी नक्शा नजरी यह निःसंदेह प्रमाणित करती है कि विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं उसे घटना स्थल की जानकारी है एवं उसके अनुसार भी घटना स्थल शुजा/अभियुक्त का घर ही है। उपरोक्त समस्त परीक्षित साक्षियों

द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से घटना स्थल अभियुक्त/शुजा का घर में स्थित कमरा होना निःसंदेह रूप से साबित किया गया है।

शुजा के साथ हुई घटना/अभियुक्त नान्हू खां की घटना में संलिप्तता

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के अनुसार शुजा के साथ उसके नैसर्गिक पिता ने दिनांक 23-08-2021 एवं इससे पूर्व विभिन्न कई तिथियों पर जो लगभग दो साल की है, बलात्कार किया। मामला बहुत ही संवेदनशील था, ऐसे में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य का सम्प्रेक्षण भी संवेदनशीलता से करना होगा। मुझ पीठासीन अधिकारी से भी यह अपेक्षा है कि प्रकरण की संवेदनशील तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षी जो कि प्रस्तुत प्रकरण में एक ही घर के तीन व्यक्ति हैं तथा एक ही गांव के पांच व्यक्ति हैं, के साक्ष्य का उच्चतम मूल्यांकन करें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था-उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह, ए०आई०आर० 1988 में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि-

"It is the duty of the court to cull out the nuggets of truth from the evidence unless there is reason to believe that the inconsistencies or falsehood are so glaring as utterly to destroy confidence in the witnesses. It is necessary to remember that a Judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also preside to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties which the Judge has to perform."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय के अग्रतर भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का न्यायसंगत सम्प्रेक्षण किया जाना समीचीन समझता हूँ।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु तथ्य के पांच साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जो निम्नवत् है-

- (1) पी०डब्लू० 1 हशरत जहां/वादिनी मुकदमा जो शुजा की मां है एवं अभियुक्त की पत्नी एवं जिसे चक्षुदर्शी साक्षी भी कहा जा सकता है।
- (2) पी०डब्लू० 2 स्वयं पीड़िता जिसे इस निर्णय में शुजा के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
- (3) पी०डब्लू० 3 नदीम जो शुजा का भाई है एवं अभियुक्त का पुत्र है, एवं जिसे चक्षुदर्शी साक्षी भी कहा जा सकता है।
- (4) पी०डब्लू० 8 अब्दुल सलाम जो पीड़ित पक्ष तथा अभियुक्त के गांव के है तथा स्वतन्त्र साक्षी है।

(5) पी०डब्लू० 9 नईम जो पीड़ित पक्ष तथा अभियुक्त के गांव के है तथा स्वतन्त्र साक्षी है।

बलात्कार जैसे मामले में हमेशा यह देखा गया है कि अपराधी गोपनीयता से अपनी कामवासना की पूर्ति हेतु अपने कुकृत्य को अंजाम देता है एवं ऐसे प्रकरण में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसमें पीड़िता के साथ हुई बलात्कार जैसी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी है, ऐसे में तथ्य के उपरोक्त सभी साक्षियों द्वारा बलात्कार की घटना के बावत दिये गये साक्ष्य का पृथक-पृथक सम्प्रेक्षण/मूल्यांकन तथा उन साक्षियों के परिप्रेक्ष्य में आये विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर भी मत देना उचित प्रतीत होता है, ऐसे में इस उपखण्ड को निम्नलिखित उपखण्डों में विभाजित कर साक्ष्य सम्प्रेक्षण करना एवं उसपर अपना मत देना समीचीन समझता हूँ।

(a) चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य का सम्प्रेक्षण-

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 जो कि अभियुक्त की पत्नी एवं शुजा की मां है तथा इस प्रकरण की प्रथम सूचिका है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि "घटना को एक माह से ज्यादा हो रहा है। घटना वाली रात को वह अपने परिवार के साथ अपने घर में खाना पीना खाकर सो रही थी, अचानक उसने अपनी बेटी/ पीड़िता की चिल्लाने की आवाज सुनी, वह जग गयी। वह उसके बिस्तर के पास पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी/ पीड़िता के कपड़े उसका पति नान्हू उतार रहा था। उसकी बेटी का कपड़ा जबरदस्ती उतारने के कारण ही उसकी लड़की चिल्लाई थी। जब वह अपनी बेटी/पीड़िता के पास पहुंची तो उसको देखकर उसका पति नान्हू मौके से भाग गया। उसकी बेटी/पीड़िता ने रोते हुए उससे बताया कि अम्मा मेरे पापा मेरे साथ लगभग दो साल पहले से जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार करते रहे हैं। जब वह विरोध करती थी तो उसको मारते थे।" अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि "पीड़िता के चिल्लाने पर वह पीड़िता के पास पहुंच गयी थी। उसके पहुंचने पर नान्हू वहां से भाग गया था। यह भी कथन किया कि उसके सामने पीड़िता का कपड़ा उतारा था और नान्हू उसका दुप्पट्टा लपेटे था। निकाह के बाद पीड़िता अपने ससुराल गयी थी। निकाह के दूसरे दिन पीड़िता को वह सभी लोग उसकी ससुराल से वापस ले आये थे। इसके बाद केवल एक बार पीड़िता ससुराल गयी थी और दो तीन दिन रुकी थी और उसका पति नान्हू, उसको ससुराल से ले आया था। यह भी कथन किया कि नान्हू को गलत काम करते हुए उसने अपनी आँखों से देखा है।" इस साक्षी के अनुसार इसने अभियुक्त नान्हू खां को शुजा के कपड़े उतारते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा। शुजा द्वारा बताये गये तथ्य कि उसके पिता ने उसके साथ लगभग दो साल से धमकी देकर बलात्कार किया है, का भी स्पष्ट उल्लेख इस साक्षी द्वारा किया जा रहा है एवं यह तथ्य जो शुजा द्वारा अपनी मां को बताये गये वह धारा-6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य है क्योंकि वह पूरी घटना के एक ही संव्यवहार के भाग है तथा आपस में सम्बन्धित है। मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए इस साक्षी से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पिछले दो साल में ऐसा रहा है कि पीड़िता

एवं उसके पिता घर में अकेले रहे हो तो इस साक्षी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि जब वह महिला समूह में बुद्धवार को जाती थी तब पीड़िता व उसके पिता घर पर अकेले रहते थे। अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र द्वारा ऐसा कोई भी प्रश्न इस साक्षी से नहीं पूछा गया जो इस साक्षी के साक्ष्य में अन्तर्विरोध प्रकट करता हो या इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता हो। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा अपने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त बम्बई रहता था एवं उसकी पत्नी का चाल-चलन खराब था एवं उसने जब सुधारने का प्रयास किया तो उसकी पत्नी ने उसे झूठा फंसा दिया। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आये साक्ष्य का परिशीलन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन द्वारा पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त से सम्बन्धित उन्हीं के गांव के दो व्यक्ति अब्दुल सलाम एवं नईम को परीक्षित कराया। पी०डब्लू० 8 अब्दुल सलाम द्वारा दौरान साक्ष्य मुझ पीठासीन अधिकारी के पूछने पर यह कथन किया गया कि अभियुक्त नान्हू की पत्नी के आचरण एवं व्यवहार में उसने कोई गलत चीज नहीं देखी। पी०डब्लू० 9 नईम द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि नान्हू की पत्नी न तो बदचलन थी और न ही नान्हू की बेटा ही बदचलन थी। उपरोक्त दोनो साक्षी वादिनी मुकदमा एवं अभियुक्त के गांव के हैं, जो स्वतन्त्र साक्षी हैं एवं दोनो के द्वारा वादिनी मुकदमा के आचरण एवं चरित्र को उचित बताया जा रहा है। एक ही गांव का होने के कारण यदि कभी भी उपरोक्त व्यक्तियों को वादिनी मुकदमा के आचरण एवं चरित्र के बावत कोई संदेह होता तो इसका विवरण कदापि उनके द्वारा अपने साक्ष्य में दिया जाता, परन्तु उनके द्वारा वादिनी मुकदमा के आचरण एवं चरित्र के बावत कोई भी नकारात्मक तथ्य नहीं बताये गये। अभियुक्त नान्हू खां का बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० अंकित हुआ एवं मेरे द्वारा उससे यह प्रश्न पूछा गया कि उसका, उसकी पत्नी से कैसा सम्बन्ध है तो उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि उसका, उसकी पत्नी से सम्बन्ध ठीक-ठाक है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० में किये गये अन्य कथनों में अपनी पुत्री के चरित्र एवं आचरण पर प्रश्न-चिन्ह लगाये गये हैं, परन्तु अपनी पत्नी के चरित्र के बावत कोई भी आरोप नहीं लगाये गये। यदि उसकी पत्नी का चरित्र खराब होता तो अभियुक्त द्वारा यह तथ्य न्यायालय को अपने बयान में बताया जाता। अभियुक्त का अपनी पत्नी से सम्बन्ध ठीक-ठाक होने के कथन करना स्वतः इस तथ्य का प्रमाण है कि अभियुक्त की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अपनी पत्नी से नहीं थी और न ही उसकी पत्नी के आचरण एवं चरित्र में कुछ भी नकारात्मक था, ऐसे में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते हैं। पी०डब्लू० 1 द्वारा दिये गये साक्ष्य की विश्वसनीयता तब और बढ़ जाती है जब उसके द्वारा जो कुछ भी देखा गया उसी का उल्लेख किया जा रहा हो। पी०डब्लू० 1 का यह कहना कि उसने अपने पति को शुजा के कपड़े उतारते हुए देखा था एवं अन्य तथ्यों का विवरण अर्थात् पूर्व तिथियों में की गयी वास्तविक बलात्कार की घटना का विवरण अपनी पुत्री के बताने पर देना इस तथ्य का प्रमाण है कि वादिनी मुकदमा के कथनों में कुछ भी झूठा नहीं है एवं वह सच बोल रही है। वादिनी मुकदमा पी०डब्लू० 1 द्वारा दिये गये साक्ष्य सम्प्रेक्षण उपरान्त

निम्नलिखित तथ्य साबित होते हैं-

- (1) पी०डब्लू० 1 हशरत जहां द्वारा अभियुक्त नान्हू को शुजा के कपड़े उतारते हुए देखा गया।
- (2) अभियुक्त नान्हू खां मौके से भाग गया।
- (3) शुजा द्वारा पी०डब्लू० 1 को वह सभी तथ्य जो इस घटना के संव्यवहार के भाग हैं, बताया गया जिसको पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है।
- (4) वादिनी मुकदमा के चरित्र एवं आचरण में कुछ भी नकारात्मक नहीं है जो उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाये।

(b) पीड़िता शुजा द्वारा दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण-

इस प्रकरण की पीड़िता एक चौदह वर्षीय अवयस्क लड़की है जिसने अपने नैसर्गिक पिता पर ही उससे अनेको बार बलात्कार किये जाने के गम्भीर कथन किये हैं। यह एक अदभुत प्रकरण है जिसके अदभुत तथ्य हैं। पी०डब्लू० 2 जो कि इस प्रकरण की पीड़िता है, को इस निर्णय में काल्पनिक नाम शुजा से सम्बोधित किया गया है। शुजा एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ नकाबिले शिकस्त होता है। इस काल्पनिक नाम को देने का उद्देश्य मात्र इतना था कि एक पुत्री जिसने अपने पिता के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप लगाये हैं वह वास्तव में कितनी हिम्मतवाली होगी। आरोप की प्रकृति ऐसी है जो सामान्य मनुष्य की मानसिक स्थिति को हिला दे। शुजा द्वारा अपने पिता के विरुद्ध उसका अनेको बार बलात्कार किये जाने के आरोप लगाये गये हैं। शुजा पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित हुई एवं उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि- "इस मुकदमें का अभियुक्त नान्हू उसका सगा पिता है। वह कक्षा पांच तक पढ़ी है। उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। प्रथम बार हुए लॉकडाउन से पूर्व वह घर में नहा रही थी। उसके पिता नान्हू एकदम से आ गये। उस समय घर में कोई नहीं था। उस समय उन्होंने बिना कपड़ों की नंगी उसकी फोटो अपने मोबाइल से खींच लिया और इसके बाद उस नंगी फोटो को उसे दिखाकर ब्लैकमेल कर उसको डरा धमका कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार करते समय नान्हू लिंग पर सफेद जैसी चीज प्लास्टिक की चढ़ा लेता था जिसका वह नाम नहीं जानती है और उसको लगाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया करता था। इसके बाद जब उसकी मम्मी घर पर नहीं रहती थी तब उसका फायदा उठाकर नान्हू उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था और हर बार अपने लिंग पर कुछ चढ़ा लेता था। यह भी कथन किया कि उसने उसे बलात्कार करने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह भी कथन किया कि उसके साथ जब नान्हू ने पहली बार बलात्कार किया था तब उसको असहनीय पीड़ा हुई थी और उसके गुप्तांग से खून आ गया था लेकिन नान्हू द्वारा उसको जान से मारने की धमकी के कारण वह इस बात को अपनी मां से नहीं बता पायी थी।" यह भी कथन किया कि प्रथम सूचना वाले दिन के दो दिन पूर्व वाली रात को जब नान्हू उसके कपड़े

जबरदस्ती उतार कर उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था तब वह चिल्लायी तो उसकी मां जाग गयी और मौके पर आ गयी तब नान्हू भाग गया। अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया कि उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स०मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ था। अपनी मुख्य परीक्षा में शुजा ने अपने पिता द्वारा उसके साथ, घर में अनेकोबार बलात्कार किये जाने के कथन किये हैं। शुजा द्वारा यह भी कथन किया गया कि नान्हू बलात्कार करते समय अपने लिंग पर कुछ चढ़ा लेता था जिसका यही आशय है कि अभियुक्त नान्हू द्वारा शुजा के गुप्तांगों में लिंग प्रवेशन कर बलात्कार किया गया। शुजा का यह कहना कि उसके गुप्तांगों से खून निकला था तथा उसे असहनीय पीड़ा हुई थी, इस तथ्य का द्योतक है यह प्रवेशन एक पिता द्वारा कारित गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला था। शुजा द्वारा यह भी कथन किया गया कि जान से मारने की धमकी देने के कारण वह इस घटना को अपनी मां से नहीं बता पायी, जो इस तथ्य का द्योतक है कि अभियुक्त द्वारा शुजा को भयभीत कर एवं धमकी देकर उसके साथ लगातार बलात्कार किया गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 23-08-2021 को नान्हू ने सिर्फ कपड़ा उतारा था कोई गलत काम नहीं किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी और व्यक्ति के साथ सम्बन्ध होना, इस साक्षी द्वारा नकारा जा रहा है। उपरोक्त साक्षी द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य का अगर विश्लेषण किया जाये तो निम्नलिखित तथ्य निकल कर सामने आते हैं।

- (1) अभियुक्त नान्हू ने प्रथम लाकडाउन से पूर्व शुजा की नंगी फोटो खींची। यह बात जब उसने अपनी मां को बतायी तो अभियुक्त ने उसे व उसकी मां को बहुत मारा।
- (2) इसी फोटो को दिखाकर वह उसे ब्लेकमेल कर उसके साथ बलात्कार करता था अर्थात् शुजा के साथ बलात्कार की घटनाएं अप्रैल 2020 के पूर्व (प्रथम लाकडाउन की तिथि) से ही शुरू हो गयी थी।
- (3) यह कृत्य वह तब करता था जब शुजा की मां एवं अभियुक्त की पत्नी पी०डब्लू० 1 हशरत जहां घर पर न रहती हो।
- (4) पहली बार जब अभियुक्त द्वारा शुजा से बलात्कार किया गया तो उसे असहनीय पीड़ा हुई और उसके गुप्तांगों से खून आया।
- (5) अभियुक्त बलात्कार करते समय प्लास्टिक जैसी कोई चीज अपने लिंग पर चढ़ाता था और बलात्कार करने के उपरान्त शुजा को गोली खिलाता था।
- (6) प्रथम सूचना वाले दिन के दो दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 23-08-2021 को घटना का खुलासा तब हुआ जब अभियुक्त ने शुजा का कपड़ा उतारना शुरू किया जिसके फलस्वरूप वह चिल्लायी और उसकी मां जग गयी तथा अभियुक्त को यह कृत्य करते हुए देख लिया।
- (7) अभियुक्त द्वारा शुजा के साथ कईबार बलात्कार किया गया।
ऐसे संवेदनशील एवं घृणित कृत्य के बावत साक्ष्य अंकित कराते समय मुझ पीठासीन

अधिकारी द्वारा शुजा से कुछ प्रश्न पूछे गये तो उसके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया कि दिनांक 23-08-2021 के पूर्व उसके पिता नान्हू ने उसके साथ अनेको बार बलात्कार किया था। यह भी बताया गया कि जब वह इस तथ्य को अपनी मां से बताने जाती थी तो वह उसको बहुत मारता था एवं इसी डर के कारण बलात्कार वाली शिकायत उसने पहले नहीं की थी। उसके द्वारा मुझ पीठासीन अधिकारी के पूछने पर यह भी बताया गया कि अभियुक्त नान्हू उसके साथ तब बलात्कार करता था जब उसके भाई बहन पढ़ने चले जाते थे और मां बकरी चराने चली जाती थी। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां के मौखिक साक्ष्य के अनुसार उसके सात बच्चे हैं, जिसमें से दो बड़े बच्चे बाहर रहते हैं। बाकी बच्चे घर पर रहते हैं। इन सात बच्चों में से तीन लड़कियां हैं जिसमें से एक शुजा है। अभियुक्त नान्हू खां द्वारा दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में भी यह कथन किया गया कि उसके सात बच्चे हैं जिसमें से दो बड़े बच्चे बाहर रहते हैं। शुजा के अतिरिक्त अपने अन्य बच्चों की उम्र दस साल, तीन साल तथा एक बेटी के गोद में होने का कथन किया जा रहा है, तात्पर्य यह है कि घर में अन्य बच्चे जो शुजा के साथ रहते थे उससे भी छोटे थे, जिनका स्कूल जाकर पढ़ना एवं घर के बाहर खेलना स्वाभाविक था। अपनी छोटी उम्र के कारण उन बच्चों का अपने घर में उत्पन्न परिस्थितियों को ना समझ पाना भी स्वाभाविक है। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किये हैं कि वह हर हफ्ते महिला समूह की मीटिंग में शामिल होने बुद्धवार को घर से बाहर जाती थी तब शुजा एवं उसके पिता घर पर अकेले रहते थे। उपरोक्त सभी तथ्य यही दर्शाते हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी एवं ऐसी थी जो अभियुक्त नान्हू खां को अवसर प्रदान कर देती थी कि वह अपनी नैसर्गिक पुत्री से ही अपने कामवासना की पूर्ति कर सके। घर में उपस्थित सभी बच्चों का शुजा से कम उम्र का होना, ऐसे में जब शुजा स्वयं तेरह से चौदह वर्ष की रही होगी जिसे स्वयं ही यह समझ नहीं आ रहा होगा कि उसके पिता उसके साथ क्या और क्यों कर रहे हैं, अन्य बच्चों का उसके पिता द्वारा कारित कृत्य को समझना या परिस्थितियों को भांप पाना अत्यन्त कठिन रहा होगा। शुजा द्वारा मुझ पीठासीन अधिकारी के पूछने पर यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि बलात्कार के दौरान उसके अन्दरूनी भाग में चोट आयी थी, अर्थात् शुजा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अभिवचनों का स्पष्ट उल्लेख मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में भी किया गया। दोनों अभिवचनों में पूर्ण समानता है तथा अभियुक्त के कृत्य के बावत एकरूपता से कथन किये जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त के डराने, धमकाने एवं मारने के कारण शुजा अपने साथ हो रही विभत्स घटना का उल्लेख अपनी मां से नहीं कर पायी। शुजा के साक्ष्य से यह भी साबित है कि अभियुक्त द्वारा ऐसे सभी प्रयास किये गये जिससे कि पीड़िता गर्भ धारण न कर सके एवं अभियुक्त का कृत्य बाहर न आ सके। अब यहां यह देखना है कि क्या शुजा के उपरोक्त मौखिक साक्ष्य की सम्पुष्टि उसके बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र० स० से होती है अथवा नहीं। अपने मौखिक साक्ष्य में शुजा द्वारा दौरान विवेचना दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स०को **प्रदर्श क-2** के रूप में साबित किया गया है।

पत्रावली पर शुजा का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स०, प्रदर्श क-2 के रूप में उपलब्ध है। अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० में शुजा ने अभियुक्त नान्हू द्वारा उसकी नहाने के समय नंगी फोटो खींचने, उसे ब्लेकमेल करने, उससे सम्बन्ध बनाने, सम्बन्ध बनाते समय डण्डा लेकर सोने ताकि वह न चिल्लाये, मां के घर में अनुपस्थिति के समय सम्बन्ध बनाने, फोटो खींचने वाले कृत्य को मां से बताने पर अभियुक्त द्वारा शुजा एवं उसकी मां को मारने, एक दिन अभियुक्त द्वारा उसके कपड़े उतारते समय शुजा द्वारा चिल्लाना एवं उसकी मां का आना एवं अभियुक्त तथा उसकी मां का झगड़ा होना तथा पांती की टंकी में मार कर डाल देने की धमकी अभियुक्त द्वारा देना जैसे सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है अर्थात् शुजा के मौखिक साक्ष्य उसके बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स०से भी सम्पुष्ट होते हैं एवं दोनों बयानों में पूर्ण समानता है जो शुजा को पूर्ण विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में लाते हैं। शुजा द्वारा दिये गये दोनों बयानों को अगर एकरूपता से पढ़ा जाये तो यह निष्कर्ष देना उचित है कि दोनों बयानों में लेश मात्र का भी अन्तर्विरोध नहीं है और यह स्थिति ऐसी है जो इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर विवश करती है कि शुजा द्वारा दिये गये साक्ष्य परिस्थितियों के अनुरूप हैं जिनपर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शुजा का सम्बन्ध गांव के किसी व्यक्ति से था एवं जिसे मना करने पर अभियुक्त को रंजिशन फंसा दिया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में शुजा का किसी लड़के से सम्बन्ध होने के तथ्य बताये गये तथा इसी कारण उसे रंजिशन फंसाना कहा जा रहा है। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति, महिला अथवा अवयस्क लड़की के चरित्र/आचरण का स्पष्ट ब्यौरा कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ही दे सकता है। अभियोजन द्वारा शुजा के गांव के दो स्वतन्त्र साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा शुजा के बावत यह कथन किया गया कि नान्हू की लड़की का चाल-चलन ठीक था। यह दोनों साक्षी स्वतन्त्र साक्षी हैं जो अभियोजन के कहने पर न्यायालय के समक्ष गवाही देने उपस्थित हुए, ऐसे में जब गांव का तीसरा व्यक्ति किसी अवयस्क बालिका के आचरण को अच्छा बता रहा हो तो वह व्यक्ति जो इतने गम्भीर अपराध में आरोपित हो उसके द्वारा अपनी स्वयं की पुत्री के विरुद्ध उसके चरित्र एवं आचरण को लेकर कहे गये कथन पूर्णरूप से अविश्वसनीय है एवं ऐसी परिस्थिति में मात्र यही निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत होता है कि मात्र अपने अपराध को छुपाने हेतु अभियुक्त द्वारा अपनी स्वयं की पुत्री के चरित्र पर झूठा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। अवलोकनीय यह भी है कि संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता के चरित्र के बावत दिये गये कोई भी नकारात्मक साक्ष्य वैधानिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मात्र कथनों के लिए ही शुजा के चरित्र के बावत ऐसे तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जिसका खण्डन उसी के गांव के दो स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में अभियुक्त द्वारा शुजा के बावत कहे गये कथन स्वतः झूठे हो जाते हैं। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के उपरोक्त

तर्क बलहीन हो जाते हैं। बलात्कार जैसे मामले में पीड़िता के साक्ष्य का महत्व उसी तरह होता है जैसा कि चोटहिल साक्षी का। पीड़िता के एकल साक्ष्य भी अगर अभियुक्त की दोषिता के बावत ठोस एवं बिना किसी अन्तर्विरोध के है तो मात्र पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त की दोषिता सिद्ध मानी जायेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था – राजा बनाम कर्नाटका राज्य (2016) 10 **SCC** 506, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटे लाल, ए०आई०आर० 2011 **SC** 697, संतोष मोलिया बनाम कर्नाटका राज्य (2010) 5 **SCC** 445 एवं मोती लाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2009(67) **ACC** 570 (**SC**) में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि–

"In a case of rape ,testimony of prosecutrix stands at par with that of an injured witness. It is really not necessary to insist for corroboration. If the evidence of the prosecutrix inspires confidence and appears to be credible. An accused can be convicted on the basis of sole testimony of the prosecutrix without any further corroboration provided the evidence of the prosecutrix inspires confidence and appears to be natural and truthful. Woman or girl raped is not an accomplice and to insist for corroboration of the testimony amounts to insult to womanhood. On principle the evidence of victim of sexual assault stands on par with evidence of an injured witness just as a witness who has sustained an injury (which is not shown or believed to be self-inflicted) is the best witness in the sense that he is least likely to exculpate the real offender. The evidence of a victim of a sex-offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroboration in the form of eyes witness account of an independent witness may often be forthcoming in physical assault cases but such evidence cannot be expected in sex offences having regard to the very nature of the offence. It would therefore be adding insult to injury to insist on corroboration drawing inspiration from rules devised by the courts in the western world. If the evidence of the victim does not suffer from any basic infirmity and the "probabilities factor" does not render it unworthy of credence as a general rule, there is no reason to insist on corroboration except from the medical evidence where having regard to the circumstances of the case, medical evidence can be expected to be forthcoming subject to this qualification that corroboration can be insisted upon when a woman having attained majority is found in a compromise position and

there is a likelihood of her having leveled such an accusation on amount of the instinct of self-preservation or when the probability factor is found to be out of tune.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार भी पीड़िता के एकल साक्ष्य यदि विश्वसनीय है तो मात्र उसके साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि यौन अपराधों में चक्षुदर्शी साक्षी का मिलना असम्भव एवं कठिन है, ऐसे में पीड़िता के साक्ष्य को स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा सम्पुष्ट करवाने की अपेक्षा करना उसके साथ अन्याय एवं उसका अपमान करना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में शुजा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध ठोस साक्ष्य दिये गये जिसमें किसी भी प्रकार का अन्तर्विरोध नहीं है एवं उसके साक्ष्य विश्वासनीय हैं। उपरोक्त विधि सिद्धान्त के रहते हुए भी प्रस्तुत प्रकरण ऐसा है जिसमें पीड़िता के साथ हो रहे कुकृत्य का एक चक्षुदर्शी साक्षी भी है। यह चक्षुदर्शी साक्षी कोई और नहीं अपितु शुजा का दस वर्षीय छोटा भाई पी०डब्लू० 3 नदीम है, जिसके द्वारा दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण करना समीचीन समझता हूँ।

(c) पी०डब्लू० 3 नदीम (चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य का सम्प्रेक्षण)–

पी०डब्लू० 3 नदीम जो कि शुजा का सगा भाई है तथा अभियुक्त का नैसर्गिक पुत्र है, को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। यह बालक मात्र दस से ग्यारह वर्ष का है, ऐसे में दौरान साक्ष्य मेरे द्वारा उससे कुछ प्रश्न पूछे गये जिससे कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकू कि क्या यह साक्षी साक्ष्य देने हेतु सक्षम है। मेरे द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर इस साक्षी द्वारा दिया गया, जिससे यही निष्कर्ष निकला कि यह साक्षी बाल साक्षी होने की दशा में भी सक्षम साक्षी है। अवलोकनीय यह है कि यह साक्षी उसी घर का निवासी है जिस घर में शुजा के साथ बलात्कार होना कहा जा रहा है, ऐसे में यह साक्षी इस गम्भीर प्रकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। पी०डब्लू० 3 नदीम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि " पीड़िता उसकी सगी बहन है और अभियुक्त उसका सगा पिता है। यह भी कथन किया गया कि उसके पापा करीब एक वर्ष से उसकी बहन पीड़िता के साथ गलत काम कर रहे थे। उसने तीन चार बार इस घटना को अपनी आँखों से देखा है। यह भी कथन किया कि उसके घर में खिड़की नहीं लगी है। खिड़की की जगह को ईटा लगाकर भर दिया गया है। उसमें से कमरे के अन्दर अच्छी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि खिड़की में लगे हुए ईटे कई जगह से निकल गये हैं। यह भी कथन किया कि आज से करीब तीन महीने पहले वह अपनी छोटी बहन के साथ बाहर खेल रहा था। उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसी समय उसके पापा बाहर से आये और उसकी बहन पीड़िता जो बाहर चारपाई पर बैठी थी उसको पकड़कर घर के भीतर चले गये और कमरा अन्दर से बंद कर लिया। उसने खिड़की में लगे ईटे के छेद से कमरे के अन्दर झांक कर देखा कि उसके पापा अपने कपड़े उतारकर नंगे थे और उसकी बहन पीड़िता को नंगा कर दिया था और उसको अपने नीचे पटक कर जबरदस्ती उसके साथ गलत

काम करते थे। यह भी कथन किया कि यह देखकर वह हडबडा गया और घबडा गया और वह वहां से भागा लेकिन उसके पापा ने उसको झांकते हुए देख लिया था और वह जान गये थे कि उसने उनको उसकी बहन पीडिता के साथ गलत काम करते हुए देख लिया है। वह उसको मारने के लिए दौड़े तब वह अपने नाना के घर जो उसके ही गांव में है, के लिए भागा। पापा ने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और उसको बहुत मारा। उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि तुम इसको क्यों मार रहे हो तो उसने मम्मी से रोते हुए पूरी बात बतायी, तब पापा ने मम्मी को धमकाया और कहा कि ज्यादा बोलोगी तो तुमको भी मार कर गाड़ देंगे। यह भी कथन किया कि इस घटना के पहले भी दो बार अपने पापा को अपनी बहन पीडिता के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हुए देखा और उसने मम्मी को पापा की गलत बात को बताया था, तब उसकी मम्मी ने पापा से पूछा था, तब उसके पापा ने उसकी मम्मी को बहुत मारा था और उसको तथा उसकी बहन पीडिता को भी मारा पीटा था। अपनी मुख्य परीक्षा में दौरान विवेचना मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० दर्ज करवाये जाने के कथन किये जा रहे हैं। इस साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० पत्रावली पर प्रदर्शक-3 के रूप में उपलब्ध है जिसको इस साक्षी द्वारा साबित किया गया है। अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में पी०डब्लू० 3 नदीम द्वारा यह कथन किया गया कि " मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा था । हमने देखा कि हमारे पापा कपड़े उतार कर हमारी बहन शबाना के साथ गंदे काम कर रहे थे। उसके बाद हमारे पापा हमको देख लिये। मुझे पापा मारने के लिए दौड़ाने लगे। हम नाना के यहां भागे। पापा रास्ते में पकड़ लिये। पापा ने मुझे पकड़ कर बहुत मारा । मम्मी ने देखा कि पापा मार रहे हैं तो मम्मी ने पूछा क्यों मार रहे हो इसको। हम मम्मी से बोले कि बहन के साथ गन्दा काम कर रहे थे। मम्मी ने पापा से पूछा ऐसी बात है क्या। पापा ने बोला ज्यादा बोलोगे तो मार के गाड़ देंगे। पापा हम लोगो को बहुत मारते थे। बस यही जानते हैं। अब और कुछ नहीं जानते हैं।"

इस साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में वही कथन किये गये जैसा कि उसके द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि उसने पापा को उसकी बहन के साथ गलत काम करते हुए देखा था। यह भी कथन किया गया कि जब वह इस बात को अपनी मम्मी को बताने चला तो उसके पापा ने उसे मारने के लिए दौड़ा लिया। मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से यह प्रश्न पूछने पर कि उसने क्या देखा तो इस साक्षी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि उसने देखा था कि उसकी बहन व उसके पापा दोनो लोग नंगे थे एवं उसके पापा ऊपर थे तथा बहन नीचे थी तथा उसके पापा बहन के साथ गलत काम कर रहे थे। उपरोक्त साक्षी जो कि एक बाल साक्षी है ने अपने पिता के कृत्यों के बावत स्पष्ट अभिवचन किये हैं। बाल साक्षी होने की दशा में भी उसके साक्ष्य में समानता एवं स्पष्टता है। स्वयं द्वारा देखी गयी परिस्थितियों का स्पष्ट ब्यौरा इस साक्षी द्वारा दिया जा रहा है। मां का घर में न होना, भाई बहनो का बाहर खेलना एवं इसी मौके को देखकर अभियुक्त नान्हू खां द्वारा शुजा को ले जाकर घर के कमरे में बलात्कार करना

के स्पष्ट अभिवचन किये जा रहे हैं। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह भी निकलकर आया कि इस साक्षी द्वारा शुजा के साथ हुए कुकृत्य को स्वयं दो से तीन बार देखा गया जो स्वयं शुजा के वो कथन कि उसके साथ उसके पिता ने अनेको बार बलात्कार किया की पुष्टि करता है। इस साक्षी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया गया कि जब उसने अपने पिता को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा तो वह हड़बड़ा गया और उसे आभास हो गया कि उसके पिता जान गये हैं कि उसने अपने पिता का कृत्य देख लिया है। यह परिस्थिति जो इस साक्षी द्वारा बतायी जा रही है, पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। कोई भी बालक अगर अपने पिता को अपनी ही बहन के साथ बलात्कार/सम्भोग करते हुए देखेगा तो उसका यह दृश्य देखकर हड़बड़ाना अथवा उसकी भाव भंगिमा में परिवर्तन आना पूर्णतया स्वाभाविक है, जो इस साक्षी के साथ हुआ एवं इसी भाव भंगिमा में परिवर्तन के कारण अभियुक्त को यह पता चल गया कि उसके पुत्र ने उसका कृत्य देख लिया है। अवलोकनीय यह भी है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में नदीम से अच्छे सम्बन्ध होने के कथन किये गये हैं, ऐसे में यदि नदीम बिना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के अभियुक्त नान्हू खां के कुकृत्यो का स्पष्ट उल्लेख कर रहा है तो उसका साक्ष्य और विश्वसनीय हो जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा अपने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 3 नदीम बाल साक्षी है तथा अपनी मां के दबाव में गवाही दे रहा है। इस तर्क पर न्यायालय का यह मत है कि पी०डब्लू० 3 नदीम की मां से स्वयं अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में अच्छे सम्बन्ध होने के कथन किये गये हैं, ऐसे में पी०डब्लू० 1 हशरत जहां का बिना किसी कारण अपने पति पर इतना गम्भीर आरोप लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है और न ही प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों में यह भी तर्क संगत माना जायेगा कि नदीम अपनी मां के कहने पर गवाही दे रहा है। एक ही घर के तीन सदस्य उसी घर के एक व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दे रहे हैं, जिसमें से दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अभियुक्त से खून का सम्बन्ध है तथा तीसरा व्यक्ति अभियुक्त नान्हू खां की अर्धनागिनी है। बिना किसी गम्भीर कारण के यह तीनों व्यक्ति अभियुक्त पर ऐसे गम्भीर आरोप लगाये, यह समझ से परे है। उनके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया जो संदेह उत्पन्न करता हो। इसके विपरीत तीनों घर के सदस्यों के साक्ष्य, एकरूपता में समान है एवं अभियुक्त के कुकृत्य को प्रदर्शित करते हैं। एक पत्नी एवं एक पुत्र क्रमशः अपने पति एवं पिता के विरुद्ध जब ऐसे साक्ष्य दे रहे हो, ऐसे में जबकि अभियुक्त स्वयं कह रहा हो कि दोनों से उसके सम्बन्ध ठीक है, ऐसे साक्षियों के बयान को अविश्वसनीय मानना न्याय की हार होगा। जहां तक बाल साक्षियों का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत बाल साक्षी साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था -के०वेंकटेश्वरलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2012 SC 2955 एवं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर, AIR 2010 SC 3071 में भी यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि-

" A child witness is competent to testify u/s 118, Evidence Act.

Tutoring cannot be a ground to reject his evidence. A child of tender age can be allowed to testify if it has intellectual capacity to understand question and give rational answers thereto. Trial Judge may resort to any examination of a child witness to test his capacity and intelligence as well as his understanding of the obligation of an oath. If on a careful scrutiny, the testimony of a child witness is found truthful, there can be no obstacle in the way of accepting the same and recording conviction of the accused on the basis of his testimony."

उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धान्त का अगर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण का बाल साक्षी एक चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपनी बहन के साथ हो रहे कुकृत्यों को स्वयं अपनी आंखों से दो से तीन बार देखा एवं उसने खुद इसकी सूचना अपनी मां को दी, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त जो कि उसका पिता था उसने उसे मारा, ऐसे में जब कि यही बाल साक्षी वादिनी मुकदमा का सूचक है तो वादिनी मुकदमा के प्रभाव में या बताने पर या कहने पर इस साक्षी द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा हो स्वतः झूठा हो जाता है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त नान्हू खां के विरुद्ध दो न्यायधीशों के समक्ष साक्ष्य दिये गये। प्रथम बार उसके द्वारा अपना बयान अन्तर्गत धारा 164 द० प्र० स० न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 02-09-2021 को अंकित कराया गया एवं दूसरी बार दौरान विचारण अपना साक्ष्य दिनांक 29-09-2021 को न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया। दोनों बयानों में लगभग 27 दिन का अन्तराल था। यह अन्तराल होते हुए भी दोनों बयानों में एकरूपता है तथा अभियुक्त के कृत्य के बावत स्पष्ट एवं समान अभिवचन किये गये हैं, ऐसे में पी०डब्लू० 3 बाल साक्षी रहते हुए भी विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण साक्षी साबित होता है एवं उसके कथन उचित प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त की ओर से उपस्थित न्यायमित्र के उपरोक्त सभी तर्क बलहीन हो जाते हैं। **चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 3 के साक्ष्य से अभियोजन द्वारा निम्नलिखित तथ्य साबित किये गये हैं।**

- (1) प्रकरण का एक चक्षुदर्शी साक्षी है।
- (2) इस चक्षुदर्शी साक्षी नदीम द्वारा अपने पिता को अपनी बहन के साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार करते हुए स्वयं अपनी आंखों से दो से तीन बार देखा गया।
- (3) इस तथ्य को जब वह अपनी मां को बताने गया तो अभियुक्त द्वारा उसे बहुत मारा पीटा गया।
- (4) अभियुक्त इतना क्रूर था कि उसने अपने कृत्य को छुपाने हेतु अपने अवयस्क पुत्र को भी प्रताड़ना का शिकार बनाया।

(d) शुजा के परिप्रेक्ष्य में आये चिकित्सीय साक्ष्य का विश्लेषण-

शुजा के चिकित्सीय परीक्षण आख्या को साबित कराने हेतु अभियोजन द्वारा

पी०डब्लू० 5 के रूप में डाक्टर ममता को परीक्षित कराया गया,जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि दिनांक 25-08-2021 को उन्होंने 05.30 पी.एम.पर शुजा का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि शुजा के द्वारा यह बताया गया कि नान्हू उसको अक्सर लाठी से मारता था। यह भी साक्ष्य दिया गया कि पीड़िता का हाइमन ओल्ड टोर्नड हील्ड था। यह भी कथन किया गया कि पीड़िता का वेजाइनल स्वाब डी०एन०ए०परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा वेजाइनल स्वाब की स्लाइड पैथालाजी भेजी गयी थी। इस साक्षी द्वारा शुजा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्शक-5 के रूप में साबित किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि परीक्षण के दौरान पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे एवं कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि परीक्षण के दौरान शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के लक्षण पाये गये। उपरोक्त साक्षी जो कि एक चिकित्सक है ने शुजा के शरीर एवं अन्दरूनी भाग का परीक्षण दिनांक 25-08-2021 को किया।दिनांक 23-08-2021 को शुजा के साथ हो रही घटना का खुलासा हो चुका था एवं स्वयं शुजा के साक्ष्य के अनुसार उस दिन अभियुक्त मात्र उसके कपड़े उतार पाने में सफल हुआ था अर्थात् दिनांक 23-08-2021 को अभियुक्त नान्हू शुजा के साथ बलात्कार नहीं कर पाया था । चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 25-08-2021 को हुआ,ऐसे में जब दिनांक 23-08-2021 को शुजा के साथ अभियुक्त बलात्कार करने में असफल रहा तो दिनांक 25-08-2021 को हुई चिकित्सीय परीक्षण में शुजा के गुप्तांगों में शुक्राणु न मिलना स्वाभाविक है। गुप्तांगों/शरीर पर चोट न मिलना भी इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि इस अवयस्क लड़की के साथ घटना दिनांक 23-08-2021 से लगभग दो वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी,ऐसे में यदि इस लड़की का चिकित्सीय परीक्षण दो वर्ष पूर्व हुआ होता तो उसके शरीर/गुप्तांगों पर चोट मिलती। शुजा के स्वयं द्वारा दिये गये साक्ष्य में यह स्पष्ट आया है कि जब उसके पिता ने उसके साथ प्रथमबार बलात्कार किया था तो उसे अत्यधिक शारीरिक पीड़ा हुई थी तथा उसके गुप्तांगों से खून भी निकला था। बलात्कार जैसे मामले में जब मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में चोट को लेकर कुछ असमानता हो तो ऐसी स्थिति में भी पीड़िता द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटे लाल ,**AIR 2011 SC 697** एवं राजेन्द्र बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य **AIR 2009 SC 3022** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि *-Even where no external or internal marks of injury on the private part of the victim of rape was found in medical examination,the testimony of the prosecutrix that she was raped by the accused cannot be discarded. **DISCOVERY OF SPERMATOZOA** in the private part of the victim is not a must to establish penetration. There are several factors which may negative the presence of*

spermatozoa .Slightest penetration of penis into vagina without rupturing the hymen would constitute rape. उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धान्त के अनुसार भी पीड़िता के मौखिक साक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 25-08-2021 को शुजा के शरीर पर चोटे न मिलना इसलिए भी स्वाभाविक है कि इस दिनांक के तत्कालिक पूर्व अभियुक्त शुजा के साथ बलात्कार करने में असफल रहा। जहां तक तिथि दिनांक 23-08-2021 से पूर्व की तिथियों पर हुए बलात्कार का प्रश्न है इसके बावत शुजा के साक्ष्य ठोस हैं एवं यह प्रमाणित करते हैं कि बलात्कार के दौरान उसे असहनीय पीड़ा हुई एवं उसके गुप्तांगो से खून निकला। इसकी पुष्टि स्वयं पी०डब्लू० 5 द्वारा भी की गयी एवं दौरान चिकित्सीय परीक्षण यह पाया गया कि शुजा का हाइमन ओल्ड टोर्नर्ड हील्ड था जो इस तथ्य का प्रमाण है कि शुजा के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला हुआ। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा शुजा के वस्त्र एवं अभियुक्त के वस्त्र बरामद किये। विवेचक, पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित हुए एवं उनके द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से फर्द बरामदगी अन्तः वस्त्र पीड़िता को प्रदर्श क-9 तथा फर्द बरामदगी अन्तः वस्त्र अभियुक्त को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया गया है। इस फर्द बरामदगी के एक अन्य गवाह पी०डब्लू० 8 को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त फर्द बरामदगी की पुष्टि करते हुए यह कथन किया कि पुलिस ने उसके सामने पीड़िता व अभियुक्त के द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़े कब्जा लेकर सील मुहर कर फर्द तैयार की थी। पत्रावली पर फर्द बरामदगी प्रदर्श क-9 एवं प्रदर्श क-11 उपलब्ध हैं जिसमें विवेचक के साथ-साथ गवाह अब्दुल सलाम एवं नईम के हस्ताक्षर हैं तथा स्वयं अभियुक्त से सम्बन्धित फर्द बरामदगी पर उसके हस्ताक्षर भी उपलब्ध हैं, ऐसे में यह संदेह से परे साबित है कि विवेचक द्वारा अभियुक्त एवं शुजा से सम्बन्धित अन्तः वस्त्रो को दौरान विवेचना बरामद किया गया एवं उसे सील मुहर कर सुरक्षित रखा गया। पी०डब्लू० 7 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में यह भी कथन किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित माल मुकदमा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया था। पत्रावली पर **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच आख्या ए-30/1** उपलब्ध है, जिसके औपचारिक प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। जांच आख्या ए-30/1 के अवलोकन से यह विदित है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर को अभियुक्त से लिया गया रक्त नमूना, अण्डवियर, सैण्डो बनियान, उसके द्वारा पहना गया दुपट्टा तथा शुजा से लिया गया रक्त नमूना, शुजा का वेजाइनल स्वाब, प्लाजो, कुर्ती तथा समीज एवं दुपट्टा जांच हेतु भेजा गया था, **जिसके परीक्षण उपरान्त शुजा के वेजाइनल स्वाब एवं प्लाजो में पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी**, परन्तु आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाइल जेनरेट होने के कारण अभियुक्त नान्हू खां से लिये गये रक्त नमूना से मिलान के सम्बन्ध में कोई अभिमत नहीं दिया जा सका। अभियुक्त के अण्डरवियर, सैण्डो बनियान एवं दुपट्टा तथा शुजा से लिये गये रक्त नमूना एवं दुपट्टा में आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाइल जेनरेट हुआ। शुजा के वेजाइनल स्वाब एवं प्लाजो पर पुरुष विशिष्ट एलील की

उपस्थिति पाया जाना, ऐसे में जबकि शुजा एवं उसके भाई नदीम (पी०डब्लू० 3) द्वारा अभियुक्त नान्हू खां द्वारा ही शुजा से बलात्कार के स्पष्ट साक्ष्य दिये गये हो, अभियुक्त की बलात्कार की घटना कारित करने को संदेह से परे प्रमाणित करता है। शुजा के प्लाजो में पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाया जाना, ऐसे में जबकि घटना के खुलासे के दिन दिनांक 23-08-2021 को शुजा के साथ बलात्कार न हुआ हो इस तथ्य को भी प्रमाणित करता है कि इस तिथि से पूर्व में कई तिथियों पर अभियुक्त नान्हू खां द्वारा शुजा से बलात्कार किया गया एवं यह पुरुष विशिष्ट एलील उन्हीं में से किसी एक तिथि का था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच आख्या में अभियुक्त के अण्डरवियर, सैण्डो बनियान एवं उसके पहने हुए दुपट्टे तथा शुजा के रक्त नमूना एवं दुपट्टा में आंशिक डी०एन०ए०प्रोफाइल जेनरेट होना अभियुक्त नान्हू खां के शुजा के साथ बलात्कार जैसी घटना में संलिप्तता को और प्रमाणित करता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शुजा विवाहित थी, ऐसे में उसका हाइमन टोन्ड मिलना तथा उसके प्लाजो पर पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाया जाना स्वाभाविक है एवं इसे अभियुक्त से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आये साक्ष्यों का सम्प्रेक्षण किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू० 1 हशरत जहां जो कि शुजा की मां है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि निकाह के बाद पीड़िता अपने ससुराल गयी थी। निकाह के दूसरे दिन पीड़िता को वह सभी लोग उसकी ससुराल से वापस ले आये थे। इसके बाद केवल एक बार पीड़िता ससुराल गयी थी और दो तीन दिन रुकी थी और उसका पति नान्हू उसको ससुराल से ले आया था अर्थात् पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य के अनुसार शुजा विवाहित थी एवं लगभग तीन दिन वह अपने ससुराल रही। पी०डब्लू० 2 जो कि स्वयं शुजा है एवं इस प्रकरण की पीड़िता है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसकी शादी पहले वाले लाकडाउन के समय हुई थी। शादी के बाद दो बार ससुराल गयी थी। अब तक मात्र दो दिन ही ससुराल रुकी थी। पी०डब्लू० 2 के साक्ष्य के अनुसार भी वह विवाहित थी एवं मात्र दो दिन तक ससुराल में रुकी एवं मात्र दो बार ससुराल गयी। उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य शुजा के ससुराल में जाने एवं ससुराल में रुकने के बावत एक है। पी०डब्लू० 3 नदीम परीक्षित हुआ एवं उसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि पीड़िता की शादी हो गयी है एवं उसकी बहन उन्हीं लोगो के साथ रहती है। उसके द्वारा एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए यह कथन किया गया कि पीड़िता को उसके पापा उसके ससुराल नहीं जाने देते थे एवं रोक लेते थे। इस साक्षी के अनुसार भी शुजा की शादी हो चुकी थी परन्तु वह अपने मायके में ही रहती थी तथा ससुराल जाने से उसके पिता उसको रोक लेते थे। मेरे द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० अंकित करते समय अभियुक्त से यह प्रश्न पूछा गया कि "साक्ष्य में यह आया है कि पीड़िता शादी के उपरान्त मायके में रहती थी एवं वह अपने ससुराल नहीं जाती थी, इसका क्या कारण है तो अभियुक्त द्वारा यह उत्तर दिया गया कि पीड़िता स्वयं ससुराल नहीं जाना चाहती थी एवं वह एक महीना ही ससुराल रुकी है तथा वह दस - ग्यारह महीने से

ससुराल नहीं गयी है तथा उसका पति ग्यारह महीने से उससे नहीं मिला है। स्वयं अभियुक्त के अनुसार शुजा का पति उससे ग्यारह महीने से नहीं मिला, ऐसे में जब उसका पति उससे ग्यारह महीने से नहीं मिला एवं स्वयं अभियुक्त के कथनानुसार शुजा ग्यारह महीने से लगातार अपने मायके में रह रही है तो उसके वेजाइनल स्वाब एवं प्लाजो पर जो पुरुष विशिष्ट एलील पाया गया वह उसके पति का नहीं हो सकता। पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 के द्वारा दिये गये ठोस साक्ष्य जो अभियुक्त के बलात्कार की घटना कारित करने के बावत है, को अगर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच आख्या में आये वह साक्ष्य की शुजा के वेजाइनल स्वाब एवं प्लाजो पर पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी, के साथ मिलाकर पढ़ा जाये तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यह पुरुष विशिष्ट एलील मात्र अभियुक्त नान्हू खां का है। शुजा के वेजाइनल स्वाब में पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाया जाना यह भी साबित करता है कि अभियुक्त नान्हू खां द्वारा लैंगिक प्रवेशन हमला करते हुए शुजा के साथ बलात्कार किया गया। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के उपरोक्त तर्क भी बलहीन हो जाते हैं एवं चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियुक्त की ही घटना में संलिप्तता को प्रमाणित करती है।

(e) स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण/शुजा एवं अभियुक्त का आचरण-

अभियोजन द्वारा तथ्य के दो स्वतन्त्र साक्षियों को भी परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 8 अब्दुल सलाम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि घटना वाली रात में आधी रात को हल्ला गोहार सुनकर नान्हू के घर के सामने पहुंचा तो देखा कि नान्हू की पत्नी हशरत जहां और उसकी बेटी/ पीडिता रो रही थी और नान्हू की पत्नी जोर-जोर से अपने पति को गाली देते हुए चिल्ला रही थी। नान्हू मौके से भाग गया था। नान्हू की पत्नी चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि नान्हू अपनी सगी बेटी/ पीडिता के साथ लगभग दो साल से जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है, आज वह अपनी बेटी/पीडिता के चिल्लाने पर जाग गयी और जब वह उसके पास पहुंची तो नान्हू भाग गया, नान्हू ने पिता के रिश्ते की पवित्रता को कलंकित किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि नान्हू काफी समय पहले 10-15 साल मुम्बई में रहा है एवं साल दो साल से नान्हू अपने घर पर ही रहते थे। यह भी कथन किया कि नान्हू ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। वह अपने मायके में ही रहती थी, नान्हू उसको उसके ससुराल में नहीं भेजा था। तथ्य के एक अन्यत्र साक्षी पी०डब्लू० 9 नईम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि पीडिता अभियुक्त नान्हू की सगी बेटी है एवं घटना वाली रात में हशरत जहां वादिनी मुकदमा की रोने की आवाज आधी रात को सुनकर उसके घर के सामने पहुंचा था तो उसने देखा कि नान्हू की पत्नी हशरत जहां व उसकी बेटी/ पीडिता रो रही थी और नान्हू उस समय भाग गया था। नान्हू (अभियुक्त) की पत्नी चिल्लाकर कह रही थी कि उसका पति नान्हू उसकी बेटी/ पीडिता के साथ लगभग दो साल से बलात्कार कर रहा है और आज भी उसकी बेटी/पीडिता के साथ जबरदस्ती कर

रहा था। वह, बेटी/पीड़िता के चिल्लाने पर जाग गयी और उसके पास पहुंची तो नान्हू घर से भाग गया। नान्हू ने पिता जैसे रिश्ते की पवित्रता को गन्दा व कलंकित किया है और यह कहकर जोर-जोर से रो रही थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि हल्ला सुनकर जब वह नान्हू के दरवाजे पर पहुंचा था तो नान्हू हल्ला सुनकर मौके से भाग गया। उपरोक्त दोनो साक्षी अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा एवं शुजा के हल्ला करने पर उसके घर के सामने एकत्रित हुए। अभियोजन द्वारा इन साक्षियों के माध्यम से पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त के आचरण को साबित कराना चाहा गया है। दोनो साक्षियों द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादिनी मुकदमा एवं शुजा के द्वारा अपराध खुलासे के उपरान्त किये गये आचरण के बावत एकरूपता से कथन किये जा रहे हैं एवं समान रूप से बताया जा रहा है कि शुजा एवं वादिनी मुकदमा चिल्ला रहे थे एवं रो रहे थे। वादिनी मुकदमा चिल्ला कर यह कह रही थी कि उसका पति लगभग दो साल उसकी पुत्री से बलात्कार कर रहा है तथा आज उसकी पुत्री के चिल्लाने पर जब वह जगी तो अभियुक्त भाग गया। उपरोक्त दोनो साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आचरण के बावत भी स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है एवं अभियुक्त के बावत स्पष्ट कथन किया गया कि नान्हू खां हल्ला सुनकर भाग गया। अभियुक्त नान्हू खां का यह आचरण धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उसका अपराध के उपरान्त किया गया पश्चयावर्ती आचरण है एवं एक सुसंगत तथ्य है जो उपरोक्त दोनो साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। उसका यह आचरण विधि एवं न्याय की दृष्टि से उसके विरुद्ध एक ठोस साक्ष्य भी है। शुजा एवं उसकी मां का घटना के खुलासे के उपरान्त चिल्लाना तथा शुजा की मां द्वारा उपरोक्त दोनो साक्षियों के समक्ष अभियुक्त के कृत्य का बखान करना भी एक सुसंगत तथ्य है तथा वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता के घटना के उपरान्त किये गये पश्चयावर्ती आचरण को दर्शाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था-असम राज्य बनाम रमन दोवारह (2016) 3 SCC 19 के प्रस्तर 12 में साक्षियों एवं पीड़िता के आचरण के बावत मत दिये गये हैं एवं यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि - "**Immediate conduct of victim is also important in evaluating the evidence of the witness.**" प्रस्तुत प्रकरण में भी पी०डब्लू० 8 एवं पी०डब्लू० 9 द्वारा रात में शुजा एवं उसकी मां को चिल्लाते एवं रोते हुए देखा गया एवं शुजा की मां द्वारा अभियुक्त के कुकृत्यो का बखान सुना गया। इन साक्षियों द्वारा मौके से अभियुक्त नान्हू खां को फरार भी पाया गया। पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त का घटना के खुलासे के उपरान्त किया गया तत्कालिक पश्चयावर्ती आचरण एक सुसंगत तथ्य है जो पी०डब्लू० 8 एवं पी०डब्लू० 9 द्वारा साबित किया गया है जो मात्र अभियुक्त की निर्दोषिता को नगण्य बनाता है एवं उसे अपनी पुत्री के साथ लगातार बलात्कार करने के अपराध में निःसंदेह दोषी होना स्थापित करता है। तथ्य के उपरोक्त दोनो साक्षियों द्वारा भी अभियुक्त की अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने की घटना में दोषिता को साबित किया गया है।

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-1 में किये गये उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य सम्प्रेक्षण उपरान्त अभियोजन द्वारा निम्नलिखित तथ्य साबित किये गये हैं-

- (1) शुजा घटना के खुलासे के दिन चौदह वर्ष तीन माह तेरह दिन की थी अर्थात् जब उसके साथ प्रथम लाकडाउन से पहले बलात्कार शुरू हुआ तो वह इससे भी कम उम्र की रही होगी।
- (2) शुजा के साथ उसके ही नैसर्गिक पिता नान्हू खां द्वारा कई बार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए बलात्कार किया गया, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई। यह घटना शुजा/अभियुक्त के घर में हुई।
- (3) अभियुक्त नान्हू खां घटना के खुलासे के उपरान्त मौके से फरार हो गया।
- (4) अभियुक्त नान्हू खां द्वारा घटना कारित करने का मुख्य कारण/हेतुक अपनी कामवासना की पूर्ति करना था, जिसके लिए उसने सबसे आसान शिकार अपनी पुत्री को ही समझा।

तदनुसार विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-1 निस्तारित किया जाता है।

15- निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-2

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त नान्हू खां द्वारा उपरोक्त कुकृत्य करने से पूर्व या करने के उपरान्त ऐसा प्रयोजन किया गया जिससे कि उसका कुकृत्य/अपराध छुपा रहे एवं किसी को पता न चले?

अभियुक्त नान्हू खां के विरुद्ध अपनी पुत्री को मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के भी आरोप है। अभियोजन द्वारा इन आरोपों को साबित करने हेतु तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य का ही सहारा लिया गया। पी०डब्लू० 2 जो कि प्रकरण की पीड़िता है एवं जिसे शुजा नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि उसकी नंगी फोटो को उसे दिखाकर तथा ब्लेकमेल कर उसको डरा धमकाकर अभियुक्त बलात्कार करता था। यह भी कथन किया गया कि बलात्कार करने के लिए अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी थी एवं इसी कारण वह अपनी मां को यह बात नहीं बता पायी। नंगी फोटो खींचे जाने वाली बात को जब उसने अपनी मां को बताया था तो अभियुक्त ने उसे व उसकी मां को बहुत मारा था। यह भी कथन किया कि प्रथम सूचना वाले दिन के दो दिन पूर्व जब अभियुक्त कपड़े उतार रहा था एवं उसके चिल्लाने पर उसकी मां जग गयी और देख लिया तो अभियुक्त ने कहा कि किसी को बताओगी तो मार कर पानी की टंकी में डाल देंगे। मुझ पीठासीन अधिकारी के पूछने पर इस साक्षी द्वारा पुनः अभियुक्त द्वारा मारने पीटने के कथन किये जा रहे हैं एवं स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब वह अपनी मां से बात करने जाती थी तो अभियुक्त उसको बहुत मारता था इसी कारण वह पहले शिकायत नहीं कर पायी। अपने साक्ष्य के माध्यम से इस साक्षी द्वारा अपने साथ हो रही कुकृत्य को पूर्व में न बता पाने का उचित स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तथा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के कारण तथा मारने पीटने के कारण यह बात वह पहले नहीं बता

पायी। अपने बयान बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० में शुजा द्वारा यह कथन किया गया कि जब अभियुक्त सम्बन्ध बनाता था तो डण्डा लेकर सोता था ताकि वह चिल्ला न पायें। इस साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य एवं बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० में अभियुक्त के विरुद्ध मारने-पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने के स्पष्ट साक्ष्य दिये गये हैं एवं उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर एवं वास्तविक रूप से शुजा को मार पीट कर इतना भयभीत रखा गया कि वह घटना के खुलासे के दिन तक अपने साथ हो रहे कुकृत्य का वर्णन स्वयं अपनी मां से भी न कर पाये। पी०डब्लू० 3 नदीम जो कि शुजा का भाई एवं अभियुक्त नान्हू खां का पुत्र है, परीक्षित हुआ। इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य का विश्लेषण निर्णय के ऊपरी भाग में किया जा चुका है जिसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। इस भाग में मात्र इस साक्षी द्वारा दिये गये वह साक्ष्य जो अभियुक्त का आचरण एवं उसका यह प्रयास परिलक्षित करते हो कि उसने अपने अपराध को छुपाने के लिए क्या-क्या किया, पर ही विमर्श दिया जायेगा। पी०डब्लू० 3 नदीम के मौखिक साक्ष्य के अनुसार जब उसने अपने पिता को कुकृत्य करते हुए देख लिया तो वह हड़बड़ा गया एवं वहां से भागा, परन्तु उसके पिता ने उसे देख लिया था तथा उसके पिता ने उसे दौड़ाया तथा रास्ते में पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। प्रतिपरीक्षा में भी उपरोक्त तथ्यों की पुनरावृत्ति इस साक्षी द्वारा की जा रही है। इस साक्षी के अनुसार भी अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को छुपाने हेतु अपने स्वयं के पुत्र को भी नहीं छोड़ा गया एवं उसे भी मारा पीटा गया। अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया कि जब उसने अपने मम्मी को पिता की गलत बतायी तो उसके पिता ने उसकी मम्मी, उसको एवं उसकी बहन को भी मारा पीटा था। इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से भी यह साबित है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्री शुजा को अपने अपराध को दबाने हेतु मारा पीटा गया। शुजा के मार पीट एवं धमकी देने के आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 9 नईम को भी परीक्षित कराया गया। यह साक्षी स्वतन्त्र साक्षी है जो शुजा एवं उसकी मां के चिल्लाने पर उनके घर के सामने पहुंचा। इस साक्षी ने मुझ पीठासीन अधिकारी के पूछने पर अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहा कि उसने पीड़िता की मां व पीड़िता से पूछा कि उन दोनों ने यह बात पहले क्यों नहीं बतायी तो उन दोनों द्वारा कहा गया कि अभियुक्त नींद की गोली देता था तथा शुजा सो जाती थी लेकिन हल्ला वाले दिन उसकी नींद खुल गयी थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि शुजा एवं उसकी मां ने इस साक्षी के पूछने पर यह भी बताया कि नान्हू धमकी दिया था कि अगर बताओगी तो मार कर लैट्रिन के टैंक में डाल देंगे तथा उससे यह भी बताया गया कि नान्हू उन दोनों को मारता पीटता था। इस साक्षी द्वारा कस्टडी बाक्स में खड़े नान्हू की पहचान भी की गयी। उपरोक्त साक्षी अभियुक्त के गांव का है। अभियुक्त के स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में किये गये कथन के अनुसार इस साक्षी से अभियुक्त के सम्बन्ध खराब नहीं है एवं दुआ सलाम वाला सम्बन्ध है, ऐसे में जब इस साक्षी से अभियुक्त की कोई दुश्मनी न हो एवं तब भी इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आये तथ्यों

को न्यायालय के समक्ष रखा जाये तो इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास करना ही तर्कसंगत एवं न्यायसंगत है। इस साक्षी द्वारा न्यायालय को वह सारी बातें बतायी गयीं जो शुजा एवं उसकी मां ने इस साक्षी से खुद कहा, जिसमें मारने पीटने के तथ्य, धमकी देने के तथ्य तथा नींद की गोली देकर बलात्कार करने के तथ्य शामिल हैं जो कि एक ही संव्यवहार में कहे गये कथन हैं एवं धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत तथ्य हैं जो पीड़ित पक्ष के आचरण को भी दर्शाते हैं। सुसंगत तथ्य होने के कारण यह तथ्य साक्ष्य में साबित किये जा सकते हैं एवं इस प्रकरण में पी०डब्लू० 9 नईम द्वारा इन सभी तथ्यों को साबित किया गया है। अवलोकनीय यह भी है कि शुजा द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में भी अभियुक्त द्वारा उसे गोली देना तथा प्लास्टिक की कोई चीज लिंग पर लगाकर उसके साथ हमेशा बलात्कार करने के कथन किये गये हैं। पी०डब्लू० 9 एवं शुजा दोनों के साक्ष्यों में अभियुक्त द्वारा गोली देना के तथ्य प्रकट हुए हैं, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह गोली या तो नशे की थी और या तो शुजा को गर्भ धारण करने से रोकने के लिए थी। शुजा का अपने साक्ष्य में यह कहना कि अभियुक्त लिंग पर प्लास्टिक की चीज लगाकर बलात्कार करता था, इसी तथ्य का द्योतक है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला करने के समय कान्डम का प्रयोग किया गया ताकि शुजा गर्भ धारण न कर सके एवं अभियुक्त का कृत्य घर एवं समाज में बाहर न आ सके। पी०डब्लू० 3 नदीम का अपने साक्ष्य में यह कहना कि उसके पिता ही उसकी बहन को ससुराल नहीं जाने देते थे तथा पी०डब्लू० 8 अब्दुल सलाम का नदीम का समर्थन करते हुए यह कहना कि नान्हू उसको उसके ससुराल में नहीं भेजा था, इस तथ्य का प्रमाण है कि अभियुक्त द्वारा शुजा को ससुराल इसलिए भी नहीं भेजा जाता था कि कहीं वह अपने साथ हो रही घटना को अपने पति से न बता दे और वह अभियुक्त के साथ ही रहे, जिससे अभियुक्त उससे अपनी कामवासना की पूर्ति करता रहे। उपरोक्त सम्पूर्ण विमर्श उपरान्त मैं इस निश्चित मत का हूँ कि अभियुक्त द्वारा शुजा के साथ एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी ऐसी मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की गयी, जिससे कि उसका कृत्य बाहर न आ सके। उपरोक्त विमर्श से यह भी साबित है कि अभियुक्त द्वारा अपने कृत्य को छुपाने हेतु शुजा को लगातार मारा पीटा गया एवं जान से मारने की धमकी भी दी गयी, तदनुसार विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या- 2 निस्तारित किया जाता है।

16- अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव-

विनिश्चात्मक बिन्दु संख्या- 1 एवं 2 के निस्तारण उपरान्त अभियोजन द्वारा संदेह से परे यह साबित किया गया कि अभियुक्त नान्हू खां द्वारा ही अपनी पुत्री शुजा के साथ कई बार बलात्कार किया गया। यह भी संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त द्वारा इस कृत्य के दौरान शुजा को जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वास्तविक रूप में भी मारा पीटा गया। अभियुक्त पर यह दायित्व है कि वह अभियोजन द्वारा साबित साक्ष्य का खण्डन करे। घटना क्योंकि अभियुक्त के घर में हुई, ऐसे में उस पर धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

तहत यह भी दायित्व है कि वह उन विशेष परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष साबित करे, जिससे कि घटना के बावत पता चल सके। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० में अगस्त 2020 में बम्बई से घर वापस आना, अक्टूबर 2020 में फिर बम्बई जाना तथा पुनः जुलाई 2021 में घर आना के कथन किये गये हैं अर्थात् उसके कथनानुसार वह अगस्त 2020 से बम्बई से अपने घर आता जाता रहा। अभियुक्त का घर बम्बई से हजारों किलोमीटर दूर थाना सुजौली जनपद बहराइच में स्थित है, जहां पर मात्र ट्रेन या बस से आया जाया सकता है। उसके द्वारा उपरोक्त जो तिथियां बतायी गयीं वह प्रथम एवं द्वितीय लाकडाउन (कोरोना काल की महामारी के समय का लाकडाउन) की तिथियां थीं जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों का आवागमन या तो बन्द कर दिया गया था या सीमित कर दिया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में किसी भी उपयोग में लाये गये परिवहन का वैधानिक टिकट नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत उसके गांव के ही स्वतन्त्र साक्षी पी० डब्लू० 8 अब्दुल सलाम द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में नान्हू का दस पन्द्रह साल से मुम्बई में रहना तथा पिछले दो साल से अपने घर में रहने के स्पष्ट कथन किये गये हैं, जिससे यही साबित होता है कि नान्हू पिछले दो साल से अपने घर पर ही था एवं वह बम्बई नहीं गया। उसके द्वारा उसका झूठ तब और भी साबित हो जाता है जब स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० में वह यह कहता है कि उसने उस लड़के को दबाते हुए देखा था तथा लड़की के साथ लड़के को देख लिया था। अगर अभियुक्त अपने घर पर नहीं रहता रहा हो तो कदापि वह उपरोक्त दृश्य नहीं देख सकता था। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० में अपना मुख्य बचाव यह लिया गया कि उसकी लड़की खराब थी तथा उसने इसीलिए उसे बोला था एवं इसी कारण उसको फंसा दिया गया है। अभियुक्त के गांव के ही दो स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित हुए एवं उन्होंने अभियुक्त के उपरोक्त कथनों का खण्डन कर शुजा के चाल चलन ठीक होने का साक्ष्य दिया है जो स्वयं अभियुक्त के कथनों को झूठा साबित करते हैं। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा शुजा का वह साक्ष्य कि उसने अपने पिता के नंगी फोटो खींचने वाली बात अपनी मां को बतायी थी तथा पी० डब्लू० 3 नदीम द्वारा दिया गया वह साक्ष्य कि उसने तीन महीने पहले जब अपने पिता को अपनी बहन के साथ गलत काम करते हुए देखा एवं जब वह हड़बड़ा कर भागा एवं उसके पिता ने उसको पकड़कर मारा एवं तब उसने मम्मी को सब बातें बतायीं, पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराकर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा जो पीड़िता एवं पी० डब्लू० 3 नदीम की मां है, को अभियुक्त के कृत्य की सूचना, प्रथम सूचना के दिन से बहुत पूर्व हो गयी थी, परन्तु वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना एवं अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत बहुत विलम्ब से की गयी है, जो संदेह उत्पन्न करता है एवं जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण एक अदभुत प्रकरण है जिसमें पीड़िता, अभियुक्त की नैसर्गिक पुत्री है एवं वादिनी मुकदमा अभियुक्त की पत्नी है। अभियुक्त एवं पीड़िता में खून

का सम्बन्ध है तथा तीनों पक्ष का आपस में वैश्वासिक सम्बन्ध है। वैश्वासिक सम्बन्ध होने के कारण एक पत्नी को इस तथ्य कि उसका पति अपनी ही पुत्री से बलात्कार कर रहा है, पर तब तक विश्वास नहीं हो सकता जब तक इस कृत्य को वह अपनी आंख से न देख ले। विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना के दो दिन पूर्व वादिनी मुकदमा ने स्वयं अभियुक्त को अपनी पुत्री के कपड़े उतारते हुए जब देख लिया तो उसके द्वारा एक दिन बाद तहरीर प्रेषित कर दी गयी, जो प्रकरण की अदभुत तथ्य एवं परिस्थितियों में बिल्कुल स्वाभाविक है। उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि शुजा, वादिनी मुकदमा, पी०डब्लू० 3 नदीम एवं अभियुक्त का आपस में वैश्वासिक सम्बन्ध है। इन चारों व्यक्तियों को अगर एक दूसरे से, उन्हीं चारों व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में यह पता चले कि उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति परिवार की एक अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार कर रहा हो तो यह तथ्य उन सभी के लिए अविश्वसनीय होगा एवं जब वह व्यक्ति खुद घर का अग्रणी सदस्य अर्थात् पिता हो तो उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना काफी कठिन होगा। अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत प्रेषित करने में बहुत ही मनोबल की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त भी उपरोक्त चारों व्यक्तियों के लिए इस तथ्य पर विश्वास करना भी कठिन होगा, जब तक इस तथ्य को वह अपनी आंख से न देख लें। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादिनी मुकदमा को प्रथम सूचना के दिन के पूर्व तिथियों को अभियुक्त के कृत्य की जानकारी अपने पुत्र एवं पुत्री से हुई। साबित साक्ष्य के अनुसार जब वादिनी मुकदमा ने पूर्व की तिथियों की जानकारी अपने पति से करनी चाही तो उसके पति द्वारा उसे मारा पीटा गया एवं धमकी दी गयी। गांव के एक सामान्य परिवार में आज भी अपने पति के विरुद्ध आवाज उठाना बहुत ही साहसिक कदम होगा। यह कदम तब और साहसिक हो जायेगा जब एक पत्नी को अपने पति का वह कृत्य कि उसका पति उसकी ही पुत्री से बलात्कार कर रहा हो, समाज के समक्ष लाना पड़े। इस साहसिक कदम को उठाने में बहुत बड़े आत्मबल एवं मनोबल की आवश्यकता होगी एवं वादिनी मुकदमा के मस्तिष्क में हमेशा यही भाव उत्पन्न होगा कि कहीं यह बात असत्य तो नहीं जब तक वह इस दृश्य को अपने आंख से न देख लें। प्रस्तुत प्रकरण में भी साबित साक्ष्य के अनुसार वादिनी मुकदमा पी०डब्लू० 1 ने अपने आंख से अभियुक्त को यह कृत्य दिनांक 23-08-2021 के पूर्व करते हुए नहीं देखा, क्योंकि साबित साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त अपनी पुत्री से बलात्कार तब ही करता था जब उसकी पत्नी घर पर न हो। दिनांक 23-08-2021 को रात में शुजा के चिल्लाने पर वादिनी मुकदमा जग गयी एवं जब उसने अपनी आंख से शुजा के कपड़े उतारते हुए अभियुक्त को देख लिया तो दिनांक 25-08-2021 के समय 12.00 बजे उसने अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्रेषित कर दी। निर्विवाद रूप से वादिनी मुकदमा ने अपने पति से वैश्वासिक सम्बन्ध होने के कारण ही खुद से कही गयी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा जब

तक यह कृत्य उसने स्वयं न देख लिया हो। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान न्यायमित्र के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते हैं एवं यह कहना न्यायसंगत है कि प्रकरण की अदभुत तथ्य एवं परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके कारण ही अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य बिलम्ब से सामने आया, जिसका कोई भी लाभ अभियुक्त को देना विधि एवं न्याय की मंशा के विपरीत होगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त से मेरे द्वारा यह स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या वह गांव के किसी भी साक्षी को न्यायालय में पेश कर सकता है जो उसके कथन का समर्थन करते हो तो अभियुक्त द्वारा यह उत्तर दिया गया कि गांव का कोई व्यक्ति बोलने नहीं आयेगा और हुआ भी ऐसा ही। अभियुक्त के गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में गवाही देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त के स्वयं के पुत्र जो बाहर कमाते हैं एवं उसका पिता जो अभी भी जीवित हैं भी उसके पक्ष में साक्ष्य देने नहीं आये, जो इस न्यायालय को इसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर विवश करता है कि अभियुक्त के पास उसके बचाव हेतु कोई साक्ष्य था ही नहीं। उपरोक्त विमर्श उपरान्त मैं इस निश्चित मत का हूँ कि अभियुक्त अपनी निर्दोषिता साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है, जिससे कि अभियोजन कहानी और भी पुष्ट हो जाती है।

17- अन्तिम निष्कर्ष-

अभियोजन द्वारा तथ्य के परीक्षित सभी साक्षियों के साक्ष्य तथा पत्रावली पर शामिल चिकित्सीय आख्या एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से अभियुक्त नान्हू खां द्वारा शुजा के साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार करने के अपराध को संदेह से परे साबित किया गया है। यह घटना तब और प्रमाणित हो गयी जब घर के तीन व्यक्ति जिसमें से दो अवयस्क हैं अपने पिता के विरुद्ध ही उसके कृत्य का बखान बिना किसी अन्तर्विरोध के कर रहे हो। अभियोजन यह भी साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा शुजा एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को इस अपराध के दौरान जान से मारने की धमकी देकर मारा पीटा गया, अतः अभियुक्त नान्हू खां धारा 376(3), 323, 506(2) भा०द०सं० एवं धारा 5p/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, तदनुसार निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं।

18-

आदेश

अभियुक्त नान्हू खां को मुकदमा अपराध संख्या 122/2021, विशेष दण्डिक वाद संख्या 1033/2021, थाना सुजौली जनपद बहराइच अन्तर्गत धारा 376(3), 323, 506(2) भा०द०सं० एवं धारा 5p/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी एवं समुचित दण्डादेश पारित करने हेतु पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-11-2021 को नियत की जाती है।

विशेष सत्र परीक्षण सं०.1033//2021

सरकार बनाम नान्हू खां

50

अभियोजन एवं अभियुक्त को यह मौका प्राप्त है कि वह दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह नियत दिनांक 23-11-2021 को प्रस्तुत कर सकते हैं। सम्बन्धित थाना के थानाध्यक्ष से अपेक्षित है कि वह पीड़ित पक्ष को दिनांक 23-11-2021 को होने वाली सुनवायी से अवगत कराये एवं अगर पीड़ित पक्ष उस सुनवायी में उपस्थित होना चाहते हैं तो वह न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हो। पत्रावली दिनांक 23-11-2021 को पेश हो।

(नितिन पाण्डेय)

अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०प्रथम/

दिनांक:20-11-2021

रेप एण्ड पॉक्सो ऐक्ट बहराइच।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०प्रथम/रेप एण्ड पॉक्सो ऐक्ट, बहराइच

उपस्थित- नितिन पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

{J. O. Code No.- UP1585}

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1033/2021

सरकार----- -अभियोगी
प्रति

नान्हू खाँ पुत्र गोबरे निवासी सुजौली थाना सुजौली, जनपद बहराइच-----अभियुक्त

अपराध संख्या- 122/2021

धारा-376(3), 323, 506 भा०द०सं०

एवं धारा- 5p/6 लैंगिक अपराधों

से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

थाना- सुजौली, जनपद-बहराइच

अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष अभियोजक (दाण्डिक)- श्री संत प्रताप सिंह
एवं सन्तोष सिंह

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता (न्यायमित्र)- श्री अरुण कुमार
श्रीवास्तव

23-11-2021

19- दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। सिद्ध दोष नान्हू खां न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिद्ध दोष नान्हू खां द्वारा मानवता की सारी हदे पार करते हुए स्वयं अपनी अवयस्क नैसर्गिक पुत्री के साथ लगातार दो वर्ष तक बलात्कार किया गया। विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त सिद्धदोष का यह आचरण परिवार जैसी संस्था के आधारभूत ढांचे को खत्म करने वाला है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिद्धदोष द्वारा किया गया कृत्य मानसिक चेतना को हिला देने वाला है। विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सिद्धदोष का यह कृत्य समाज को विचलित करने वाला है एवं पिता एवं पुत्री के पवित्र सम्बन्ध को कलंकित करने वाला है। विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि एक पिता जिसने अपनी पुत्री को जन्म दिया एवं एक पिता जो अपनी पुत्री का रक्षक था, वही उसका भक्षक बन गया एवं उसके साथ निरन्तर बलात्कार कर मानवीय मापदण्डों की हर सीमाओं को पार करते हुए अत्यधिक अत्याचार किया जो किसी भी दशा में क्षमा योग्य नहीं है। विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य बालको पर

लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के हित और उसके हित और भले की रक्षा के लिए रिपोर्ट करने, साक्ष्य के अभिलेखन, अपराधों के अन्वेषण और विचारण के लिए बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं समाविष्ट करने पर सम्यक रूप से ध्यान देते हुए और ऐसे अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए एक स्वतः पूर्ण व्यापक विधान अधिनियमित करना था एवं अपराधों के अनुकूल ही दण्ड देना था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित अपराध अन्तर्गत धारा 5p/6 बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में ऐक्ट संख्या-25/2019 जो दिनांक 16-08-2019 से प्रभावी है, के माध्यम से संशोधन किया गया एवं धारा 6 बालको का संरक्षण अधिनियम में मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है, जो विधायिका की मंशा को दर्शाता है। उपरोक्त तर्क रखते हुए विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सिद्धदोष अपनी पुत्री का न्यासी एवं प्राधिकारी था एवं इस पद पर रहते हुए उसके द्वारा अपने घर में अपनी पुत्री पर प्रवेशन लैंगिक हमला लगातार किया जाता रहा जो कि उसके कृत्य को विरल से विरलतम की श्रेणी में लाता है, ऐसे में उसे मात्र मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना ही न्यायोचित है।

सिद्धदोष की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह कथन किया गया कि सिद्धदोष का यह कृत्य उसका प्रथम अपराध है एवं उसे सुधार की आवश्यकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कभी-कभी मनुष्य समाजिक संस्कारों के विपरीत कार्य कर देता है जिससे वह खुद को शर्मसार करता ही है, साथ ही साथ समाज को भी शर्मसार कर देता है, परन्तु ऐसी स्थिति रहते हुए भी सिद्धदोष को सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता के अतिरिक्त सिद्धदोष के अन्य छः पुत्र एवं पुत्रियां हैं जिनके भरण पोषण का दायित्व भी उसी पर है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर एक पिता को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाता है तो यह उसके परिवार तथा उसके बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। याचना की गयी कि सिद्धदोष को सुधारने का मौका देते हुए उसे दोषसिद्ध धारा में दिये गये न्यूनतम दण्ड से दण्डित करके न्याय की मंशा को पाया जा सकता है।

पीड़ित पक्ष से सुनवायी हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। सिद्धदोष नान्हू खां हाथ जोड़कर न्यायालय के समक्ष खड़ा रहा एवं मेरे द्वारा पूछने पर उसके द्वारा यह कहा गया कि उसे कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त सभी को दण्ड के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक सुना गया।

सिद्धदोष को अपने ही नैसर्गिक अवयस्क पुत्री के साथ लगातार बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। उसके विरुद्ध धारा 5p/6 बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध साबित है। बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में लड़को एवं लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार की यौन अपराधिकता के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम

में विधायिका द्वारा ऐक्ट संख्या-25/2019 जो दिनांक 16-08-2019 से प्रभावी है,के माध्यम से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 में संशोधन कर मृत्युदण्ड के कठोर प्रावधान जोड़े गये। प्रस्तुत प्रकरण में एक पिता जो कि अपनी पुत्री का न्यासी है,के द्वारा ही अपनी अवयस्क पुत्री का लगातार बलात्कार किया गया एवं वह सारे हथकण्डे अपनाए गये जिससे कि उसका कृत्य समाज में बाहर न आ सके। मृत्युदण्ड से सम्बन्धित अनेक विधि व्यवस्थाएं हैं,जो यह स्थापित करती हैं कि मृत्यु दण्ड विरल से विरलतम प्रकरण में ही दिया जायेगा। उन विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करने से पूर्व **प्रकरण की विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड के उद्देश्य,विधि शास्त्रियों द्वारा दण्ड के बावत दिये गये मत एवं दण्ड के स्थापित सिद्धान्तों का उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ।**

(a) दण्ड के पीछे का उद्देश्य-

जब मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह जंगलो में घूमता था तब वह ' जिसकी लाठी उसकी भैंस ' (Might is right) के जंगली कानून का पक्षपाती भले ही रहा हो,परन्तु जैसे ही समाज की कल्पना को उसने साकार रूप दिया,समाज के संगठन और एकता को बनाये रखने के लिए कुछ नियमों का भी निर्माण किया। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया,इन नियमों में भी परिवर्तन होता रहा। मनुष्य अपनी प्राकृतिक अहमन्यता,स्वार्थ और शैतानी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे,इस भावना से प्रेरित होकर समाज में प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को नियन्त्रित करने हेतु कुछ ऐसे नियम बनाये गये हैं जो समाज में शान्ति,एकता,भाई-चारा और पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देते हैं तथा समाज के हर व्यक्ति को स्वतन्त्रता ,जीवन और अस्तित्व की सुरक्षा प्रदान कर उसे प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराते हैं, परन्तु नियम बना देने से ही तो आचरण नियन्त्रित नहीं हो जाते। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बराबर इन नियमों को तोड़ने में प्रवृत्त रहा है, अतः यह आवश्यक हो गया कि इन नियमों के पालन कराने एवं उल्लंघनों को रोकने हेतु प्रभावशाली व्यवस्था की जाये। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत समाज-विरोधी आचरण के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी है। दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम करना है। किसी अपराध के लिए दण्ड का स्वरूप तथा उसकी मात्रा क्या हो इसे निश्चित सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करना कठिन है क्योंकि यह बहुत कुछ अपराध की परिस्थितियों,अपराध के स्वरूप तथा अपराधी के आशय ,आय, पूर्ववृत्तांत आदि पर निर्भर करता है। इसी कारणवश दण्ड निर्धारण का कार्य न्यायालय को सौंपा गया है। साधारणतः विभिन्न संहिता में विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम दण्ड की मात्रा का उल्लेख रहता है तथा यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपराध की गम्भीरता तथा अपराधी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे कितना निश्चित दण्ड दें। तथापि इस सम्बन्ध में यह अपेक्षित है कि अपराध की गम्भीरता तथा अपराधी के पूर्व आचरण को देखते हुए दण्ड न तो आवश्यक रूप से कठोर हो और न इतना कम हो कि उसका अपराधी पर कोई प्रभाव ही न पड़े। दण्ड - व्यवस्था का

निर्धारण दण्ड के उद्देश्यो को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिये। विधि शास्त्री होम्स (*Holmes*) के अनुसार "दण्ड का मुख्य उद्देश्य निरोध या निवारण (*Prevention*) है। विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम (*Jermy Bentham*)के मतानुसार " दण्ड का प्रमुख उद्देश्य निवारण (*Prevention*) एवं क्षतिपूर्ति (*Compensation*) है।" वास्तव में दण्ड के उद्देश्य के सिद्धान्तो को दो विचार धाराओ में विभक्त किया जा सकता है। एक विचारधारा के विद्वानो के विचार के अनुसार दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध (*Retribution*) है। इस विचारधारा के लोग अपने सिद्धान्त को नैतिक एवं नीतिशास्त्रीय आधार पर आधारित करते है। इनके विचारानुसार व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दण्ड मिलना ही चाहिए। दूसरी विचारधारा के अनुसार दण्ड का उद्देश्य संरक्षण देना और राज्य एवं समाज के कल्याण को प्रोत्साहित प्रदान करना होता है। इस विचारधारा के विद्वान अपने सिद्धान्तो को समाजशास्त्रीय प्रस्ताव पर आधारित करते है।

(b) कुछ विधि शास्त्रियो एवं समाजिक चिन्तको द्वारा दी गयी दण्ड की परिभाषा-

(1) टैफ्ट - " हम दण्ड की परिभाषा उस जागरूक दबाव के रूप में कर सकते है जो समाज की शान्ति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव-युक्त कष्ट जो सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता है, देता है।"

(2) सदरलैण्ड- सदरलैण्ड महोदय के अनुसार लोक-न्याय के उपकरण के रूप में दण्ड में निम्नलिखित दो बातें अनिर्वाय रूप से पाई जाती है-

(अ) यह (दण्ड)समूह द्वारा अपनी सम्मिलित क्षमता के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसी समूह का सदस्य माना जाता है।

(ब) दण्ड में कष्ट एवं पीड़ा सम्मिलित रहती है जो दण्ड के प्रारूप द्वारा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा में निहित किसी मूल्य द्वारा न्यायोचित ठहराई जाती है।

(3) रैकलेस- " दण्ड समाजिक नियन्त्रण का एक साधन है। एक समूह का एक अन्याय (*Wrong*), एक आघात (*Injury*) अथवा विधि एवं प्रथा के उल्लंघन के लिए प्रतिशोध लेता है। समाज, राष्ट्र संघ अथवा समूह (यहाँ अधिकारी व्यक्तियो से अभिप्रेत है) दण्ड को व्यक्तियो के आचरण को नियमित करने, यथास्थिति बनाये रखने एवं निश्चितता लाने हेतु एक उपकरण के रूप में धारण करता है।"

(4) फेरी (*Ferri*)- "दण्ड के विधिक प्रतिरोध है।" ("*Punishment is a legal deterrent* ")

(5) सेठना- "दण्ड एक प्रकार की समाजिक निन्दा है और इसमें आवश्यक नहीं है कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो।"

(6) वेस्टरमार्क- " दण्ड वह पीड़ा है जो एक निश्चित ढंग से समाज के द्वारा या समाज के नाम पर अपराधी को दी जाती है जो उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है।"

(7) एनरिको फैरी (**Enrico Ferri**) ने दण्ड को एक विधिक प्रतिरोध निरूपित किया है।

(8) मनुस्मृति के अनुसार दण्ड ही प्रजा जनो की जान-माल की संरक्षा करता है इसलिए अपराधी को दण्डित करना शासक का परम 'धर्म' है। संक्षेप में मनुस्मृति के अनुसार " सामाजिक व्यवस्था के रक्षार्थ बनाये गए कानून के उल्लंघन के लिए उस व्यवस्था को स्थापित करने वाली इकाई द्वारा उल्लंघनकर्ता को भय के रूप में जो भी शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट पहुंचाया जाता है, वह दण्ड कहलाता है।"

(c) दण्ड के सिद्धान्त-

दण्ड के उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विद्वानो ने दण्ड के सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। मैककॉनल (**Mc Connell**) ने दण्ड के सिद्धान्तो को पांच श्रेणियो में बाँटा है-

- (1) प्रायश्चित का सिद्धान्त
- (2) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त
- (3) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त
- (4) सुधारात्मक सिद्धान्त
- (5) सामाजिक उपयोगिता का सिद्धान्त

किर्चवे (**Kirchwey**) ने दण्ड के सिद्धान्तो को चार भागो में विभक्त किया है-

- (1) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त
- (2) प्रायश्चित का सिद्धान्त
- (3) प्रतिशोध का सिद्धान्त
- (4) प्रतिरोध का सिद्धान्त

प्रतिरोध के सिद्धान्त को उन्होनें दो भागो में विभक्त किया है-

- (1) भविष्य में अपराध करने से अपराधी का प्रतिरोध
- (2) उदाहरण द्वारा समाज का प्रतिरोध ।

विलोबी (**Willoughby**) के अनुसार दण्ड के सिद्धान्तो को चार भागो में विभक्त किया जा सकता है-

- (1) प्रतिशोध
- (2) प्रतिरोध
- (3) निरोध
- (4) सुधार आदि

टामस हिलग्रीन के अनुसार दण्ड के तीन पहलू है-" प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक ।

उपरोक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए दण्ड सिद्धान्तो को निम्नलिखित पांच भागो में विभक्त किया जा सकता है-

- (1) **प्रायश्चित का सिद्धान्त**— यह सिद्धान्त धार्मिक भावना पर आधारित है। इस सिद्धान्त को दण्ड का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता क्योंकि यह केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है। विधि के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रायश्चित के पश्चात दण्ड न दिया जाये।
- (2) **प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त** — इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलना ही चाहिए। **जर्मन दार्शनिक कान्ट(Kant)** इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक थे। उनके अनुसार कर्तव्य (कर्म) संसार में सर्वोच्च वस्तु है। कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति को अधिकार (फल) मिलना ही चाहिए। दण्ड तभी उचित हो सकता है जबकि यह अपराध के अनुसार हो।
- (3) **प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त**— प्रतिरोध का अर्थ रोकना या रोक लगा देना है। इस सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के द्वारा उन व्यक्तियों पर रोक लगा देना है जो गलत रास्ते पर चलकर समाज को हानि पहुंचाते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार में सुख और दुःख का सहारा लेता है अर्थात् मनुष्य वही कार्य करता है जिसमें उसे सुख अधिक और दुःख कम मिलता है। इस प्रकार अपराध मनुष्य की सुख प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि दण्ड देने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराध करने में व्यक्ति ने कितने सुख की प्राप्ति की है, दण्ड भोगने में उस सुख से अधिक दुःख या पीड़ा होनी चाहिये।
- (4) **निरोधात्मक सिद्धान्त**— निरोधात्मक सिद्धान्त का उद्देश्य अपराधियों को रोकना है। अपराधियों को अपराध करने से रोकना और समाज को रोकना, अर्थात् अलग रखना ताकि उसके अनुकरण से अन्य लोग अपराधी न बने, इसी आधार पर यह सिद्धान्त आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधियों को समाज में पृथक रखने के दो तरीके हैं—कारावास या मृत्युदण्ड।
- (5) **सुधारात्मक सिद्धान्त**—प्रतिशोध, प्रतिरोध, निरोध सिद्धान्त अपराधों की संख्या में कमी नहीं कर सके। नये-नये सिद्धान्तों पर अमल के साथ ही अपराध भी बढ़ते ही गये, क्योंकि उपयुक्त सभी सिद्धान्त अपराध की एकपक्षीय व्याख्या ही प्रस्तुत करते हैं। इक्कीसवीं शताब्दी सुधार का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले सुधारों के पीछे एक ही दर्शन कार्य कर रहा है कि "सम्पूर्ण प्राचीन व्यवस्था दोषपूर्ण है।" जब "आंख के लिए आंख" का सिद्धान्त अपराध नहीं रोका सका तब सुखवादी दर्शन का उदय हुआ जिसमें अत्यधिक पीड़ा या कष्ट के महत्व को स्वीकार किया गया। जब यह सिद्धान्त भी असफल रहा तब दण्ड को कठोर किया गया और देशनिष्कासन एवं प्राणदण्ड को प्रयोग के रूप में स्वीकार किया गया, किन्तु उससे भी अपराध रूके नहीं। इन सबका परिणाम यह निकाला गया कि दण्ड की कठोरता से अपराध नहीं रूक सकते, अतः अपराधियों को सुधारा जाये। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि समाज का वातावरण ही अपराध के लिए उत्तरदायी है। अपराध के कारणों की खोज सामाजिक वातावरण में की जानी चाहिए, व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं में नहीं। अपराध की अपेक्षा अपराधी पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार गलती मनुष्य से ही

होती है, उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे मनुष्य को अधिक से अधिक न्याय मिल सके। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराध एक बीमारी है, अतः जिस प्रकार बीमारी का इलाज किया जाता है, उसी प्रकार अपराध का निदान हो सकता है। यह सिद्धान्त मानवता के महान दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके अनुसार मनुष्य द्वारा मनुष्य को कठोर सजा देना अन्याय है। अपराधों के निराकरण के लिए समाज, परिवार और पड़ोस के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए। अपराधी को सजा न देकर उसे जीवन यापन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें अपराध के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है और नैतिकता के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राणदण्ड की अपेक्षा कारावास को महत्वपूर्ण माना जाता है जिससे अपराधी को सुधार का अवसर मिल सके।

दण्ड के उद्देश्य, विधि शास्त्रियों द्वारा दण्ड के बावत दिये गये मत तथा दण्ड के सिद्धान्तों के विमर्श उपरान्त भारत वर्ष में लागू दण्ड के प्रावधानों का वर्णन करना उचित प्रतीत होता है।

भारत में दण्ड के प्रावधान—दण्ड संहिता की धारा 53 के अन्तर्गत मूलतः छः प्रकार के दण्डों का उल्लेख था जिनमें से तीसरे क्रमांक पर दर्शाये गये दण्ड को 06 अप्रैल 1949 से दण्डिक विधि (जातीय भेद-भाव बहिष्करण) अधिनियम, 1949 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा सन् 1955 के दण्डिक विधि संशोधन द्वारा क्रमांक दो पर आजीवन काले पानी के दण्ड को हटाकर उसकी जगह ' आजीवन कारावास ' का दण्ड प्रतिस्थापित किया गया है। अतः अब इस धारा के अन्तर्गत केवल पांच प्रकार के दण्डों की व्यवस्था है, जो क्रमानुसार (1) मृत्यु दण्ड (2) आजीवन कारावास (3) कठोर (सश्रम) कारावास या साधारण कारावास (4) सत्पत्ति का समपहरण, तथा (5) जुर्माना, है।

मृत्युदण्ड—भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्युदण्ड दिया जा सकता है—

- (1) राज्य के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करना या उसका ना (धारा 121)।
- (2) ऐसे सैनिक विद्रोह का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह वास्तव में हुआ हो—(धारा 132)।
- (3) ऐसी मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके परिणामस्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाय।(धारा 194)।
- (4) हत्या (धारा 302)।
- (5) आजीवन कारावास भुगत रहे अपराधी द्वारा हत्या (धारा 303)।
- (6) किसी बालक, पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्म-हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना (धारा 305)।
- (7) आजीवन कारावास भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास, जिससे चोट कारित हुई हो (धारा 307)।
- (8) मृत्यु सहित डकैती (धारा 396)।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त आठ अपराधों में से धारा 303 के अन्तर्गत किये गये अपराध को छोड़कर शेष सभी अपराधों के लिए मृत्युदण्ड के विकल्प में आजीवन कारावास के दण्ड की व्यवस्था है। जहाँ तक हत्या या मानव-वध के अपराध के लिए दण्ड का प्रश्न था, सन् 1955 के पूर्व इसके लिए मृत्यु दण्ड दिया जाना सामान्य नियम था जबकि आजीवन कारावास का वैकल्पिक दण्ड केवल अपवादास्मद परिस्थितियों में ही दिया जा सकता था, अर्थात् यदि न्यायाधीश मृत्यु दण्ड के बजाय आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाना न्यायोचित समझता था, तो उसे अपने दण्डादेश में उन कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य था जिनकी वजह से वह अभियुक्त के प्रति उदारता बरती जाना समझता था। लेकिन सन् (1955) के दण्डिक विधि संशोधन के पश्चात् स्थिति इससे ठीक विपरीत हो गयी तथा अब हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास सामान्य नियम हो गया जबकि मृत्युदण्ड केवल अपवाद के रूप में दिया जा सकता है और मृत्युदण्ड देते समय न्यायाधीश को अपने दण्डादेश में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह उस मामले में मृत्युदण्ड ही देना क्यों उचित समझता है। इस नियम को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354(3) के उपबन्धों में समाविष्ट किया गया है जिसके अनुसार मृत्यु दण्डादेश देते समय न्यायाधीश द्वारा इसके विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना एक विधिक कर्तव्य के रूप में अनिवार्य माना गया है।

भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त विधायिका द्वारा सन् 2012 में बालको का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालको का संरक्षण करने और उनसे सम्बन्धित अपराधों का विचारण करने के लिए उपबन्ध बनाने का था। इस अधिनियम के रहते हुए भी बालको पर लैंगिक हमले के अपराध बढ़ते गये जिसके फलस्वरूप सन् 2018 में विधायिका के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर बलात्कार जैसे मामले में मृत्यु दण्ड तक के प्रावधानों को जोड़ा गया। ऐक्ट संख्या 25 सन् 2019 जिसकी लागू तिथि दिनांक 16-08-2019 थी, के माध्यम से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एवं धारा 6 में संशोधन किया गया एवं धारा 6 में मृत्युदण्ड के प्रावधान को जोड़ा गया, अतः तात्पर्य यह है कि विधायिका जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, को बालको से सम्बन्धित बलात्कार के मामले को गम्भीर मानकर उनमें कठोर दण्ड के प्रावधान जोड़े गये। यह संशोधन विधायिका की मंशा को दर्शाता है। सुस्थापित विधि व्यवस्थाओं के अनुसार मृत्यु दण्ड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए एवं गम्भीर मामलों में भी सामान्यतः आजीवन कारावास ही दिया जाना चाहिए। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिपादित विधि सिद्धान्त का उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ।

विधि व्यवस्था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980 SC 898 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपने निर्णय के निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि—

151. Section 354 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973,

marks a significant shift in the legislative policy underlying the Code of 1894 as in force immediately before April 1, 1974, according to which both the alternative sentences of death or imprisonment for life provided for murder and for certain other capital offences under the Penal Code, were normal sentences. Now according to this changed legislative policy which is patent on the face of Section 354 (3), the normal punishment for murder and six other capital offence under the Penal Code, is imprisonment for life (or imprisonment for a term of years) and death penalty is exception.

*152. In the context, we may also notice Section 235 (2) of the Code of 1973, because it makes not only explicit, what according to the decision in Jagmohan's case was implicit in the scheme of the Code, but also bifurcates the trial by providing for two hearing, one at the pre-conviction stage and another at the pre-sentence stage. Although sub-section (2) of Section 235 does not contain a specific provision as to evidence and provides only for hearing of the accused as to sentence, yet it is implicit in this provision that if a request is made in that behalf by either the prosecution or the accused, or by both, the Judge should give the party or parties concerned an opportunity of producing evidence or material relating to the various bearing on the question of sentence. "Of course", as was pointed out by this Court in-**Santa Singh Vs. State of Punjab**, AIR 1976 SC 2386" care would have to be taken by the Court to see that this hearing on the question of sentence is not turned into an instrument for unduly protracting the proceedings. The claim of due and proper hearing would have to be harmonized with the requirement of expeditious disposal of proceedings."*

164. Now, Section 235(2) provides for a bifurcated trial and specifically gives the accused person a right of pre-sentence hearing, at which stage, he can bring on record material or evidence, which may not be strictly relevant to or connected with the particular crime under inquiry, but nevertheless, have consistently with the policy underlined in Section 354(3), a bearing on the choice of sentence. The present legislative policy discernible from Section 235(2) read with Sec. 354(3) is that in fixing the degree of punishment or making the choice of sentence for various offences, including one under Section 302 Penal Code, the Court

should not confine its consideration " principally" or merely to the circumstances connected with particular crime, but also give due consideration to the circumstances of the criminal.

195. *In Jagmohan , this Court had held this sentencing discretion is to be exercised judicially on well-recognised principles, after **balancing all the aggravating and mitigating circumstances of the crime.** By "Well-recognised principles" the Court obviously meant the principles crystallised by judicial decisions illustrating as to what were regarded as aggravating or mitigating circumstances in those cases. The legislative changes since Jagmohan- as we have discussed already – do not have the effect of abrogating or nullifying those principles. The only effect is that the application of those principles is now to be guided by the paramount beacons of legislative policy discernible from Sections 354 (3) and 235(2), namely :*

(1) The extreme penalty can be inflicted only in gravest cases of extreme culpability.

(2) In making choice of the sentence, in addition to the circumstances of the offence, due regard must be paid to the circumstances of the offender also.

197. **Pre-planned, calculated, cold-blooded murder** has always been regarded as one of an **aggravated kind.** In Jagmohan, it was reiterated by this Court that if a murder is "**diabolically conceived and cruelly executed**", it would justify the imposition of the death penalty on the murderer.

The same principle was substantially reiterated by V.R. Krishna Iyer, J., speaking for the Bench, in *Ediga Anamma*, in these terms: " The weapons used and the manner of their use, the horrendous features of the crime and helpless state of the victim, and the like, steel the heart of the law for a sterner sentence."

199. *With great respect, we find ourselves unable to agree to this enunciation. As we read Sections 354(3) and 235 (2) and other related provisions of the Code of 1973, it is quite clear to us that for making the choice of punishment or for ascertaining the existence or absence of " special reasons", in that context, the Court must pay due regard both to the crime and the criminal. What is the **relative weight to be given to the aggravating and mitigating factors, depends on the facts and circumstances of the particular case.** More often than not, these two aspects are so intertwined that it is difficult to give a separate treatment to each of them. This is so*

because 'style is the man'. In many cases, the extremely cruel or beastly manner of the commission of murder is itself a demonstrated index of the depraved character of the perpetrator. That is why, it is not desirable to consider the circumstances of the crime and the circumstances of the criminal in two separate water-tight compartments. In a sense, to kill is to be cruel and therefore all murders are cruel. But such cruelty may vary in its degree of culpability. And it is only when the culpability assumes the proportion of extreme depravity that "special reasons" can legitimately be said to exist.

200. Drawing upon the penal statutes of the States in U.S.A. framed after Furman v. Georgia, in general, and clauses 2 (a), (b), (c) and (d) of the Indian Penal Code (Amendment) Bill passed in 1978 by the Rajya Sabha, in particular, Dr. Chitale has suggested these "aggravating circumstances".

Aggravating circumstances :

A Court may, however, in the following cases impose the penalty of death in its discretion :

(a) if the murder has been committed after previous planning and involves extreme brutality; or

(b) if the murder involves exceptional depravity; or

(c) if the murder is of a member of any of the armed forces of the Union or of a member of any police force or of any public servant and was committed—

(i) while such member or public servant was on duty; or

(ii) in consequence of anything done or attempted to be done by such member or public servant in the lawful discharge of his duty as such member or public servant whether at the time of murder he was such member or public servant, as the case may be, or had ceased to be such member or public servant; or

(d) if the murder is of a person who had acted in the lawful discharge of his duty under Section 43 of the Code of Criminal procedure, 1973 or who had rendered assistance to a Magistrate or a police officer demanding his aid or requiring his assistance under Section 37 and section 129 of the said Code."

204. Dr. Chitale has suggested these mitigating factors:

Mitigating circumstances:—

In the exercise of its discretion in the above cases, the Court shall take into account the following circumstances:—

(1) That the offence was committed under the influence of extreme mental or

emotional disturbance.

(2) The age of the accused. If the accused is young or old , he shall not be sentenced to death.

(3) The probability that the accused would not commit criminal acts of violence as would constitute a continuing threat to society.

(4) The probability that the accused can be reformed and rehabilitated. The State shall by evidence prove that the accused does not satisfy the conditions 3 and 4 above.

(5) That in the facts and circumstances of the case the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6) That the accused acted under the duress or domination of another person.

(7) That the condition of the accused showed that he was mentally defective and that the said defect impaired his capacity to appreciate the criminality of his conduct.

207. There are numerous other circumstances justifying the passing of the lighter sentence; as there are countervailing circumstances of aggravation. "We cannot obviously feed into a judicial computer all such situations since they are astrological imponderables in an imperfect and undulating society." Nonetheless, it cannot be over-emphasized that the scope and concept of mitigating factors in the area of death penalty must receive a liberal and expansive construction by the courts in accord with the sentencing policy writ large in Section 354(3). Judges should never be blood-thirsty. Hanging of murderers has never been too good for them. Facts and figures albeit incomplete, furnished by the Union of India, show that in the past, Courts have inflicted the extreme penalty with extreme infrequency- a fact which attests to the caution and compassion which they have always brought to bear on the exercise of their sentencing discretion in so grave a matter. It is, therefore, imperative to voice the concern that courts, aided by the broad illustrative guidelines indicated by us, will discharge the onerous function with evermore scrupulous care and humane concern, directed along the highroad of legislative policy outlined in Sec. 354 (3), viz., that for persons convicted of murder, life imprisonment is the rule and death sentence an exception. A real and abiding concern for the dignity of human life postulates resistance to taking

a life through law's instrumentality. That ought not to be done save in the rarest of rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 SC 957** में निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि -

32. The reasons why the community as a whole does not endorse the humanistic approach reflected in "death sentence in no case" doctrine are not far to seek. In the first place, the very humanistic edifice is constructed on the foundation of "reverence for life" principle. When a member of the community violates this very principle by killing another member, the society may not feel itself bound by the shackles of this doctrine. Secondly, it has to be realised that every member of the community is able to live with safety without his or her own life being endangered because of the protective arm of the community and on account of the rule of law enforced by it. The very existence of the rule of law and the fear of being brought to book operates as a deterrent to those who have no scruples in killing others if it suits their ends. Every member of the community owes a debt to the community for this protection. When ingratitude is shown instead of gratitude by 'killing' a member of the community which protects the murderer himself from being killed, or when the community feels that for the sake of self preservation the killer has to be killed, the community may well withdraw the protection by sanctioning the death penalty. But the community will not do so in every case. It may do so (in rarest of rare cases) when its collective conscience is so shocked that it will expect the holders of the judicial power center to inflict death penalty irrespective of their personal opinion as regards desirability or otherwise of retaining death penalty. The community may entertain such a sentiment when the crime is viewed from the platform of the motive for, or the manner of commission of the crime, or the ant-social or abhorrent nature of the crime, such as for instance:

I. Manner of Commission of Murder

When the murder is committed in an extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting, or dastardly manner so as to arouse intense and extreme indignation of the community. For instance-

(i) *When the house of the victim is set aflame with the end in view to roast him alive in the house,*

(ii) *When the victim is subjected to inhuman acts of torture or cruelty in order to bring about his or her death.*

(iii) *When the body of the victim is cut into pieces or his body is dismembered in a fiendish manner.*

II. Motive for commission of murder

When the murder is committed for a motive which evinces total depravity and meanness for instance when (a) a hired assassin commits murder for the sake of money or reward; (b) a coldblooded murder is committed with a deliberate design in order to inherit property or to gain control over property of a ward or a person under the control of the murder or vis-a-vis whom the murderer is in a dominating position or in a position of trust; (c) a murder is committed in the course for betrayal of the motherland.

III. Anti-social or socially abhorrent nature of the crime.

(a) *When murder of a member of a Scheduled Caste or minority community etc, is committed not for personal reasons but in circumstances which arouse social wrath . For instance when such a crime is committed in order to terrorize such persons and frighten them into fleeing from a place or in order to deprive them of, or make them surrender, lands or benefits conferred on them with a view to reverse past injustices and in order to restore the social balance.*

(b) *In cases of 'bride burning 'and what are know as 'dowry deaths' or when murder is committed in order to remarry for the sake of extracting dowry once again or to marry another woman on account of infatuation.*

IV. Magnitude of crime

When the crime is enormous in proportion. For instance when multiple murders say of all or almost all the members of a family or a large number of persons of a particular caste, community, or locality, are committed.

V. Personality of victim of murder

When the victim of murder is (a) an innocent child who could not have or has not provided even an excuse, much less a provocation, for murder. (b) a helpless woman or a person rendered helpless by

old age or infirmity. (c) when the victim is a person vis-a-vis whom the murderer is in a position of domination or trust, (d) when the victim is a public figure generally loved and respected by the community for the services rendered by him and the murder is committed for political or similar reasons other than personal reasons.

33. In this background the guidelines indicated in Bachan Singh's case (supra) will have to be culled out and applied to the facts of each individual case where the question of imposing of death sentence arises. The following propositions emerge from Bachan Singh's case:

(i) The extreme penalty of death need not be inflicted except in gravest cases of extreme culpability;

(ii) Before opting for the death penalty the circumstances of the 'offender' also require to be taken into consideration along with the circumstances of the 'crime';

(iii) Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. In other words death sentence must be imposed only when life imprisonment appears to be an altogether inadequate punishment having regard to the relevant circumstances of the crime, and provided and only provided, the option to impose sentence of imprisonment for life cannot be conscientiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all the relevant circumstances;

(iv) A balance-sheet of aggravating and mitigating circumstances has to be drawn up and in doing so the mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the aggravating and the mitigating circumstances before the option is exercised.

34. In order to apply these guidelines inter- alia the following questions may be asked and answered:

(a) Is there something uncommon about the crime which renders sentence of imprisonment for life inadequate and calls for a death sentence?

(b) Are the circumstances of the crime such that there is no alternative but to impose death sentence even after according maximum weightage to the mitigating circumstances which speak in

favour of the offender?

35. If upon taking an overall global view of all the circumstances in the light of the aforesaid proposition and taking into account the answers to the questions posed hereinabove, the circumstances of the case are such that death sentence is warranted, the Court would proceed to do so.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम दिल्ली राज्य **AIR 2017 S.C. 2161** जिसको निर्भया केस भी कहा जाता है में निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया -

477. Whether the Case falls under rarest of rare cases:

*Law relating to award of death sentence in India has evolved through massive policy reforms—nationally as well as internationally and through a catena of judicial pronouncements, showcasing distinct phases of our view towards imposition of death penalty. Undoubtedly, continuing prominence of reformatory approach in sentencing and India's international obligations have been majorly instrumental in facilitating a visible shift in court's view towards restricting imposition of death sentence. While closing the shutter of deterrent approach of sentencing in India, the small window of 'award of death sentence' was left open in the category of 'rarest of rare case' as held in *Bachan Singh v. State of Punjab* (1980) 2 SCC 684: (AIR 1980 SC 898), by a Constitution Bench of this Court.*

*482. After referring to a catena of judicial pronouncement post *Bachan Singh* (AIR 1980 SC 898) (supra) and *Machhi Singh* (AIR 1983 SC 957) (supra), in the case of *Ramnaresh and Ors. v. State of Chhattisgarh* (2012) 4 SCC 257: (AIR 2012 SC 1357), this Court, tried to lay down a nearly exhaustive list of aggravating and mitigating circumstances. It would be apposite to refer to the same here:*

Aggravating circumstances:

(1) The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping, etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.

(2) The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.

(3) The offence was committed with the intention to create a fear

psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.

(4) The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.

(5) Hired killings.

(6) The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.

(7) The offence was committed by a person while in lawful custody.

(8) The murder or the offence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty Under Section 43 Code of Criminal Procedure. When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community. When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman, a daughter or a niece staying with a father/uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.

(9) When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

(10) When there is a cold-blooded murder without provocation.

(11) The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

Mitigating circumstances:

(1) The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.

(2) The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

(3) The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4) The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the

circumstances of his criminal conduct.

(5) The circumstances which, in normal course of life, would render such a behaviour possible and could have the effect of giving rise mental imbalance in that given situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of human behaviour that, in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6) Where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

(7) Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eye-witness though the prosecution has brought home the guilt of the accused."

484. As dealing with sentencing, courts have thus applied the "Crime Test", "Criminal Test" and the "Rarest of the Rare Test", the tests examine whether the society abhors such crimes and whether such crimes shock the conscience of the society and attract intense and extreme indignation of the community . Courts have further held that where the victims are helpless women, children or old persons and the accused displayed depraved meanness, committing crime in a diabolic manner, the accused should be shown no remorse and death penalty should be awarded.

495. Another significant development in the sentencing policy of India is the 'victim-centric' approach, clearly recognised in Macchi Singh(AIR 1983 SC 957) (supra) and re-emphasized in a plethora of cases. It has been consistently held that the courts have a duty towards society and that the punishment should be corresponding to the crime and should act as a soothing balm to the suffering of the victim and their family. The Courts while considering the issue of sentencing are bound to acknowledge the rights of the victim and their family, apart from the rights of the society and the accused. The agony suffered by the family of the victims cannot be ignored in any case. In Mohfil Khan (supra), this Court specially observed that it would be the paramount duty of the Court to provide justice to the incidental victim of the crime- the family members of the deceased persons.

उपरोक्त सिद्धान्तों को समाहित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था
2013 **CRI.L.J.** शंकर कृष्णाराव खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त

महत्वपूर्ण है,जिसके अनुसार-

24. *The list of cases mentioned above,wherein this Court had awarded death sentence and cases where this Court had commuted death sentence,is not exhaustive but only illustrative. This bench in Sangeeta and Ors.V.State of Haryana (2013)2 SCC 452 : (AIR 2013 SC 447 :2012 AIR SCW 6416) notices that the circumstances of the criminal referred to in Bachan Singh (AIR 1980 SC 898) appeared to have taken a bit of back seat in the sentencing process and held despite Bachan Singh, the particular crime continues to play a more important role than the 'crime and criminal'test. In conclusion, we have said, inter alia, as follows:-*

1- *The application of aggravating and mitigating circumstances need a fresh look. This Court has not endorsed that approach in Bachan Singh. In any event ,there is little or no uniformity in the application of this approach.*

2- *Aggravating circumstance relate to the crime while mitigating circumstance relate to the criminal . A balance sheet cannot be drawn up for comparing the two. The considerations for both are distinct and unrelated. The use of the mantra of aggravating and mitigating circumstances needs a review.*

3- *In the sentencing process, both the crime and the criminal are equally important. We have,unfortunately not taken the sentencing process as seriously as it should be with the result that in capital offences, it has become, Judge- centric sentencing rather than principled sentencing .*

4- *The Constitution Bench of this Court has not encouraged standardization and categorization of crimes and even otherwise it is not possible to standardize and categorize all crimes."*

25. *In Bachan Singh (AIR 1980 SC 898) and Machhi Singh (AIR 1983 SC 957) cases , this Court laid down various principles for awarding sentence: "*

Aggravating circumstances- (Crime test)

1- *The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.*

2- *The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.*

3- *The offence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to*

the life of more than one person.

4- *The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.*

5- *Hired Killings.*

6- *The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.*

7- *The offence was committed by a person while in lawful custody.*

8- *The murder or the offence was committed, to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty under Section 43, Code of Criminal Procedure.*

9- *When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community.*

10- *When the victim is innocent , hlepless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child , heelples woman, a daughter or a nice staying with a father/uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.*

11- *When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.*

12- *When there is a cold blooded murder without provocation.*

13- *The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.*

Mitigating Circumstances: (Criminal test)

1- *The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.*

2- *The age of accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.*

3- *The chance of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.*

4- *The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.*

5- *The circumstances which, in normal course of life, would render such a behaviour possible and could have the effect of giving rise to mental imbalance in that given situation like presistnet harassment or, in fact, leading to such a peak of human behavior that, in the facts and circmstances of the*

case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

6- *Where the Court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequence to the commission of the primary crime.*

7- *Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eye-witness though prosecution has brought home the guilt of the accused.*

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था-**पुरुषोत्तम दशरथ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 6 SCC 652** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि -

The object of sentencing policy should be to see that crime does not go unpunished and victim of crime as also the society has satisfaction that justice has been done to it. In case of offences against women & children, stricter yardstick ought to be adopted by the sentencing court. There are shockingly large number of cases where sentence awarded is not in proportion to gravity and magnitude of offence, thereby encouraging criminal and ultimately making justice suffer by weakening systems's credibility.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दो और महत्वपूर्ण निर्णय **स्टेट आफ पंजाब बनाम सौरभ बक्सी (2015) 5 SCC 182** एवं **रवाड़ा शशिकला बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश (2017) 4 SCC 546** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

Principle of sentencing recognizes corrective measures but there are occasions when deterrence is an imperative necessity depending upon facts of a particular cases. Undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law and the society cannot long endure under such serious threats. It is ,therefore, the duty of every court to award proper sentence by having regard to the nature of the offence and the manner in which it was committed. Imposition of sentence without considering its effect on the social order in many case may in reality be a futile exercise.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त सामान्यतः हत्या जैसे अपराध के परिप्रेक्ष्य में विरल से विरलतम परिस्थितियों के बावत मत व्यक्त करते हैं। विधायिका द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में सन् 2018 में तथा पाक्सो अधिनियम 2012 में सन् 2019 में संशोधन कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी गयी एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार कुछ परिस्थितियां रहते हुए बलात्कार जैसे अपराध में मृत्यु दण्ड का प्रावधान जोड़ा गया। विधायिका द्वारा ऐसा कर बलात्कार

जैसे मामलो को जघन्नय माना गया एवं जब यह बलात्कार किसी अवयस्क बालिका के साथ हो तो उसे और जघन्नय मानकर इस अपराध के लिए मृत्युदण्ड का भी दण्ड प्रावधानित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को मार्ग दर्शक मानते हुए एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पूर्ववत् में एक पिता द्वारा न्यास के विरुद्ध अपनी पुत्री पर यौन अपराध करने को उत्तेजक परिस्थितियां माना गया है, मैं इस प्रकरण से सम्बन्धित उत्तेजक एवं शमनकारी परिस्थितियों पर विमर्श देना समीचीन समझता हूँ। निर्णय के इस भाग में उल्लिखित किये गये दण्ड के उद्देश्य, विधि शास्त्रियों द्वारा दिये गये दण्ड के मत, दण्ड के सिद्धान्त तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में उत्तेजक परिस्थितियां (Aggravating circumstances) एवं शमनकारी परिस्थितियों (Mitigating circumstances) का तुलनात्मक विश्लेषण और उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस उल्लेख को करते समय यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकरण में एक पिता द्वारा अपनी नैसर्गिक अवयस्क पुत्री के साथ मात्र एक बार नहीं बल्कि अनेको बार बलात्कार किया गया, ऐसे में विचारणीय यह भी रहेगा कि क्या यह प्रकरण बलात्कार से सम्बन्धित अपराध में विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है अथवा नहीं।

प्रस्तुत मामले में उत्तेजक परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances) इस प्रकार है-

1- अपराध की प्रकृति एवं कारित करने का तरीका (Nature and Manner of Commission of Crime) - प्रस्तुत प्रकरण में सिद्ध दोष नान्हू खां द्वारा शुजा के साथ कई बार बलात्कार किया गया। चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 3 नदीम के साबित साक्ष्यानुसार उसने स्वयं अपने पिता को तीन से चार बार शुजा के साथ बलात्कार करते हुए देखा। यह बलात्कार एक न्यासी द्वारा अपनी पुत्री के साथ किया गया जिससे उसका वैश्वासिक सम्बन्ध था। सिद्धदोष की पुत्री अवयस्क थी एवं वह अपने पिता से लड़ नहीं सकती थी और न ही प्रतिरोध कर सकती थी। सिद्धदोष द्वारा अपनी पुत्री की ही नंगी फोटो खींच कर ब्लेकमेल किया गया एवं इस घटना का उल्लेख जब शुजा द्वारा अपनी मां से किया गया तो सिद्धदोष द्वारा दोनों को मारा पीटा गया। सिद्धदोष द्वारा शुजा को लगातार धमकी दी जाती रही तथा जब शुजा के भाई ने सिद्धदोष को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देख लिया एवं जब वह हड़बड़ाकर मौके से भागा तो सिद्धदोष द्वारा उसे रास्ते में पकड़कर मारा पीटा गया। सिद्धदोष द्वारा शुजा की शादी भी कर दी गयी थी एवं शादी उपरान्त भी एक पिता द्वारा अपनी ही पुत्री से बलात्कार किया जाता रहा एवं उसे ससुराल नहीं जाने दिया गया। सिद्धदोष द्वारा शुजा को गोली देकर तथा अपने लिंग पर प्लास्टिक की चीज लगाकर बलात्कार किया गया जिससे कि शुजा गर्भधारण न कर सके। सिद्धदोष द्वारा अपनी कामवासना की पूर्ति हेतु मात्र दो दिन के सिवाए शुजा को अपने ससुराल भी नहीं जाने दिया गया। इस सिद्धदोष द्वारा वह

सभी हथकण्डे अपनाये गये जिससे कि वह अपनी कामवासना की पूर्ति भी करता रहे और समाज को इसका पता न चले। सिद्धदोष जो शुजा का पिता था ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो निर्विवाद रूप से शुजा की मानसिक चेतना को हिला दिया होगा। यह अवयस्क लड़की इस कृत्य को लगातार झेलती रही एवं जब भी अपनी मां से बताना चाही तो या तो उसको धमकी दी गयी या तो उसको मारा पीटा गया। निर्विवाद रूप से इस अवयस्क लड़की शुजा के लिए स्थिति ऐसी बन गयी होगी कि वह अपनी हत्या कर ले। सिद्धदोष द्वारा अपनी पुत्री से लगातार बलात्कार करना उसकी पाशविकता तथा उसकी क्रूरता का स्वयं व्याख्यान करती है।

2- अपराध कारित करने के पीछे हेतुक (*Motive of Commission of Crime*)— प्रस्तुत मामले में सिद्ध दोष नान्हू खां द्वारा अपने कामवासना की पूर्ति के लिए अपनी ही चौदह वर्षीय नैसर्गिक पुत्री के साथ लगातार बलात्कार किया गया। इस बलात्कार की अवधि प्रथम सूचना के दिन से लगभग दो साल लगातार की है अर्थात् जब शुजा मात्र तेरह वर्ष की रही होगी तभी से उसके साथ उसके नैसर्गिक पिता ने बलात्कार करना शुरू कर दिया। सिद्धदोष द्वारा यह बलात्कार एक बार नहीं किया गया अपितु कई बार किया गया। यह मात्र सोचा ही जा सकता है कि हर वो दिन जिस दिन सिद्धदोष द्वारा शुजा से बलात्कार किया जाता रहा होगा उसके मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या कोई पिता भी ऐसा हो सकता है एवं उसका पिता उसकी मां के रहते हुए भी उसके साथ यह कृत्य क्यों कर रहा है। सिद्ध दोष द्वारा मात्र अपने हवस की पूर्ति हेतु एक ऐसे शिकार को चुना गया जो उसकी खुद की नैसर्गिक अवयस्क पुत्री थी तथा उसके साथ लगातार बलात्कार कर मानवता को शर्मसार कर दिया गया।

3- अपराध की भयावहता (*Magnitude of Crime*) – सिद्धदोष जानता था कि उसकी पुत्री अवयस्क है एवं जब उसने बलात्कार करना शुरू किया तो वह मात्र तेरह वर्ष की रही होगी। एक तेरह वर्ष की अवयस्क लड़की का शरीर सम्भोग हेतु पूर्णतया विकसित नहीं रहता है। स्वयं शुजा द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में कहा गया कि जब उसके पिता ने उसके साथ पहलीबार बलात्कार किया तब उसे अत्यधिक पीड़ा हुई थी एवं उसके गुप्तांगो से खून निकला था। एक पिता अपनी पुत्री से बलात्कार करता हो और उसके गुप्तांगो से खून निकलता देख उसे पीड़ा न आये और न ही उसके अन्दर पश्चातावे का भाव आये एवं वह लगातार अपनी पुत्री का बलात्कार करता रहे एवं ऐसे सब प्रयोजन करे कि उसकी पुत्री यह बात अपनी मां से भी न कह पाये तो यह सभी तथ्य सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध की भयावहता को ही दर्शाते हैं।

4- अपराध की पीड़िता का व्यक्तित्व (*Personality of Victim of Crime*)—

प्रस्तुत मामले में पीड़िता प्रथम सूचना के दिन चौदह वर्ष तीन माह तेरह दिन की थी। साबित साक्ष्य के अनुसार सिद्धदोष पीड़िता से प्रथम सूचना से दो वर्ष पूर्व से ही बलात्कार करना शुरू कर दिया, ऐसे में यह स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ लगभग तेरह वर्ष की उम्र से ही

बलात्कार होना प्रारम्भ हो गया। सिद्धदोष ने शुजा की प्रथम लाकडाउन के समय शादी भी कर दी थी, परन्तु उसके बावजूद भी वह शुजा को अपने ससुराल नहीं भेजता था। शुजा एक अवयस्क विवाहित लड़की थी जो अपने पिता के अत्याचार को लगातार सहती रही। निषिद्ध सम्बन्ध होने के बावजूद भी सिद्धदोष द्वारा अपनी पुत्री से ही बलात्कार किया जाता रहा। एक अवयस्क लड़की जिसे यह पता हो कि वह विवाहित है एवं ऐसा रहते हुए भी उसके पिता द्वारा ही उससे बलात्कार किया जा रहा हो, वह उस लड़की के व्यक्तित्व एवं आत्मा को निश्चित तौर पर हिला देगा।

5- सिद्ध दोष की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति-(*Socio-Economic Condition of Convict*) -सिद्धदोष नान्हू खां की उम्र 46 वर्ष है। वह दस पन्द्रह साल से बम्बई में रहकर कमाता है और पिछले दो साल से वह अपने घर पर ही रहता था। उसके दो बड़े पुत्र भी हैं जो बाहर रहकर भी कमाते हैं, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धदोष की आर्थिक स्थिति खराब थी। बम्बई जैसे शहर में रहना उसे समाजिक रूप में भी सक्षम बनाया होगा एवं उसके अन्दर समाज के नियमों का ज्ञान भी लाया होगा।

6- अपराधी का अपराधिक विवरण- (*Criminal Antecedents of the offender*)-

विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी के समय सिद्धदोष नान्हू खां का कोई भी पूर्ववत का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष का पूर्ववत अपराधिक इतिहास महत्वपूर्ण है भी नहीं क्योंकि साबित साक्ष्य के अनुसार सिद्धदोष ने अपनी पुत्री के साथ एक बार नहीं बल्कि अनेकोबार बलात्कार किया। एक पिता अपनी पुत्री का रक्षक होता है। एक पुत्री सुख एवं दुःख में अपने पिता की ओर ही देखती है। वह अपने पति से भी ऊपर स्थान पर अपने पिता को रखती है। एक पुत्री का अपने पिता पर ही सबसे ज्यादा विश्वास (*Faith*), न्यास (*Trust*), आशा (*Hope*) होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा सभी मानवीय मापदण्डों को तोड़कर अपनी पुत्री के साथ ऐसा अपराध किया गया जिसने उसपर उसकी पुत्री के विश्वास की हत्या कर दी। सिद्धदोष द्वारा इस कृत्य से अपनी पुत्री की प्रतिष्ठा समाज में धूमिल करने के साथ-साथ अपनी पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपनी अन्य पुत्रियों की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर उन्हें समाज में अप्रतिष्ठित महसूस करने पर विवश कर दिया। यह असम्भव है कि एक विवाहित पुत्री से उसका पति पुनः उससे सम्बन्ध बनाये जब उसे यह पता चले कि उसकी पत्नी का पिता ही उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा हो। सिद्धदोष द्वारा अपनी पुत्री के साथ प्रथमबार बलात्कार करने के उपरान्त भी ग्लानि का भाव नहीं आया एवं उसके द्वारा यह कृत्य लगातार किया जाता रहा, ऐसे में यह सिद्धदोष एक अभ्यस्थ व्यभिचारी है तथा पूर्ववत अपराधिक इतिहास न रहते हुए भी इसका कृत्य किसी भी मापदण्ड में साधारण नहीं अपितु असाधारण है।

7- अपराध का समाज पर प्रभाव (*Effect of Crime on the Society*) -
सिद्धदोष द्वारा एक न्यासी रहते हुए अपनी विवाहित अवयस्क पुत्री के साथ बलात्कार किया

जाता रहा। सिद्धदोष के गांव का ही एक व्यक्ति पी०डब्लू० 9 के रूप में परीक्षित हुआ। पी०डब्लू० 9 नईम द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि इस घटना के बाद उसके गांव के समाज के लोग काफी दहशत में आ गये। विवेचक पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित हुए एवं उनके द्वारा भी यह कथन किया गया कि इस घटना से गांव के काफी लोग आक्रोशित हो गये थे। सिद्धदोष शुजा का पिता होने के कारण एक न्यासी के रूप में प्रथम पायदान पर था। सिद्धदोष से शुजा का सम्बन्ध मामा का, चाचा का, बाबा का अथवा भाई का नहीं था अपितु सिद्धदोष शुजा का नैसर्गिक पिता था तथा एक वैश्वसिक सम्बन्ध में सबसे अग्रणी था। सामान्यतः ऐसे कृत्य समाज में बाहर नहीं आते हैं, यदि पीड़िता थोड़ी हिम्मत दिखाये एवं ऐसे कृत्य को बाहर लाकर अपने किसी व्यक्तिगत सम्बन्धी से बताये तो या तो उसका व्यक्तिगत सम्बन्धी उस पर विश्वास नहीं करेगा और या तो अगर विश्वास करेगा तो कोई कठोर कदम उठाने में हिचकिचायेगा या शान्त हो जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में शुजा इतनी हिम्मती थी कि उसने यह बात शुरुआत में ही अपनी मां को बतायी थी परन्तु परिस्थितियां ऐसी थी एवं सिद्धदोष द्वारा ऐसी बनायी गयी थी जिससे उसकी पत्नी भी यह कृत्य समाज के सामने नहीं ला सकी, जब तक उसकी पत्नी ने अपने पति का कृत्य स्वयं अपनी आंख से न देख लिया। समाज को जब यह पता चले कि उन्हीं के समाज में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी पुत्री से ही बलात्कार करता रहा हो तो निश्चित तौर पर यह घटना समाज को हिला देगी एवं समाज के लोग आपस में ही एक दूसरे को ही शक की निगाह से देखने लगेगें। ऐसी घटनाएँ समाजिक समर्पता को विपरीत रूप से प्रभावित करेगीं तथा समाज में भय का माहौल उत्पन्न करेगीं। समाज में यह भी भाव उत्पन्न होगा कि जब एक पुत्री अपने ही घर में अपने ही पिता से सुरक्षित नहीं है तो उसका घर से बाहर सुरक्षित रहना कैसे सम्भव है। एक पिता जब अपनी ही पुत्री के लिए इतना हानिकारक हो तो वह समाज के लिए कितना हानिकारक होगा, इसका अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समाज की, न्यायाधीशों से भी यही अपेक्षा होती है कि वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष को ऐसा कठोरतम दण्ड दे जो समाज के लिए उदाहरण बने एवं भविष्य में भी कोई क्रूर पिता ऐसा करने को सोचे भी नहीं। निर्विवाद रूप से यह स्थापित है कि न्यायाधीशों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिए परन्तु जब अपराध, अपराध न रहकर पाप हो जाये तो न्यायाधीशों से भी यह अपेक्षा है कि वह सिद्धदोष को ऐसा दण्ड दे जो समाज में संतोष का भाव उत्पन्न करें। क्षमा वीर का आभूषण होता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा ऐसा पाप किया गया है जो उसे क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता, अतः इस प्रकरण में सिद्धदोष को क्षमा करना वीरता नहीं कायरता होगी।

8- अपराधी के सुधार की सम्भावना (Possibility of Reformation of Offender)- सिद्धदोष द्वारा अपनी नैसर्गिक अवयस्क विवाहित पुत्री के साथ लगभग दो साल से लगातार बलात्कार किया गया। इस अपराध करने का कोई कारण नहीं था।

सिद्धदोष की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी एवं उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। अपनी पत्नी के रहते हुए भी उसने अपनी नैसर्गिक अवयस्क विवाहित पुत्री को अपना आसान शिकार चुना एवं अपनी कामवासना की पूर्ति हेतु अपनी अवयस्क पुत्री को एक पदार्थ माना। उसके द्वारा यह कृत्य एक बार नहीं अपितु अनेको बार किया गया जो यही निष्कर्ष निकालने पर विवश करता है कि इस सिद्धदोष के सुधार की सम्भावना नगण्य है एवं यह सिद्धदोष नान्हू खां समाज के लिए नासूर एवं खतरा है।

प्रस्तुत मामले में शमनकारी परिस्थितियां (Mitigating circumstances)

इस प्रकार है-

(1) **अपराधी की आयु-(Age of Offender)**-सिद्धदोष ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० स० में अपनी उम्र 46 वर्ष बतायी है। वह देखने से भी 46 वर्ष का लगता है।

(2) **अपराधी पर परिवार की निर्भरता -(Dependency of the Family on the Offender)**-सिद्धदोष निश्चित रूप से बम्बई रहकर कमाता था तथा उसका परिवार उस पर कुछ निर्भर रहा होगा। प्रस्तुत प्रकरण में एक तथ्य और भी है कि सिद्धदोष के दो बड़े पुत्र बाहर रहकर कमाते हैं, ऐसे में सिद्धदोष के परिवार की आर्थिक आवश्यकता सिद्धदोष के दो बड़े पुत्रों के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है। सिद्धदोष के अतिरिक्त राज्य का भी गुरुतर दायित्व है कि वह पीड़ित परिवार की आर्थिक, समाजिक तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करे। राज्य अपने नागरिक का संरक्षक होता है एवं एक संरक्षक होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में भी राज्य का ही दायित्व है कि वह पीड़ित को आजीवन सुरक्षा दे तथा उसके दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पीड़ित की आर्थिक सहायता करे।

(3) **विचारण के दौरान अपराधी का आचरण -(Conduct of the Offender during Trial)**-सिद्धदोष नान्हू खां गिरफ्तार होने के उपरान्त से ही न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। विचारण के दौरान वह न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित आता रहा है। उसका आचरण संतोषजनक रहा है परन्तु उसके चेहरे पर ग्लानि का कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ।

20- न्यायालय से अपराध, अपराधी, पीड़ित तथा समाज को दृष्टिगत रखकर न्यायोचित दण्डादेश पारित करना अपेक्षित है जिससे की उपरोक्त चारो इकाइयों के हितों में संतुलन स्थापित किया जा सके। न्यायालय को समाज में बढ़ते यौन अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड के निरोधात्मक सिद्धान्तों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ सिद्धदोष के परिप्रेक्ष्य में दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त का भी ध्यान रखना होगा एवं यह देखना होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में दण्ड के कौन से सिद्धान्त आकर्षित होते हैं।

मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न कालखण्डों में मानवीय आचरण को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए नैतिक मूल्यों की स्थापना की गयी, जिनके दीर्घकालिक एवं सतत प्रयोग द्वारा उन्हें रूढ़िगत मान्यता प्राप्त हुई। कालखण्ड बीतने पर रूढ़िगत नैतिक मूल्यों का पतन हुआ और समय के साथ उसका प्रभाव कमजोर होता गया, इसलिए संविधानविद एवं विधि ने अपना महत्व स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य समाज में मानव आचरण के मानदंडों

को विनियमित करना है। यह गतिशील है और कभी भी किसी भी समय स्थिर नहीं होती है। समाज की लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर विधि को बदलना पड़ता है और विधि एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करती है जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से न्यायसंगत हो। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों को सरवान न्याय प्रदत्त की भावना के संदर्भ में सामाजिक विचारधारा के परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करता है। विधायिका द्वारा सन् 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया एवं किसी न्यायाधीश द्वारा अपने घर में किसी बालक के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास के साथ मृत्यु दण्ड के दण्ड का प्रावधान किया। विभिन्न कालखण्डों में न्यायविदों द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोण से विधि को परिभाषित किया गया है और परन्तु प्रत्येक विधि मौलिक रूप से स्थापित सामाजिक नैतिक मूल्यों के परितः अधिनियमित की जाती है जो मानव व्यवहार के नियंत्रक के रूप में कार्य करती है और नैतिकता के इन नियमों का प्रारम्भ हमारे समाज की मूल इकाई यानी परिवार से होता है एवं न्याय का गुरुतर उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार एवं आचरण का समाज के आदर्शों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। संगत अवधारणा समाज की मूल इकाई अर्थात् परिवार के प्रतिपालक पर यह दायित्व आरोपित करती है कि वह न केवल उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में आत्मसाथ करें, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के आचरण में उन मूल्यों की स्थापना का प्रयास करे, परन्तु यदि प्रतिपालक ही उच्च नैतिक मूल्यों से पतित हो जाये एवं स्थापित विधिक नियमों का उल्लंघन करे, तो समाज में आदर्श स्थापित करने के लिये विधि द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिये।

प्रस्तुत मामले में सभ्य समाज की मूल इकाई के प्रतिपालक/मुखिया द्वारा ही अपनी ही अवयस्क पुत्री के साथ प्रवेशन द्वारा गम्भीर लैंगिक हमला किया गया है। यह हमला तात्कालिक नहीं था वरन् करीब दो वर्षों तक सतत किया जाता रहा है और इसके विरोध में उठने वाले प्रत्येक स्वर को दबाने का प्रयास किया गया। सामान्य रूप से प्रत्येक बालक अथवा बालिका अपने प्रतिपालक/संरक्षक के सानिध्य में स्वयं को संरक्षित एवं सुरक्षित पाते हैं, परन्तु सामाजिक विकृतियों के दौर में जब ऐसा प्रतिपालक/संरक्षक/रक्षक स्वयं ही भक्षक, अत्याचारी एवं व्यभिचारी बन जाये तो ऐसे प्रतिपाल्य बालक अथवा बालिका के लिये सुरक्षा की संकल्पना दुखद स्वप्न हो जाता है। ऐसी जघन्य घटना, कोमलवय बालिका अथवा बालक के मन पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो जीवनपर्यन्त उसे मानसिक एवं सामाजिक यातना देती है और साथ ही समाज को नियंत्रित करने वाले उच्च नैतिक मूल्यों को तार-तार कर देती है। प्रस्तुत मामले में प्रतिपालक द्वारा प्रतिपाल्य के साथ कारित अपराधिक कृत्य, निःसंदेह विरल से विरलतम प्रकृति का आपराधिक कृत्य है, जो असाधारण है एवं अविश्वसनीय है। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ लगातार बलात्कार किया गया, उसकी पुत्री इस कृत्य के हर दिन मरी होगी एवं उसे अपने पैदाइस से ही विडम्बना

होनी शुरू हो गयी होगी।सिद्धदोष का यह आचरण एक जानवर की तरह है। भृहृरि नीति शतक के बारहवे श्लोक जिसका वर्णन तथा प्रमाण आचार्य बालदेव उपाध्याय संस्कृति साहित्य इतिहास के पृष्ठ संख्या 449 से 453 तक मिलता है के अनुसार -

येषां न विद्या तपो न दानम् ज्ञानम् न शीलम् गुणो न धर्मः ।
ते मृत्यु लोके भुविभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

अर्थात्

जिस मनुष्य के पास न विद्या हो न तप हो, न ज्ञान हो, न शील हो और न ही धर्म हो वह इस पृथ्वी पर एक भार है एवं एक जानवार के समान घूमते रहते है।

सिद्धदोष द्वारा भी ऐसा कृत्य कारित किया गया है कि जो विधि,धर्म एवं मनुष्यता द्वारा स्थापित सभी मापदण्डों के विपरीत है एवं परिवार जैसी संस्था को समाप्त कर देने वाला है। यह सोचना भी भयावह होगा कि अगर परिवार में ही ऐसा होता गया तो क्या समाज एवं देश सुरक्षित रहेगा एवं क्या ऐसी स्थिति में किसी भी सम्य समाज या सभ्य देश की परिकल्पना की जा सकती है। ऐसे मामलों में लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में विहित उपबन्ध एवं उनमें निहित पीड़ित के साथ सारवान न्याय की सामाजिक भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए न्यायालय एवं समाज की राय में वर्णित प्रकृति के अपराध के लिए उदारवादी एवं सुधारवादी निर्वाचन की प्रासंगिकता नगण्य प्रतीत होती है। बालको के कल्याण के संदर्भ में समाज में उच्च नैतिक एवं विधिक मूल्यों की स्थापना एवं पीड़ित बालिका या बालक को सारवान न्याय प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में सिद्धदोष को उक्त अधिनियम में विहित गुरुतर दण्ड से दण्डादिष्ट करना ही उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित उत्तेजक परिस्थितियों (*Aggravating circumstances*) तथा शमनकारी परिस्थितियों (*Mitigating circumstances*) के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त उत्तेजक परिस्थितियों (*Aggravating cricumstances*) का पलड़ा भारी पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी ऐसी शमनकारी परिस्थितियां नहीं है जो सिद्धदोष के इस आचारण को विरल से विरलतम की परिधि से बाहर ले आ सके। सिद्धदोष द्वारा जो अपराध लगातार कारित किया गया एवं उसका जो प्रभाव पीड़ितपक्ष एवं समाज पर पड़ा है, वह सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध को विरल से विरलतम (*Rarest of Rare*)की परिधि में लाता है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अपराध की भायावहता, अपराध का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव एवं अपराधी की परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत मामले में सिद्धदोष नान्हू खां द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम (*Rarest of Rare*) मामले की श्रेणी में आता है और उपरोक्त वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में पारित विधि सिद्धान्त तथा विधायिका की मंशा की परिधि में आता है और उनमें उल्लिखित

मानको की कसौटी पर भी खरा उतरता है, ऐसे में इस प्रकरण में मात्र दण्ड के निरोधात्मक सिद्धान्त आकर्षित होता है, ऐसे में सिद्धदोष नान्हू खां कारित अपराध के लिए मृत्यु दण्ड (Capital Punishment) से दण्डित किये जाने योग्य है।

21- लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 वैकल्पिक दण्ड का प्रावधान करती है जिसके अनुसार यदि भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत तय किये गये दोनो आरोप सिद्ध होते है तो उस दशा में जिस अधिनियम में दण्ड की मात्रा अधिकतम होगी, उसी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डादेश पारित किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नान्हू खां को धारा 376(3), 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों में दोषसिद्ध किया गया है। धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 समान प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित है। धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन उपरान्त)में कठोर कारावास जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुमाने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (संशोधन उपरान्त)में जो कोई गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुमाने का भी दायी होगा या मृत्यु दण्ड से दंडित किया जायेगा। इस प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता की तुलना में पोक्सो अधिनियम 2012 में दण्ड की मात्रा गुरुत्तर/अधिक है, ऐसी दशा में दण्डादेश धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रश्नगत मामले के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी के अन्तर्गत आता है अतः सिद्धदोष नान्हू खां जो अपनी अवयस्क पुत्री का ही लगातार बलात्कारी है, को धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो अधिनियम के संशोधित प्रावधान जो दिनांक 16-08-2019 से लागू है) के तहत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सिद्धदोष नान्हू खां को एक वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सिद्धदोष नान्हू खां को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा, तदनुसार सिद्धदोष नान्हू खां के विरुद्ध निम्नवत् दण्डादेश पारित किया जाता है।

दण्डादेश

22- मुकदमा अपराध संख्या-122/2021 विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 1033/2021 थाना सुजौली जनपद बहराइच के मामले में सिद्धदोष नान्हू खां को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

1- सिद्धदोष नान्हू खां को धारा 5(p)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में **मृत्यु दण्ड** से दण्डित किया जाता है। सिद्धदोष नान्हू खां को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाये जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये।

(Convict Nanhu Khan be hanged by Neck till he is dead)

2- सिद्धदोष नान्हू खां को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **एक वर्ष** के कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

3- सिद्धदोष नान्हू खां को धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध मे **चार वर्ष** के कठोर कारावास एवं मु० पचास हजार रुपये (50,000/-)के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

4- सिद्धदोष नान्हू खां को दी गयी सभी उपरोक्त सजाएं साथ -साथ चलेगी। सिद्धदोष नान्हू खां द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

5- सिद्धदोष नान्हू खां को दिये गये मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से धारा 366 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डादेश की पुष्टि होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

6- धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में सिद्धदोष नान्हू खां द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में पीड़िता शुजा को अदा किया जाये।

अन्य आदेश

7- शुजा के पिता द्वारा ही उसका लगातार बलात्कार किया गया। एक पिता अपनी पुत्री का रक्षक होता है,परन्तु सिद्धदोष अपनी पुत्री का ही भक्षक बन गया। उसे इस निर्णय में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उसके परिवार में और भी सदस्य है। उसके इस कृत्य से उसकी पत्नी,उसकी पुत्री शुजा तथा उसके अन्य बच्चे भी पीड़ित की श्रेणी में आते है,जिनके संरक्षण एवं भरण पोषण का दायित्व राज्य का है।पीड़िता शुजा के जीवन को पुर्नस्थापित करने का भी दायित्व राज्य का ही है। सिद्धदोष पर अधिरोपित अर्थदण्ड के रूप में दिलाये जाने वाली प्रतिकर धनराशि इतना नहीं है जिससे कि पीड़ित पक्ष की जीवनपर्यन्त आवश्यकताएं पूरी होती रहें। **धारा 357A दण्ड प्रक्रिया संहिता (पीड़ित प्रतिकर योजना) एवं धारा 9 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण नियम 2020** के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए एवं यह मत रखते हुए कि शुजा एवं उसकी माता ही इस अपराध से सबसे ज्यादा पीड़ित है

तथा उपरोक्त दिलाये जाने वाली प्रतिकर की धनराशि इतनी अधिक नहीं जो उनके भविष्य में आने वाले आर्थिक कष्ट की उचित प्रतिपूर्ति कर सके, मैं राज्य सरकार से पीड़िता शुजा एवं उसकी नैसर्गिक माता को उचित प्रतिकर देने की संस्तुति करता हूँ। **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच** से अनुरोध है कि वह उपरोक्त प्रतिकर दिलाये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करे। **जिलाधिकारी बहराइच** से भी यह अपेक्षित है कि वह पीड़ित पक्ष को उचित प्रतिकर दिलाये जाने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। **पुलिस अधीक्षक बहराइच** से भी अपेक्षित कि अगर भविष्य में पीड़ित पक्ष उससे किसी भी सुरक्षा की मांग करे तो वह नियमानुसार उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

8- **धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट बहराइच को प्रेषित की जाये। इस निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक बहराइच को भी प्रेषित की जाये।

9- सिद्धदोष नान्हू खां को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये तथा उसको सूचित किया जाये कि वह इस निर्णय व दण्डादेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।

10- सिद्धदोष का सजायाबी वारन्ट बनाकर जिला कारागार बहराइच अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

11- **नियम 64(पुराना नियम 67)जी०आर० क्रिमिनल 1977 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या-47 दिनांकित 23 अप्रैल 1958** के अनुपालन में मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि हेतु मामला नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

(नितिन पाण्डेय)

अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०प्रथम/

दिनांक:23-11-2021

रेप एण्ड पॉक्सो ऐक्ट बहराइच।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के पश्चात सुनाया गया ।

(नितिन पाण्डेय)

अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०प्रथम/

दिनांक:23-11-2021

रेप एण्ड पॉक्सो ऐक्ट बहराइच।

टंकक- विनोद सिंह(आशुलिपिक)